# कुमारी कमल कुमारी गोइन्दी

एम० ए०, एल० टी०, बी० ए० ( आनर्स ),
एम० एल० ए०

के

## उत्तर प्रदेश
## विधान सभा में
## भाषण

प्रथम बार १९६१ ] [ मूल्य एक रुपया

# कुमारी कमल कुमारी गोइन्दी

एम० ए०, एल० टी०, बी० ए० ( आनर्स ),

एम० एल० ए०

के

## उत्तर प्रदेश
## विधान सभा में
## भाषण

प्रथम वार १९६१ ]

मूल्य एक रुपया

# दो शब्द

मुझे अपने सदन के भाषणों को पुस्तक के रूप में छपवाने की आवश्यकता क्यों प्रतीत हुई ? कहा जा सकता है कि यह तो एक सामयिक विषय है। किसी वर्ष के बजट ( आय-व्यय के ब्यौरे ) में किसी विषय पर कुछ कहा या किसी विधेयक, या अविश्वास-प्रस्ताव पर कुछ कहा गया तो इसकी आवश्यकता उसी समय समाप्त हो जाती है। साथ ही किसी विषय पर पूरा प्रकाश नहीं डाला जा सकता क्योंकि समय कभी ५, कभी १० और कभी १५ मिनट ही होता है। वह भी जबानी बोलना होता है। मेरे जैसा सदस्य जो पहिली बार ही, सदन का सदस्य बना हो, एक साधारण वक्ता एवं कार्यकर्ता हो, कैसे अपने विचारों को भली भाँति सदस्यों के सामने रख सकता है।

हमारे यहाँ नया प्रजातन्त्र शासन होने के कारण सार्वजनिक समस्याओं को समयानुसार समझने की आवश्यकता है और उन्हीं समस्याओं की ओर अपने इष्ट मित्रों एवं ग्राम कार्यकर्त्ताओं का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। प्रायः हमारी ग्रामीण-समस्यायें साधारण होते हुए भी बहुत ही जटिल हैं। उनकी तह में जाने के लिए तथा उसी के अनुरूप जीवन की प्रतिक्रियाओं को बदलना पड़ता है। जितना ही ग्रामीण जीवन की गहराई में हम जायें उतना ही हमें स्पष्ट होता जावेगा कि राष्ट्रपिता गाँधी जी के विचार के अनुकूल सामाजिक व्यवस्था ही न केवल इन समस्याओं का हल है बल्कि भारत एवं विश्व को भी अपने कल्याण के लिए, उस ओर रुख करना होगा।

मैंने अपनी साधारण बुद्धि के अनुसार अपने अनुभवों को रखने का प्रयत्न किया; यह आशा रखकर कि हम लोग जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं अपने-अपने क्षेत्रों में काम करेंगे तो, वे भी उसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि बापू-राज्य ही हमारी गुत्थियों का हल है। बापू राज्य क्या है ? जिसको हम बापू-राज्य कहते हैं, और बापू उसको राम-राज्य कहते थे, उस में स्वस्थ स्वावलम्बी गाँव होंगे और हमारा राजनैतिक संगठन सत्य और अहिंसा के आधार पर होगा। अब इस विषय पर पुस्तकें लिखी जा सकती हैं और बापू स्वयं इतना कुछ छोड़ गये हैं कि लिखने की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती।

परन्तु हमें महापुरुषों की बातों को अपनी त्रुटियों के कारण अव्यवहारिक मानने की आदत पड़ गई है। यही हाल बापू की करनी और कथनी की हमारे यहाँ हो रही है। या तो उनकी करनी को अपने से ऊँचे समझकर या और लोगों को व्यवहार में लाने के अयोग्य समझकर छोड़ देते हैं। जब हम गरीब ग्रामीण जनता में जाकर बैठें और उनके जीवन में प्रवेश करने का प्रयत्न करें तो स्पष्ट हो जावेगा कि न केवल वह व्यवहारिक है बल्कि उसके बिना हमारा जहाज बिना नाविक के जहाज की भाँति दौड़ लगा देगा और हम तभी जागेंगे जब हमारा जहाज चट्टान के समीप होगा और हमारे हाथ पैर फूल जावेंगे।

पहले मैं राजनीति में सत्य और अहिंसा को लेती हूँ। मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि राजनैतिक विरोधी और अपने साथियों के साथ सत्य और प्रेम का व्यवहार कितनी कठिनाइयों से बचा लेता है और कारगर भी होता है। चुनाव को ही लीजिए, मैंने गाँव सभाओं के चुनाव में पूरा प्रचार निर्विरोध चुनाव होने के लिए किया किन्तु सब जगह ऐसा नहीं हो सकता और न होना ही उचित है। क्योंकि यदि कोई अयोग्य तथा अनिच्छित ( undesirahle ) व्यक्ति विरोध करने के लिए खड़ा हो जाय तो उसके सामने हथियार डालना प्रेम नहीं बल्कि कायरता होगी। हाँ जहाँ व्यक्तिगत मुकाबिला ( विरोध ) हो अच्छे उम्मीदवार की प्रसंशा में जो कुछ भी आप कहें ठीक है किन्तु विरोधी उम्मीदवार के सम्बन्ध में व्यक्तिगत बातें बचा जानी चाहिए।

विधान सभा तथा लोकसभा के चुनाव में राजनैतिक दलों का आयोजन ( Programme ) तथा नीति ( Policy ) का ही विरोध हो।

दूसरी बात स्वस्थ तथा स्वावलम्बी गाँवों की--जहाँ तक हो अपनी प्रारम्भिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र और जरूरी आवश्यकताओं की सामग्री गाँवों में पास या पड़ोस ही में तैयार हो जाये और गाँवों के आपसी झगड़े भी वहीं तय हों।

इस बात को समझना ही हमारी समस्याओं के हल की जड़ को पकड़ेना है। इसका अभिप्राय ऐसा वायु मंडल बनाना है जिसमें आत्म-विश्वास तथा ? रोजगारी ( Self confidence and self employment) पनप सके। जैसे चर्खा, घानी, धान कूटने की चक्की को हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं, पर.ु गाँव-गाँव आटा पीसने की मशीन तो लग ही रही थीं उसी के साथ-साथ अब धान कूटने और तेल निकालने के यन्त्रादि लगाये जा रहे हैं। यही नहीं बड़ी मंडियों में इन कार्यों के लिए बड़ी-बड़ी पावर की मशीनें लग रही हैं। छोटी मशीनों ने कोरियों, तेलियों आदि को बेरोजगार बना दिया। अब छोटी मशीन वालों को बड़ी मशीन वाले

बेकार कर देंगे। गाँव का कोरी तो मुँहताज तो हो ही चुका है अब तेली भी खत्म हो रहे हैं। इसी तरह आटा पीसने वालों, धान कूटने वाली, चर्खा कातने वाली महिलाओं का समय व्यर्थ जाता है और उनकी और बच्चों की दशा देखिये बुखार तथा निमोनिया के बीमार, वस्त्रों के बिना पुआल में पड़े हुए हैं। इस तरफ जनता तथा सरकार का ध्यान लगाना आवश्यक है कि वे इस बात को समझ लें कि जिस समय घरेलू आवश्यकताओं की वस्तुएँ तैयार की जाती हैं उस समय का कोई प्रयोग हमारे समक्ष नहीं है। यानी हमारा rationalisation यही है कि हम इस भारी जन-समूह का पूरा प्रयोग ले सकें। ये वस्तुएँ यानी गुड़, तेल, धान की कुटाई, आटा की पिसाई और तत्सम्बन्धित सामग्रियाँ, फालतू समय तथा बिना कीमत के तैयार होगी। इसी आवाज को हम अपने अनुभव के अनुसार जनता के सामने रखने के लिए मैं अभी इन भाषणों को प्रकाशित कर रही हूं। समय आने पर विस्तृत रूप में अपने इन अनुभवों को पुस्तक के रूप में यह प्रस्तुत करूँगी ताकि यदि आम लोगों की यह समझ में आ जायँ, कि जो वस्तुएँ हाथ से तैयार हो सकती हैं वे कभी बड़े कारखानों की बनी प्रयोग में न लायी जाँय।

मेरे इतने जीवन के बाद मेरी प्रति स्वांस से यह आवाज प्रस्फुटित होती है कि धन्धों का विकेन्द्रीकरण ही हमारी बेकारी और दरिद्रता का इलाज है। बड़े कारखाने केवल वहीं लगवाये जायँ जहाँ ये विकेन्द्रीकरण में सहायक हों, बाधक न हों।

---

# सूची



---

सत्य और अहिंसा पर आधारित राजनैतिक
संगठन ही भारत और विश्व
का कल्याण करेगा।

# उत्तर प्रदेश विधान सभा
## में
# कुमारी कमल गोयन्दी के
## भाषण

## [ १ ]

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से महामान्य राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के लिये, उनके प्रति जो धन्यवाद का प्रस्ताव उपस्थित हुआ है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूँ। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला है, जैसे समाजवादी ढांचे का समाज, उसके लिये जो सरकार को कार्य करना है, काश्मीर का मामला, निष्पक्ष चुनाव और उत्तर प्रदेश में बड़े कारखानों का खुलना आदि। विरोधी दल की ओर से भ्रष्टाचार और डकैती आदि के बारे में कहा गया है उसके लिये मैं बाद में सुझाव आदि दूँगी। पहले मैं थोड़ी सी बातें प्रस्ताव समर्थन के प्रस्ताव में कहना चाहूँगी। जहाँ तक काश्मीर का प्रश्न हैं उसमें दो राय नहीं हो सकती है। सदन में इस तरफ के बैठने वाले सब सदस्य इस मामले में न केवल सरकार के पीछे हैं वल्कि हर तरह से इसका साथ देने के लिये तैयार हैं। जहाँ तक सरकार और उसके कर्मचारियों का सम्बन्ध है उनका कार्य आम चुनावों में सराहनीय रहा। उन्होंने परिस्थितियों की मर्यादा को ठीक रास्ते पर रक्खा है और बिना किसी झगड़े आदि पक्षपात के दुनिया भर के सबसे बड़े चुनाव को निभाया है। माननीय सदस्य भी चाहे वह सरकारी दल के हों या विरोधी दल के हों शान्ति व मर्यादापूर्वक चुनाव में सहयोग देने के लिये बधाई के पात्र हैं। हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार का सहयोग देश को आगे ले जाने में भी रहेगा। इसके अतिरिक्त बड़े-बड़े कारखाने जो घरेलू उद्योग धन्धों में सहायक हों, या कम से कम बाधक हों इस राज्य में जो भारत के सबसे गरीब प्रदेशों में से है कायम होना जरूरी है।

अब मैं महा माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के उस भाग की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ जो हमारे रूप का मूल मन्त्र है वह है समाजवादी ढंग की समाज रचना। महामान्य राज्यपाल ने ठीक ही कहा है कि समाजवादी ढांचे की

परिभाषा ठीक-ठीक नहीं की जा सकती। इसका अर्थ लोगों में जहाँ तक हो सके आर्थिक समानता लाना है, नीचे वाले को ऊपर उठाना और ऊपर वालों को नीचे लाना है। कहा जाता है कि फिर इसको सीधे-सीधे समाजवादी क्यों नहीं कह देते। हमारा कहना यह है कि प्रचलित समाजवाद के साथ जो विचार व इतिहास जुड़े हुये हैं वे अपनी परम्परा और सभ्यता के साथ मेल नहीं खाते। इसलिये हमारा समाजवाद एक निराला समाजवाद है, इसकी जड़ गांधी विचार धारा में है। हमें क्रान्ति पैदा करनी है और कर रहे हैं। शांतिपूर्ण और जो कि वैधानिक तरीकों से, यदि सम्भव हो हृदय परिवर्तन से और कानून से यदि जरूरी हो। बदअमनी और हिंसा को इसमें कोई गुंजाइश नहीं। हमें खुशी है कि हमारे देश के दूसरे राजनीतिक दल भी इसी विचार धारा की ओर आ रहे हैं। हाल में केरल के साम्यवादी दल ने संविधान के अन्दर सरकार बनाना और कार्य करना स्वीकार किया है यह भारत के भविष्य के लिये अच्छा शकुन है। हमारे विचार चाहे कुछ भी हों परन्तु उनको संविधान और मर्यादा के अन्दर रह कर ही फैलना ठीक है और हमें आशा है कि केरल सरकार ने जो कुछ किया है वह बिना किसी मेन्टल रिजवेशन के किया है और इसको यह समझ कर किया है कि भारत का हित इसी किस्म की राजनीति में है।

हमने पिछले दस वर्ष में क्या किया और आगे क्या करेंगे। शहरों में हम देखते हैं कि नई सड़कें, नई सरकारी इमारतें, मजदूरों के रहने के लिये अच्छे मकान और फ्लश गाँवों में नहरें, सिंचाई के लिये कुयें, पानी पीने के लिये कुयें और घरेलू उद्योग धन्धे दिखाई देते हैं। ये सब चीजें आज प्रदेश में इतनी दिखाई देती हैं कि जो विदेशी राज्य में २०० वर्षों में भी नहीं हो सकी थी। फिर भी इतने थोड़े समय में सैकड़ों वर्ष की तबाही के बाद यह निर्धन देश सब कुछ कैसे ठीक कर सकता है। जो कुछ हो सकता है वही करने में और आगे जो योजनायें हैं उन्हीं को पूरा करने के लिये इतने धन की आवश्यकता है कि गरीब जनता के लिये करों का बोझा उठाना कठिन हो रहा है और न ही डेफिसिट फिनैसिंग कोई अच्छी चीज है। परन्तु फिर भी हमारे नेताओं ने उसी हिम्मत के साथ जिस हिम्मत से उन्होंने साधनहीन होते हुये भी उस ताकत से टक्कर लेकर जिसके पास विश्व भर में सबसे अधिक साधन थे स्वतंत्रता प्राप्त की, निर्धनता से भी लड़ाई शुरू कर दी है। हमारा सौभाग्य है कि हमारी रहनुमाई के लिये आज भी वही नेता मौजूद हैं जिनको जनता के हर श्रेणी के सुख दुख का अनुभव है। स्वतंत्रता के युग में जनता क ।सहयोग लेने के लिये ही उन्होंने शहर की गली-गली में और देहात के कोने-कोने में ही अपना समय नहीं बिताया अपितु जिले के अन्दर रहने वालों के दुख दर्द में भी भाग लिया है। हममें

से बहुतों ने आजादी हासिल करने में उनका साथ दिया है और आज गरीबी के साथ युद्ध में भी उनका साथ देते रहें। आजादी का अभी बचपन है और जनता ने यह ठीक ही फैसला कर दिया है कि इस बच्चे का पालन पोषण उसके पैदा करने वाली माँ के ही हाथों से होना चाहिये और आज उसी के हाथ में फिर से इसको सौंप दिया है लेकिन देखने की बात है कि आवश्यकता के मुताबिक खाना, कपड़ा होते हुये भी उसका वितरण ठीक नहीं हो सकता जब तक गरीब जनता के पास उसको प्राप्त करने के साधन न हों।

यहाँ पर २० फीसदी लोग ऐसे हैं जिनकी औसत मासिक आमदनी पांच रुपये प्रति व्यक्ति है और ३१ प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनकी औसत आमदनी १० रुपये मासिक है। उसके लिये क्या किया जाय ? किन साधनों को जुटाया जाय जिससे इन लोगों की आमदनी बढ़ सके और समाजवाद को हम ला सकें ? इस ग्रुप में खेतिहर मजदूर, विधवायें और उनके बच्चे भी शामिल हैं। इन सब को कैसे ऊपर लाया जाय, जब हम इनको ऊपर लायेंगे तभी हम समाजवाद को ला सकते हैं। इसके लिये यह आवश्यक है कि उनके घरों में हम सहायक धन्धे पहुँचावें। करोड़ों के घरों में धन्धे पहुँचाने का एकमात्र तरीका है कि ऐसा वातावरण पैदा किया जाय जिससे लोग खुद अपने आप को काम में लगा सकें यानी लोग काम सीखें और करें और उनकी उपज की खपत वहीं की वहीं पर हो जाय। यही विचार गांधी जी के 'रामराज्य' का था कि हेल्दी सेल्फ सफीशियेन्ट विलेजेज हों यानी ऐसे गाँव हों जो अपनी प्रारम्भिक आवश्यकताओं को अपने आप पूरा कर सकें। यानी रोटी और कपड़ा वे अपने-अपने गाँवों में खुद पैदा कर लें और ऐसी भावना पैदा की जाय जिससे स्थानीय बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग हो उचित माना जाय।

स्त्रियों को खेती और अन्य ऐसे कामों से हटाकर कपड़ा तैयार करने, दूध वाले जानवर पालने, शहद की मक्खियां पालने, मुर्गी पालने जैसे कार्यों की ओर लगाया जावे और उसमें उनको सहायता दी जावे। इससे जो मजदूरों का काम है उससे आधे मजदूर यानी औरतें हट जायेंगी और वह काम आप दूसरे मजदूरों से करवा लें जिससे अच्छी और अधिक मजदूरी करने वालों की शक्ति बढ़ेगी। जिन इलाकों में चरखे चालू है वहां स्त्रियों को घरों में काम मिल जाता है और वे बाहर का काम नहीं करती। वहां मजदूरों की मजदूरी लगभग तिगुनी है और काम भी लगभग तिगुना होता है। बापू जी ने चरखा सब सुधारों का सूर्य बताया है। वह इनको रोशनी और जीवन देता है। चाहे वह हरिजनोद्धार से सम्ब-

न्धित हों या स्त्रियों के उद्धार से हों इन सबकी नींव चरखे पर होगी। इमारत चाहे जो अपनी जरूरत के मुताबिक खड़ी कर लें लेकिन नींव के बिना इमारत नहीं हो सकती इसी तरह से चरखा सब कुछ तो नहीं है लेकिन बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। पंचवर्षीय योजना में हमारी सरकार ने इसके लिये बहुत काफी गुंजाइश रखी है कि इस प्रकार काम करने वाले जो अपने मामलों को अच्छी तरह से पेश करें सरकार से हर प्रकार की सहायता ले सकते हैं मगर हर बात में सरकार की ओर देखना अच्छा नहीं है और न उसकी जरूरत ही है। अच्छे कामों में सरकार की सहायता न भी मिले तो भी हमारा काम नहीं रुकना चाहिये। चर्खा ऐसी सस्ती चीज है जिसे एक मजदूर भी खरीद सकता है, एक तकली जो एक आने में तैयार हो सकती है वह हमें पूरी तरह से वस्त्र के लिये स्वावलम्बी बना सकती है।

अब आज जो हमारे भाइयों ने भ्रष्टाचार और डाके के बारे में कहा है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ थोड़े से सुझाव देना चाहती हूँ। मैं अपनी सरकार को यह सुझाव देती हूँ कि डकैतियों को रोकने के लिये जो रजिस्टर्ड खराब आदमी हैं उनको छोड़ कर जगह-जगह बन्दूकों के आम लाइसेंस दिये जांय दूसरे उन बन्दूकों के लिये कोई लाइसेन्स फीस न ली जाय।

दूसरी तरफ के हमारे एक भाई ने कहा था कि जो धरती नदियां काट देती हैं उसके कारण गाँव उजड़ जाते हैं और गाँव इधर से उधर भी हो जाते हैं। इसी तरह की बात मेरी कांस्टीट्युन्सी में भी है और बहुत से ऐसे गाँव हैं कि जिनकी बर्बादी गंगा की धारा पलट जाने से हो गई है और लोगों के लिये वहाँ धरती का हासिल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मेरा सुझाव यह है कि हमें मौजूदा कानून में कुछ तब्दीली करनी चाहिये। जब यह कानून बना होगा, सम्भव है उस समय छोटे-छोटे राज्य होते हों और उनकी सीमा नदी हो। अब इसमें यह तब्दीली रहनी चाहिये कि जमीन यदि दूसरी तरफ भी निकल जाय तो भी उसके मालिक किसान को उन पर खेती करने का हक होना चाहिये। या तो वह उस जमीन को बेच सके अथवा उसे खुद नाव पर जाकर जोत बो सके, इसका हक उसे होना चाहिये।

तीसरी चीज हमारे सामने भ्रष्टाचार की है। हमारे बहुत से भाइयों ने उसके बारे में कहा और पालीवाल जी ने तो कल यह कह दिया कि जब मैं सरकार के अन्दर था तब भी मैं इसके बारे में कहता रहा और जब मैं सरकार से बाहर हूँ तब भी इसके बारे में कहता हूँ। लेकिन अगर वह इतने टाइम तक कहते ही रहे, तो

बुजुर्ग भाई से मेरी यह प्रार्थना है कि आओ हम सब मिलकर कोई एक ऐसा रास्ता निकालें और उस पर चलें कि जिससे इस।भ्रष्टाचार का नाश हो जाय कोई भी यह मानने के लिये नहीं हिचकेगा कि इसको जितनी जल्दी हो सके नष्ट किया जाय। इसको दूर करने की समस्या हर एक के सामने है एक डिपार्टमेंट बनता है और एक व्यक्ति रक्खा जाता है हर तरफ उसके बारे में बात की जाती है मैं यह चाहूँगी कि हम ४३०, व्यक्ति जो सारे उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि हैं हम सबको अपने-अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ मान्यता प्राप्त है और अगर वहाँ का समाज में और उस कांस्ट्युन्सी में हमको कुछ मान्यता प्राप्त है तो हम उनके अन्दर से वहाँ के लोगों के अन्दर से इसका नाश कर सकते हैं। इसका क्या तरीका हो इसका एक तरीका यह है कि हम सब लोग मिल कर इस कार्य को करें।

१६-४-५७

---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, मंत्री महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करती हूँ। जहाँ तक तरक्की का प्रश्न है, आप चारों तरफ देख सकते हैं कि सड़कों का निर्माण हो रहा है। जौनसार-बावर की तरफ भी जाइये तो आप देखेंगे कि पहाड़ी इलाकों में पत्थर कट रहे हैं और सड़कों का निर्माण हो रहा है। अगर आपको जंगल में मंगल बनाती हुई सडकें देखनी है, तो दुद्धी की तरफ आप जा सकते हैं। इससे मालूम होगा कि यातायात में किस तरह से तरक्की हुई है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि पूरी तरक्की हो गई है।

मैं थोड़े से समय में कुछ सुझाव देना चाहती हूँ। पहला सुझाव यह है कि जरा गाँव की तरफ देखें, इलाहाबाद का तो नाम ही नहीं लिया गया, करछना की तरफ एक-एक गाँव आप देखें तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि गाँव के लोगों ने सारे रास्ते जोत रखे हैं, साधारण जाने का रास्ता तक नहीं है। मेरा सुझाव है कि सरकार सर्वे कराये और साधारण मार्ग जरूर छोड़ दिये जांय, ताकि जनता वहां तक आसानी से पहुँच सके, सड़कों का डिमारकेशन हो जाय। इसके अलावा सभापतियों को यह सुझाव दिया जाय कि इन डिमारकेटेड सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगवा लें, जिससे रास्ता अच्छा हो जाय। इसके अलावा रास्ते में जो ऊँची नीची जगहें पड़ती हैं, उसके लिये सभापतियों से कह दिया जाय कि वे लोग इसको बराबर करवायें। अगर थोड़ा बहुत सरकार को खर्चा भी देना पड़े, तो दिया जाय।

(इस समय ३ बजकर १८ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

लेकिन सबसे दर्दनाक हालत उन गांवों की है, जो नालों के किनारे बसे हुये हैं। मेरी कांस्टीट्युएंसी करछना में कंजासा इत्यादि अनेकों गांव इस तरीके से बसे हुये हैं कि अगर उनके साधारण जीवन को देखा जाय तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से वहां के लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर कोई बीमार हो जाता है, तो डाक्टर का पहुँचना मुश्किल है, और न वह हो ले जाया जा सकता है। वहां के बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बरसात में उन नालों को पार करके नहीं जा सकते हैं, कभी कभी तो ऐसे केसेज हो जाते हैं कि बच्चे बह जाते हैं। इसीलिए मेरा निवेदन है कि इन जगहो पर छोटे-छोटे पुल बनवाने का सरकार कष्ट करे और जो बड़ी-बड़ी योजनायें हैं, उनमें से कुछ पैसा निकाल कर इनको पूरा किया जाय। ऐसी जगहों पर निर्माण का काम भी होना मुश्किल है, क्योंकि निर्माण का सामान तक नहीं पहुँच

सकता। इसलिये मैं फिर एक बार आपसे निवेदन करती हूँ कि इन पुलियों के ऊपर थोड़ा बहुत खर्च करके इनको बनवाया जाय, ताकि वहाँ की जनता को सुख पहुँचे और निर्माण का सामान भी पहुँच सके।

तीसरी बात यह है कि सड़कों के किनारे जो मंडिया हैं और दोनों तरफ कच्ची है तो उसमें यह असुविधा पड़ती है कि धूल सामान के ऊपर पड़ती रहती है और बीमारी फैलती है। बरसात के दिनों में तो अगर उधर से कोई गुजर जाय, तो देखेंगे कि किस तरह ये लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कोई सड़कों के किनारे जा नहीं सकता, दोनों तरफ की पटरियां बहुत गन्दी हो जाती हैं जिसका नतीजा यह होता है कि इन मन्डियों से ही बीमारी शुरू होती है। ऐसी मेरी कांस्टीटयूएंसी में जसरा इलाहाबाद बांदा रोड पर स्थित है। पहले पहल यहाँ से ही बीमारी आरम्भ हुई, क्योंकि मक्खियों का यह घर है। घूरपुर जो इलाहाबाद-रीवां रोड पर है तथा भरवारी मंडी इन सब मंडियों की यही हालत है। तो हमारा यह सुझाव है कि किसी भी मद से रुपया निकाल कर यहाँ के लोगों का जो दुखमय जीवन है, उसमें सुधार करने का प्रयास आप करें। अगर हम लोग इन चीजों पर ध्यान देंगे, तभी वहाँ जो हमारी जनता है, उस तक हमारे स्वराज्य की रोशनी पहुँच सकेगी और हम लोग उनको उन्नति के मार्ग पर ले जा सकेंगे। आज वहां सामान पहुँचाना तो दूर रहा, जाना भी मुश्किल है। इसलिये मैं इस तरफ फिर सरकार की तवज्जह दिलाती हूँ। जहां तक तरक्की का सवाल है वह तो आप सब जानते हैं कि चारों तरफ सड़कों के बनाने में बहुत ही तरक्की हुई है। धन्यवाद।

१-८-५७

———

माननीय अधिष्ठाता जी, सर्वप्रथम तो मैं आप को धन्यवाद देती हूँ कि आप ने मुझे इस वाद विवाद में हिस्सा लेने को थोड़ा सा समय दिया। मैं माननीय मन्त्री जी को इस माँग के लिए जो उन्होंने अनुदान संख्या १६ और २० के अन्तर्गत मांगी हैं, समर्थन के लिए ही खड़ी हुई हूँ, जहाँ तक इस विभाग के काम का सम्बन्ध है मैं अपने दस वर्षों के तजुर्बे से कह सकती हूँ कि जिस तरह से इस विभाग ने इस काम को आगे बढ़ाया है उसके लिए वे मुबारकवाद के पात्र हैं। हमारी जनता अभी इतनी गरीब और निस्सहाय है कि उसके अन्दर एक दो, तीन या चार वर्ष में कार्य होने वाला नहीं है। मै अपने अनुभव से बता सकती हूँ कि किस तरह से कर्मचारियों ने हमारे साथ मिलकर काम किया है और कैसे वह संकट को दूर करने में सहायक रहे हैं। मैंने स्वयं सैकड़ों की तादाद में रिकेट के केसेज ले जाकर डाक्टरों के साथ मिल कर ठीक कराये हैं और मैं तरह तरह की बीमारियों के केस लेकर उनके पास पहुँची हूँ और डाक्टर भी जनता के सच्चे हितैषी और सहायक के रूप में उनके साथ पेश आये हैं, दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन आया है। उनकी इस सराहना के लिए मैं एक किताब लिख सकती हूँ और उनकी जितनी प्रशंसा की जाय वह कम है। मैं बताना चाहती हूँ कि इलाहाबाद के कर्मचारी आजकल इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं कि कहीं से भी उनको बीमारी की इत्तिला होती है तो वह वक्त कम होते हुए भी जाते हैं और इत्तला की बात ही नहीं वह इशारे पर ही जाते हैं। वहाँ पर नम्बर पर दवा मिलती है और जो भी सहायता जनता की हो सकती है, वह होती है।

यह जो लाख रुपया गर्भवती स्त्रियों को दूध बाँटने के लिए रखा गया है, मैंने पिछले दस साल से स्वयं दूध बांटा है और विमेन कान्फ्रेंस की ओर से भी बांटा है। मेरा अनुभव है कि यह दूध बहुत कम स्त्रियों को मिल पाता है, पहले यह धन-राशि केवल ३ लाख ही थी, अब ६ लाख हो गई है। करीब ५० लाख स्त्रियां इस प्रांत में हर साल गर्भवती होती हैं इसलिए यह रुपया बहुत कम है। मेरा अनुभव है कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की स्त्रियाँ बहुत दूध लेने नहीं आती हैं और घर पर जाने पर भी दूध मुश्किल से लेती हैं और किस तरह उसका प्रयोग होता है उसका वर्णन करना कठिन है। गरीब जनता को सामने रखते हुए मेरा सुझाव है कि इस ६ लाख की धनराशि से अगर आप गाय और भैंस खरीद कर गरीब ग्रामीण जनता में बाँट दें तो इससे जरूरतमन्द लोगों के पास दूध भी पहुँच सकता है और दूध भी इतना होगा कि जितना आप इस धनराशि से नहीं खरीद सकते। इसके अलावा जो सोशल वर्कर्स हैं उनका ध्यान और कामों में लग

सकेगा। इससे एक फायदा यह होगा कि काफी लोगों को इससे काम भी मिलेगा और अनएम्प्लायमेंट भी दूर होगा अगर आप फ्री नहीं दे सकते तो तकावी के तौर पर दीजिये इससे करोड़ों रुपयों की गायें और भैंसें जनता में पहुँच जायेंगी।

मेरे पूर्व वक्ता ने यह कहा कि गांवों की तरफ ध्यान नहींहै। मेरे खयाल से ऐसा नहीं है लेकिन कठिनाई क्या है। वह यह है जितने डाक्टर, नर्सेज और मिड-वाइव्स ट्रेन्ड होती हैं वे शहरों के अन्दर शहरों के वातावरण में होती हैं। वे देहात में में जम कर काम नहीं करती। जहाँ मैं किसी नर्स को ले जाती हूँ, तो वह वहा १०, १२ दिन से ज्यादा नहीं ठहरती और शहर में काम मिलते ही चली जाती हैं। मेरी कांस्टीच्युऐन्सी में २ लाख की आबादी है, लेकिन एक भी मिडवाइफ वहां पर नहीं है जब कि हेल्थ आफिसर चाहते हैं कि वहां पर एक तो रहे। मेरा सुझाव है कि जितना पैसा खर्च करके मेडिकल कालेज खोले जाते हैं, नर्सेज और मिडवाइव्ज को ट्रेन्ड करने में जितना खर्च होता है, उनके केन्द्र देहातों में खोले जायँ। भले ही वह सड़कों के किनारे हों। उससे लाभ यह होगा कि जो मरती हुई औरतें लायी जाती हैं, मैं आपको नहीं बता सकती कि उनकी क्या हालत होती है, आधा बच्चा बाहर और आधा भीतर, तो अगर गांव में ही यह सुविधा होगी, तो वहीं निकट ही इलाज हो सकता है। दूसरे यह कि गाँवों में अस्पताल के लिये तथा और कामों के लिये इमारतें बनेंगी तो गांव की जनता को काम मिल सकेगा। इसके अलावा सब से अधिक लाभ यह होगा कि हमारा दृष्टिकोण बदलेगा जो अभी तक नहीं है। अगर गांव के वातावरण में हमने ट्रेनिंग पायी होगी, वहाँ की सुविधाओं और असुविधाओं को समझते होंगे तो शहर के सुनहलेपन की तरफ नहीं भागेंगे।

इसलिए वहीं ट्रेनिग दे दी जाय, जहाँ कि सेवा करवानी हो। वहीं स्कूल हो जाय, वहीं कालेज हो जाव, ताकि काम अच्छी तरह से चल सके। यह भी लाभ होगा कि जितनी आजकल ऊपर की जाति की स्त्रियां हैं, वह अब कुछ नर्सिंग में आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। नर्सिंग में स्त्रियों की कमी है, उनको अवश्य आना चाहिये, लेकिन वह आती हैं तो हरिजन स्त्रियों का काम वह छीन रही हैं। अगर ट्रेनिंग गांवों में होगी तो वहीं की औरतें ट्रेन्ड होकर वहीं सेवा कर सकेंगी। इसलिये थोड़े से जो मैंने सुझाव दिए, वह इसलिए कि धन इतना कम है और बीमारी इतनी ज्यादा है कि उसको हम एक हिसाब से लगा सकें और गरीब जनता तक एक एक पैसे का हिसाब पहुँचा सकें। यह न हो कि १०० रुपया खर्च करें, दस रुपये का लाभ पहुँचे। श्रीमान्, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मेरे सुझावों को ध्यान से सुना होगा। ६-८-५७

---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बोलने का इरादा तो नहीं था, लेकिन कुछ सामने के भाइयों की बातें सुनकर यहाँ पर यह ख्याल हुआ कि एक बात के बारे में अवश्य कह दूँ जो कि सबसे जरूरी यहाँ मालूम पड़ी। जहां तक भ्रष्टाचार और निर्माण का प्रश्न है, कुछ भाइयों ने तो निर्माण के बारे में यह कह दिया कि कुछ होता नजर ही नहीं आया, लेकिन मेरे ख्याल में अगर राह जाता हुआ आदमी देखने लगे तो उसको प्लान के अन्दर पाठशालायें, सड़कें और दूसरी चीजें तथा अस्पताल इत्यादि नजर आ जाने चाहिये। उनको गिनाने लगूं तो बहुत समय लगेगा, लेकिन भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में एक चीज कह दूँ तो उचित होगा। मान लीजिये हम कुएँ बनाते हैं और उस गाँव में ८० प्रतिशत कुओं पर रुपया लगता है और २० प्रतिशत भ्रष्टाचार में चला जाता है इसके बाद अस्पताल बनाते हैं और ९० प्रतिशत गांव वालों को लाभ होता है और १० प्रतिशत रुपया भ्रष्टाचार में चला जाता है इसके अलावा पाठशालायें बनाते हैं तो उसकी बिल्डिंग्स वगैरह में उसी अनुपात से देख लीजिये तो मालूम हो जायगा कि हां भ्रष्टाचार है, इधर के लोग कहें या उधर के लोग कहें लेकिन सवाल यह है कि क्या इन कामों को रोक दिया जाय जब तक कि ईमानदार पर्सेनल नहीं मिलता है जो इन कामों को पूरी ईमानदारी से चला सके। क्या कोई समय निश्चित हो सकता है कि हम इतने समय में ऐसा पर्सेनल तैयार कर लेंगे जो सोलह आने ईमानदार होगा। कोई ऐसी मशीन है या कोई ऐसी चीज है। यदि कोई ऐसी मशीन होती तब तो मान लिया जाता कि जब तक भ्रष्टाचार दूर न हो तब तक काम रोक दिया जाय। इस बात को कोई भी नहीं मानेगा जब हमें काम करना है तो सोचना यह है कि किस तरह से भ्रष्टाचार दूर हो।

पहली बात तो यह है कि मैंने देखा है कि किसान भाइयो, आपकी धरती जा रही है और आपका श्रम भी लिया जा रहा है। इसी तरह से जब नहर खुदने लगती हैं तो कहने लगते हैं कि इधर से नहीं निकलेगी उधर से निकलेगी। इसमें बीस बीस महीने बिता देते हैं। इससे अफसरों को उत्साह मिलता है। वह सोचते हैं कि इनकी बात मानें या उनकी बात मानें और देखते हैं कि जनता किस के पीछे है और किससे ज्यादा धन मिलता है। इसलिये आप भ्रष्टाचार में एक कदम और आगे बढ़ा देते हैं। अगर आप कहें तो मैं उदाहरण बतला दूं कि कैसे सत्याग्रह किया गया। अगर सचमुच में हम जनता के हितकारी हैं तो मेरी प्रार्थना यह है कि आप सब लोग मिलकर

अपना समय दें और काम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। समय नहीं है अन्यथा मैं योजना बतलाती कि कैसे भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे पास आइये। मैं प्रयत्न कर रही हुँ कि किस तरह से दूर हो सकता है।

दूसरी अन्य चीज यह है कि अगर आप देखे के कहीं काम ठीक नहीं हो रहा है तो आप सुझाव दे सकते हैं और कर्मचारियों से जिस तरह आप चाहें काम ले सकते हैं। मेरी प्रार्थना यही है कि सब लोग सहयोग दें जिससे काम आसानी से चल सके।

एक अन्य चीज हमारे सामने आती है कि ईमानदार पर्सनल कैसे तैयार किया जाय। लोगों में धार्मिकता और सच्चरित्रता का प्रचार करने से यह काम हो सकता है। आप लोग पैसे को ज्यादा महत्व देते हैं सच्चरित्रता को महत्व नहीं देते हैं। एक ईमानदार गरीब होता है तो आप लोग उसके द्वार पर नहीं जाते हैं। अगर किसी ने भ्रष्टाचार से ही पैसा कमाया है और चार कुर्सियाँ हैं तो लोग उसी के पास जाकर बैठेंगे। मेरे पास समय नहीं तो मैं भ्रष्टाचार दूर करने की बात बतलाती।

१३-८-५७

———

श्री मान जो, मैंने पूर्व वक्ताओं का उत्तर तो दिया होता लेकिन चूँकि उनके दोहराने में बहुत समय लग जायगा इसलिए अपने ही कुछ थोड़े विचार आपके सामने रख दूँगी।

आज तो निर्माण का समय है उसमें इस निर्माण विभाग का कितना भारी महत्व है यह किसी से भूला नहीं है। चाहे इस ओर के बैठने वाले हों चाहे उस ओर के बैठने वाले हों, सब इस महत्व को भली-भांति जानते हैं।

मेरा सौभाग्य है कि शिक्षा विभाग में मैंने सदैव कार्य किया। इसलिये अपने अनुभव के आधार पर और इस वर्ष के अन्दर जितनी तरक्की हुयी है उसके आधार पर अपने कुछ सुझाव सदन के सामने रखूँगी।

बहुत सी पाठशालायें खुली बालकों की बालिकाओं की। बहुत से टेकनिकल इन्सटीट्यूशन्स खुले बालकों के लिये और बालिकाओं के लिये भी। इसमें सन्देह नहीं कि जितनी पाठशलाएँ इस वर्ष के अन्दर खुली है शायद पिछले सौ दो सौ वर्ष के दौरान में न खुली हों। इसलिये अवश्य ही हमारी सरकार इसके लिये धन्यवाद की पात्र है। दूसरे इस निर्धन राज्य ने एक सराहनीय स्टेप उठाया है कि इस वर्ष छठे तक की पढ़ाई को बिलकुल फ्री कर दिया है। उसके लिये भी वह धन्यवाद की पात्र है। इसने गरीब राज्य के अन्दर यह स्टेप उठाना ही कितना कठिन है इसको शायद सभी अनुभवी आदमी समझते हैं।

इसकी अधिक चर्चा न करके मुझे तो यह बताना है कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है और क्या हम उसको पा रहे हैं ? हमारा उद्देश्य कम से कम टाइम में पूरी जनता को शिक्षित करना है और बच्चों को इस तरीके से शिक्षित करना है कि वह पढ़ लिख कर अपने आपको खुद बखुद कार्य में लगा सकें न कि एक दर से दूसरे दर पर नौकरियों के लिये घूमें।

तीसरे अपनी पुरानी संस्कृति को देखते हुये हमें यह देखना है कि अपने बच्चों को हम लोग सदाचारी और जनसेवी बना सकें। क्या हम इस त्रिमुखी उद्देश्य तक पहुँच रहे हैं ? इसके लिये हमें देखना होगा कि इस निर्धन देश के अन्दर कम से कम समय में अधिक से अधिक जनता को शिक्षित करने के लिये १५ करोड़ १४ लाख २८ हजार रुपये क्या हैं ? अगर हम १०८ करोड़ रुपया भी जो हमारे पास है पूरे बजट का, उसको भी इसके अन्तर्गत लगा देते तो शायद ही हम अपने उद्देश्य को कम समय में प्राप्त कर सकते। चूंकि मौजूदा ढांचे के अन्दर इसका खर्चा दिन व दिन

बढ़ता हुआ नजर आता है और अगर एक तरफ अपनी भूखी नंगी जनता की तरफ देखा जाय तो क्या उसके ऊपर इससे अधिक बोझा लादा जा सकता है ? एक तरफ तो कपड़ा नहीं और रोटी नहीं और दूसरी ओर करों का बोझ इतना लादें कि उसको वे उठा न सकें। दूसरा प्रश्न हमारे बच्चों का अपने पावों पर खड़े होना है। साधारण पाठशालाओं से निकले हुये बच्चे तो क्या हमारे टेकनिकल इन्सटीट्यूशन्स से जो बच्चे निकलते हैं आज के दिन वे भी एक जगह से दूसरी जगह नौकरी के लिये घूमा करते हैं। इसका कारण यह है कि आज हमारे जो टेकनिकल इन्सटीच्यूज है वह भी दिन व दिन अपने अन्दर कीमती मशीनें लगाते चले जा रहे हैं।

जब विद्यार्थी इन स्कूलों से बाहर निकलता है तब उस गरीब को मालूम नहीं पड़ता कि वह किस तरह से थोड़े खरचे से अपने आपको किसी रोजगार में लगा ले या वह किसी पूँजीपति के पास जायगा या सरकार के पास जायगा कि उसे काम मिले। इसलिये टेकनिकल इन्सटीच्युशज के अन्दर जो कास्टली मशीने लगायी जाती है जिसकी वजह से वह बाहर निकल कर छटपटाता है। मेरा सुझाव है कि सस्ते औजारों से उनको काम सिखाया जाय और ऐसा काम सिखाया जाय जिससे वह बाहर निकल कर अपना काम १०-२० रु० की पूँजी से स्थापित कर सके।

दूसरी चीज यह है कि बच्चों को सदाचारी कैसे बनाया जाय। आज की शिक्षा के अन्दर हम देखते हैं कि बच्चे सेल्फ सेन्टर्ड होते चले जाते हैं और अपने घर वालों की भी गरीबी और दुख को भूल जाते हैं। उनको कैसे जनसेवी और सदाचारी बनाया जा सकता है इस पर विचार करना चाहिये। इसका कारण क्या है ? कारण यह नहीं कि इस प्रदेश के अन्दर त्यागी व्यक्ति नहीं है, इसका कारण नहीं है कि इसके अन्दर बड़े भारी योजना बनाने वाले व्यक्ति नही है सबने बड़ी मेहनत से इस काम को करने का प्रयत्न किया और चाहा कि यह प्रदेश और प्रदेशों का अगुवा होकर चले। फिर भी हम जिस रफतार से चलना चाहते थे उससे न चल पाये। इसका कारण क्या है ? एक ओर तो पूज्य बापू के नेतृत्व में कार्य करने वाले नेताजन और उनकी नीति और दूसरी तरफ ऐसे कर्मचारी जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के नीचे काम किया हुआ था दोनों में सामंजस्य होना जरूर कठिन था। मेरा ख्याल है और माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूँगी कि दो या तीन ऐसी पाठशालायें खोली जाँय जिनको कि गाँधी विचारधारा के अनुसार एक्सपेरीमेन्टल तौर पर चलाया जाय और उन्हें केवल गाँधी विचारधारा के अन्दर सने हुये व्यक्तियों के हाथों में दिया जाय और वे ही उनको चलायें। अगर सफलतापूर्वक ये चलें तो सारे प्रदेश के अन्दर

चलायी जाय। ऐसे आदमी भी मिल सकते हैं लेकिन उनको थोड़ा सम्मान और इज्जत की आवश्यकता होगी।

दूसरे मैं यह कहूँगी कि जो आज की पाठशालायें हैं उनके अन्दर ऐसे उद्योग धंधे रखे जाँय जिनके द्वारा बच्चे कम से कम दो पैसा प्रति घंटा का तो काम कर सकें। यदि ऐसे उद्योग धन्धे रखे जाँय जो केवल समय बिताने के लिये हों या जिनसे थोड़ी सी सजावट की चीज बनायी जाय इससे हमारा कोई लाभ नहीं होता है। अगर हम दो पैसा प्रति बच्चे से काम करायें और २५ बच्चे एक अध्यापक के हाथ में दें तो २) रु० ।–)।। आना प्रति बालक अगर छुट्टी निकाल दें तो भी ६० रु० माहवार प्रति अध्यापक का खर्चा निकल सकता है। इसलिये मैं समझती हूँ कि थोड़ा खर्चा इस तरह से कम हो सकता है।

तीसरे इस विभाग में जो फालतू खर्चा बढ़ा हुआ है उसकी ओर भी ध्यान दिलाना चाहती हूँ। इस प्रदेश के अन्दर बड़े-बड़े कुछ कालेज ऐसे हैं जिनका अपना खर्चा निकल सकता है लेकिन झूठे एकाउन्ट बनाकर वे आपके ऊपर आश्रित रहते हैं और आपसे पैसा लेते हैं। मेरा यह सुझाव है कि दो चार प्राइवेट कालेज की व्यवस्था एक साल के लिये अपने हाथ में लेली जाय और उनको इस तरह कर दिया जाय कि स्टाफ तो वही रहे और सरकारी कालेजों के प्रिंसिपल बदल कर उनमे कर दिये जाँय। मतलब यह है कि दोनों को इन्टरचेन्ज कर दिया जाय। तब प्राइवेट इन्सटीट्यूशन्स और अध्यापकों की हालात का पता लगाया जाय कि किस तरह वहाँ इन गरीबों की व्यवस्था होती है। अगर आप इसको एक्सपेरीमेन्टल तरीके पर देखें तो आपको दो तीन साल के अन्दर विदित हो जायगा कि किस तरह से वे चल रहे हैं।

अन्य सुझाव यह है कि हमारे बच्चे जो बी० ए० पास करते हैं उनको डिग्री देने से पहले अगर एक साल के लिये उनको ग्रामीण जनता मे भेजा जाये जहाँ जाकर वे उनमें शिक्षा फैलायें और उसके बाद परिणाम के आधार पर उनको डिग्रियाँ दी जाय तो इससे देहातों में जनता जल्दी पढ़ लिख सकेगी। जैसा कि और देशों में लड़ाई के जमाने में होता है उसी तरह अगर हम आज अपने देश में अज्ञानता के विरुध युद्ध का समय मान कर अपने बच्चों से कह दें कि वे देहातों में जाकर ग्रामीण जनता को शिक्षा दें तो इससे यह लाभ होगा कि ग्रामीण जनता के बच्चे आसानी से पढ़ लिख सकेंगे और शिक्षा देहातों में जल्दी फैल सकेगी।

चौथी चीज गरीब पौलटिकल सफरर्स के बच्चों के सम्बन्ध में कहनी है। जैसा

हाल ही में मद्रास सरकार ने किया है कि जितना वे पढ़ना चाहें वहाँ तक फ्री शिक्षा ले सकते हैं उनके लिये वैसी ही व्यवस्था इस प्रदेश में भी कर दी जाय।

स्त्रियों के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जब उनकी जनसंख्या की काउँटिंग होती है तो ५१ प्रतिशत गणना होती है और बैकवर्ड क्लास की कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार इनको उनका सरदार माना जाता है लेकिन बजट के आंकड़े उठाकर जब हम देखते हैं तो ७ परसेन्ट रह जाते हैं। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूँगी कि जब बजट तैयार किया जाय तो हमको ७ परसेन्ट न बना दिया जाया करे।

ग्रामीण जनता के लिये प्रशिक्षण के केन्द्र नहीं है। उनको खोला जाय और वहाँ पर स्त्रियों का प्रशिक्षण हो तब फिर हम देश के कोने-कोने और प्रान्त के कोने-कोने के अन्दर यह प्रेरणा दे सकेंगे कि किस तरह से लोग शिक्षित हो सकते हैं। ऐसा करने पर १०-१५ वर्ष के अन्दर प्रत्येक घर में प्राइमरी शिक्षा का खर्च कम हो जायगा क्योंकि स्त्रियाँ अपने बच्चों को स्वयं शिक्षित कर लेंगी।

धन्यवाद।

२४-८-५७

———

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का स्वागत करने और अपने सुझाव देने से पहले माननीय विरोधी दल के नेता ने जो बातें कही हैं उनका उत्तर देना चाहती हूँ। मैं बड़ी आशा से आयी थी कि इस बजट सेशन पर हमारे माननीय विरोधी दल के नेता कुछ अच्छे-अच्छे सुझाव देंगे, लेकिन बहुत निराशा हुई। इसलिये मैं उनकी कुछ बातों का उत्तर देना चाहती हूँ।

पहली बात जो माननीय नेता विरोधी दल ने कही, एस्टीमेटेड बजट एक्सपेंडीचर से असली खरचे का कम होना। अक्लमन्द बजट बनाने वालों का यह कायदा होता है कि जब किसी बजट को वह बनाते हैं तो एस्टीमेटेड खरचे की रकम को असली खरचे से कुछ ज्यादा बनाते हैं ताकि ऐसा न हो कि रास्ते में हमारी कोई स्कीम रुक जाय और जब स्कीमें चला करती है तो खर्चा बड़े संकोच से करते हैं ताकि कुछ बचत हो जाय। यह चार साढ़े-चार करोड़ की जो बचत है वह बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिये यह तो सिर्फ अक्लमन्दी की निशानी है कि इतना हमने बनाया और इतना हमने पूरा करके आपके सामने रख दिया।

दूसरी चीज मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि जो बातें विभागों के आंकड़ों के फर्क के बारे में कही गयी हैं वास्तव में ऐसा होता है कि आंकड़े खड़ी खेती पर लगाये जाते हैं और वह अंदाज से ही चलता है कि इस खेत में इतनी पैदावार हो जायगी और इतना अनाज आ जायगा। इसलिये हमारी सरकार ने सही इत्तिला रखने के लिये ऐसा किया कि भिन्न-भिन्न विभागों के आंकड़े देने के लिए कहा। इसलिये आंकड़ों में भिन्नता आई और दूसरे अनुमानित थे इसलिए भी भिन्नता जरूरी थी और एक अध्यापक के नाते और तजुरबे के नाते मैं बतला सकती हूं कि एक लेबोरेट्री में जब एक्सपेरीमेन्ट किया जाता है और चीजों को तराजू पर तौल कर प्रयोग किया जाता है तो उसमें भी दो आदमियों का एक सा रिजल्ट आ जाय तो यह माना जाता है कि नकल की गयी है। अगर माननीय त्रिलोकी सिंह जी प्रैक्टिकल साइन्स के इम्तहान में होते और मैं परीक्षक होती और इनका नतीजा किसी दूसरे से मिल जाता तो यही माना जाता कि नकल हुयी है और मैं इनको जीरो नम्बर देती।

बजट में इसी प्रकार से हम मान लेते हैं कि अनुमानित यह चीज है और सच्चे आंकड़े बाद में पेश कर देते हैं। भिन्नता इसलिए भी आयी कि डैसमिल का फर्क था और एक्चुअल फीगर बना दिया है ७ को अर्थमेटिकली कर दिया गया है। इसमें इतना फर्क हो जाय तो ठीक नहीं है। प्रैक्टिकल इम्तहान में भी यदि ५ या

या १० फीसदी फर्क हो तो ठीक माना जाता है जबकि प्रदेशीय सरकार ने भी अनुमान लगाया और केन्द्रीय सरकार ने भी अनुमान लगाया यानी हमने भी अनुमान लगाया और उन्होंने भी अनुमान लगाया तो हो सकता है कि सही १३ फीसदी आ गया और कहीं ११ फीसदी आ गया। यह सच्चाई की बात है छिपाकर नहीं रखी है या नकल बनाकर नहीं रखी है।

तीसरी बात मैं नहरों और कुओं की सिंचाई के बारे में कहना चाहती हूँ। जो नहरों और कुओं से सिंचाई करने वाली पिक्चर सामने रखी गयी है वह वाकई में हैरान करने वाली है। अगर माननीय सदस्य गांव में रहे होते तो वह जानते होते कि नहर से कैसे सिंचाई होती है। दोष उनका नहीं है। क्योंकि वह शहर को रिप्रेजेन्ट करते हैं। यदि वह कार में जांय तो सही हालत नहीं मालूम हो सकती है। गाँव में रहने से और गांव की जनता में बैठने से समझ में आयगा कि असलियत क्या है। जब नहर का मेरे भाई अन्दाज लगाते हैं कि ५००) फी एकड़ खर्च पड़ता है और दूसरी तरफ अन्दाज लगाते हैं कि कुयें पर १००) फी एकड़ खर्चा पड़ता है और उपज कुयें की सिंचाई से १० प्रतिशत अधिक होती है। ४० एकड़ पर एक कुआं हो तो वह १००) प्रति एकड़ बैठता है। ४० एकड़ भूमि सींचने वाला कुआं कहां से आयेगा? नहरों से जैसे-जैसे रकबा सिंचाई का बढ़ता जाता है खर्चा कम होता जाता है बाकी चीज समान हो तो नहर के पानी से अधिक उपज होती है। पंजाब में जो खुशहाली है वह बहुत कुछ नहरों के ही कारण है। अगर मेरे भाई ने ऐसा अन्दाज लगा लिया है तो इस यू० पी० का खुदा हाफिज है। इसको बचाने वाला ईश्वर ही होगा। मुझे आशा है कि शायद मैं अपना प्वाइंट क्लीअर कर सकी हूं।

श्री त्रिलोकी सिंह—जी हां, समझ गया, बिलकुल समझ गया।

कुमारी कमलकुमारी गोयन्दी—चौथी बात मेरे माननीय भाई ने यह कही कि उत्तर प्रदेश के कारखाने टूट रहे हैं। मैं निहायत नम्रतापूर्वक बता दूँ कि अगर इसका कारण हम जाने कि ये कारखाने टूट रहे हैं तो शायद हम सबको थोड़ा सिर ही झुकाना पड़ेगा। इसका एकमात्र कारण यह है कि इस प्रदेश की पौलिटिकल पार्टीज़ लेबर को एक्सप्लायट करती हैं और उसके फायदे की बात न बता कर अपने परपज़ को सर्व करने के लिए गलत रास्ता उन्हें बताती है जिसके कारण वहां के कारखाने टूट रहे हैं कीमत के मुकाबले पर न ठहरकर। पंजाब केआंकड़े आप लीजिये तो वहां के कारखाने के अन्दर एक व्यक्ति तीन आदमियों के बराबर काम करता है। इसका कारण उनकी पुष्टि है वे जानते हैं कि ऊपर और नीचे से कितना मिलकर हमको रहना है मालिक और लेबर इन दोनों में समन्वय कैसे लाया जाय। मैं नैनी में

देखती हूँ कि किस प्रकार वहाँ लेबर को भड़काया जाता है। कहीं सोशलिस्ट, कहीं कम्युनिस्ट कहीं दूसरी पार्टियों में किसी एक का नाम नहीं लेती लेबर को चीप पापुलैरिटी के लिये इस्तेमाल करना चाहती हैं।

पांचवीं चीज में स्माल सेविन्स के बारे में कह दूँ। माननीय त्रिलोकी सिंह ने कहा कि पहले १३ करोड़ था और अब पता नहीं क्यों कर सिर्फ ९ करोड़ ही रख दिया। होता यह है कि दूसरे भाई रुपया वसूल करने में इतनी अड़चनें डालते हैं कि कुछ कहना नहीं। वे कहते हैं कि इस निकम्मी सरकार में बिलकुल ईमानदारी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हमारे भाई उन मीटिंगों में जाकर देखें जिनमें बड़ी नम्रता के साथ लोगों को समझाया जाता है और तब उनकी समझ में आयेगा कि कैसी-कैसी अड़चनें उसमें डाली जाती हैं। तो यही कारण है कि अबकी कम रखा। अब इसे आप गरीबी समझ लीजिये।

मैं जवाब तो सब बातों का देती लेकिन समय बहुत ज्यादा लग जायगा और मेरे कहने में देर भी लगती है इसलिये मैं अपने बजट का स्वागत करती हूँ क्योंकि इसके अन्दर पहली चीज़ तो यह है कि ६५० ट्यूब वेल्स बनेंगे। दूसरी यह है कि अध्यापकों को फ्री मेडिकल ऐड मिलेगी, तीसरी चीज़ यह है कि मलेरिया उन्मूलन किया जाय। अनेक ही ऐसी बातों के कारण हम इस बजट का स्वागत करते हैं लेकिन फिर भी मेरे कुछ नम्र सुझाव हैं जिनको मान कर अगर चला जाय तो शायद हम अपने कार्यों को और सफलता से ले जा सकें।

उत्तर प्रदेश की २० फीसदी जनता ऐसी है जिसकी केवल ५ रुपये मासिक आय है। किसी भी वेलफेयर स्टेट के लिये यह जरूरी होता है कि उसकी तरफ पहले ध्यान दिया जाय और मेरा सुझाव यह है कि हम सब जितने भाई बहन इस सदन के सदस्य हैं वे अपने क्षेत्रों में जाकर ऐसी जनता के बीच में रहें और उसकी वास्तविक हालत को देख करके फिर निश्चित सुझाव दें जो कि हमारी सरकार मानने को तैयार होगी। इसी प्रकार अगर हमारे मंत्रिमंडल को भी समय मिले तो कभी-कभी वे भी एक रात के लिये जरूर इस गरीब जनता के बीच में रहें और उनकी वास्तविक हालत को देखें जो सहायता हम उनको पहुँचाना चाहते हैं वह क्यों नहीं पहुँचती? वह इस कारण नहीं पहुँचती कि उस दृष्टि से उस कार्य को नहीं किया गया। नीति बनाने वालों ने नीति बना दी, लेकिन उस नीति को चलाने वाले हैं उनके दृष्टिकोण में फर्क नहीं है। अगर उस नीति को सही ढंग से चालू किया जाय तो हम गाँव को बनाने में अपने को असमर्थ नहीं पा सकते हैं। अगर हम लोग जाकर वहाँ रहेंगे तो सरकारी

कर्मचारी और जनता जोश के साथ अपना कदम आगे बढ़ाने के काबिल हो सकेगी। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि हम लोग यहाँ जाकर रहें।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि यह जो ३१ मार्च का भूत है इसके कारण बड़ा अपव्यय होता है। जितनी भी आपकी स्कीम है उनके लिये मई में ही ग्रान्ट रिलीज हो जानी चाहिये और अक्टूबर तक वह रिलीज होने के बाद कार्यान्वित हो जाय। २८ फरवरी तक सब काम समाप्त हो जाय। इस तारीख के बाद कोई एकाउन्ट न होने का काम होगा उसके बाद नहीं होगा।

आपने ६५० ट्यूबवेल के लिये धन रखा है उसके लिये मेरा सुझाव यह है और मैं अपने तजरबे से यह कहती हूं कि सूखा पड़ा तो मैंने वह चीज देखी है। अगर हम लोग यह कर दें कि इस बजट से कुछ रुपया काट कर पम्पिंग प्लांट के लिये रख दें तो जो बहती हुयी नदियां हैं, तालाब हैं उनके पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है। जब सूखा खेतों में होने लगता है तो उस समय इससे पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। रहट और उसके संबंधित जो इन्डस्ट्री होती है जैसे लोहार का काम हमको उसका प्रचार करना चाहिये उसके लिये लोगों को सहायता देनी चाहिये। इससे रहट का प्रचार हो सकता है। उससे भी जनता लाभ उठा सकती है।

तीसरी बात यह है कि जहां पर नहर समाप्त होती है यहां पर फालतू पानी की निकासी के लिये प्रबन्ध किया जाय। बहुत जगह पर निकासी का ठीक प्रबन्ध नहीं है मैंने अपनी कान्सटीटुएन्सी में देखा है जहां-जहां पर नहर खत्म होती है वहां उसके पानी की निकासी का ठीक प्रबन्ध नहीं है। इससे वहां खेती को नुकसान हुआ करता है। इसलिये नहर के खत्म होने पर उसके पानी की निकासी ठीक होनी चाहिये।

सरकार की बड़ी बड़ी लैंड रिक्लेमेशन्स की स्कीमों के अतिरिक्त जो भूमि छोटे २ बरसाती नालों से कट जाती है उनकी रिक्लेम करने में किसानों को सहायता की जाय। अगर उनकी थोड़ी मदद ही दी जाय तो उससे वह भूमि बड़ी उपजाऊ हो सकती है।

इसके बाद में यह निवेदन करना चाहती हूँ कि जो हमारे पास उद्योग धन्धे हैं उनके लिये जितना पैसा रखा गया है उससे अधिकतर पैसा उन कामों पर लगाया जाय जो किसानों को घर बेघर न करे। घर पर बैठे हुये खाली समय का उपयोग करने के लिये उनको कार्य मिलना चाहिये। चरखे के आधार पर उनको यह कार्य दिया जा सकता है। उससे संबंधित इन्डस्ट्रीज रंगाई धुनाई और बुनाई का का काम है। उनके लिये इसका प्रबन्ध किया जा सकता है। लोहार चमड़ा और लकड़ी का काम आदि वहाँ पर लोग सीख जाँय तो उससे उन किसानों काम बढ़

सकता है। पशुपालन के जो काम हैं गाय भैंस बकरी और सुअर इनका खेती के साथ सम्बन्ध कर दिया जाय तो वे लोग उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैंने देखा कि परदेदार स्त्रियों को भी आज धन्धा ढूंढ़ने के लिये बाहर निकलना पड़ रहा है। यदि अपनी मर्यादा को रखते हुये बाहर औरतों को जाना पड़े तो मुझे उसमें कोई हर्ज नहीं लगता है। इसलिये जरूरत है कि उनको घरों पर कार्य बतायें। लोग इधर ध्यान देंगे अगर उनको अपने घर कार्य करने के लिये मिलेगा।

शिक्षा के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि शिक्षा के सम्बन्ध में जो बिल्डिंग ग्रान्ट होती है वह सारी की सारी अधिकतर बड़े-बड़े शहरों में चली जाती है मेरा नम्र निवेदन है कि शहरों को न देकर गाँवों में जो कालेज और स्कूल खुले हैं, उनमें आप बिल्डिंग और साइन्स की सहायता दीजिये। ऐसा करने से वहाँ की जनता को फायदा होगा और शहरों के होस्टलों में जो भीड़ है वह खत्म हो जायगी। इस तरह से सरकार को बहुत से ऐसे कर्मचारी मिल जायेंगे जो ग्रामीण विचारों के होंगे।

एक और बात मैं शायद समझा न पाऊँ किन्तु कहना यह चाहती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन में जितने लोगों को भरती किया जाय यह पहले देख लिया जाय कि उनमें मिशनरी स्प्रिट है। इसका पता कैसे चले यह सवाल है ? मेरा सुझाव यह है कि विभिन्न विभागों में भरती सबसे लोएस्ट स्टैन्डर्ड से की जाय और उसके बाद तरक्की देकर उन लोगों को और आगे बढ़ाया जाय भले ही उसे जल्दी बी० डी० ओ० बना दें लेकिन भरती लोएस्ट स्टैन्डर्ड से होनी चाहिये। इससे मालूम हो जायगा कि यह देश सेवा की भावना से घर से बाहर नौकरी के लिये निकला है और इसके अतिरिक्त इससे डिगनिटी आफ लेबर भी कायम होगी।

इसके बाद मुझे कोआर्डिनेशन आफ सर्विसेज के लिये कुछ कहना है। माननीय मुख्य मंत्री जी उदार हैं और केन्द्रीय सरकार से बराबर कोशिश करते रहे हैं कि हमको अधिक पैसा दिया जाय और उसमें उनको सफलता भी प्राप्त होती है। ऐसे ही उनको कोआर्डिनेशन आफ सर्विसेज पर जोर देना चाहिये। क्योंकि सवाल यह है कि कोआर्डिनेशन न होने से बहुत से विभागों में खर्च हो रहा है उसको कम करने की जरूरत है। अगर मुझे समय मिला तो मैं अपने सुझाव विस्तारपूर्वक बताऊँगी।

इसके बाद एक शराबबन्दी की बात मुझे कहनी है। जहाँ आप वेलफेयर पर इतना खर्च करते हैं वहाँ यह भी समझ लीजिये कि वेलफेयर पर खर्च है और आप एकदम सारे प्रान्त में शराबबन्दी कर दीजिये। इस आमदनी को खर्च में डाल

दीजिये और अगर आवश्यक हो तो किसी वेलफेयर स्कीम को बन्द कर दीजिये यह कहने की आवश्यकता नहीं कि शराब से बहुत ही नुकसान होता है और इससे सोसायटी के अन्दर बहुत बुराई फैलती है।

इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहती हूँ कि करछना मेरा क्षेत्र है। उसका कुछ एरिया ब्लाक में होते हुये भी उसमें अंकिक तरक्की नहीं हो पा रही है क्योंकि वहाँ सड़कों के न होने के कारण सामान नहीं पहुंच पाता। केवल आठ मील की एक सड़क वहाँ होने की आवश्यकता है रामपुर से कुहड़ारघाट तक। अगर वहाँ सामान आसानी से पहुँच जाया करे तो ब्लाक का काम काफी तरक्की पा सकता है। अभी वहाँ कोई मैटरनिटी सेन्टर नहीं है और न किसी और प्रकार की सहायता पहुँचती है। वहाँ पानी के साधन अनेक जगहों पर नहीं है और इसलिये निवेदन है कि उस क्षेत्र का ख्याल किया जाय और जिस-जिस चीज की आवश्यकता हो वहाँ पहुँचाई जाय।

जो बजट यहाँ पेश है अगर इसका तिगुना भी होता तो कोई खेद की बात नहीं थी। केवल हम लोगों का दृष्टिकोण यही रहना चाहिये कि जो पैसा यहाँ प्रदेश की गरीब जनता के लिये है वह उस तक सही रूप में पहुँच जाय। अगर हम ईमान-दारी से अपने सुझाव इसके लिये देंगे तो उनकी सुनवाई भी होगी। अन्त में मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।

२०-२-५८

---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुये जरा भी सन्देह नहीं होता कि पिछले दस वर्ष में इस विभाग में बहुत तरक्की हुई है। मंत्री जी ने अभी आपके सामने विभाग के आंकड़े रखे, उनसे निश्चय ही कहा जा सकता है कि विभाग के द्वारा काफी तरक्की की गई है। इस ३८-३६ लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जो ६,५५, २३,५०० रुपये का अनुदान मांगा गया है वह अधिक नहीं है और हमारे प्रदेश में जितनी बीमारी है उसको देखते हुये उसके अनुपात में बहुत ही कम है। इस गरीब प्रदेश में हमें यह देखकर चलना चाहिये कि किस तरह से हम यहाँ पर गरीब से गरीब आदमी तक चिकित्सा की सुविधा पहुँचा सकते हैं। मैं इसी विचारधारा को ध्यान में रखकर अपने विचार इस सम्बन्ध में रखूंगी ताकि यहाँ के बड़े नगरों से दूर प्रत्येक गरीब से गरीब आदमी को चिकित्सा की सुविधा मिल सके।

१६५८-५६ के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या १६ लेखा शीर्षक : ३८ चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २० लेखा शीर्षक ३६ जन-स्वास्थ्य।

इसके लिये हमें निश्चित रूप से एक चीज देखनी होगी कि इस सम्बन्ध में गांधी विचार धारा व्यावहारिक है या अव्यावहारिक ? यदि हम गांधी विचार धारा को व्यवहारिक मानते हैं तो हमें यह देखना होगा कि हमारे यह बड़े-बड़े मेडिकल कालेज जिनमें हमारी ट्रेनिंग होती है और बड़े-बड़े शहरों में बने हुये अस्पताल जहाँ पर ज्यादा सुविधापूर्वक इलाज किया जाता है, क्या वह कालेजेस और अस्पताल उन गरीबों तक या जनसाधारण तक सुविधा पहुँचाने वाले हैं या नहीं? आज २५ हजार रुपये का एक बेड है और केवल शहरों में रहने वाले लोगों तक ही वह सुविधा अधिकतर पहुँचती है। अब हमारे यहाँ बीमारों की संख्या इतनी अधिक है तो यह सुविधा आप अधिक लोगों तक नहीं पहुँचा सकते। हजारों आदमी हमारे यहाँ अब भी बिना इलाज के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि 'नेचर नोज नो मर्सी' नेचर तो अपने नियम से चलती है, इसलिये हमें गरीब लोगों की दशा देख कर ही अपने साधनों का नियंत्रण करना है।

मेरा एक सुझाव यह है कि प्रत्येक पंचायत के पीछे एक झोपड़ा बना दें और उसमें जितने सेग्रिगेशन वाले बीमार हैं उनको रखा जाय और पीरियाडिकली डाक्टर पहुँचा करें। इसके अलावा पंचायतघरों में एक आलमारी भी रखी जाय और उसमें

कुछ जरूरी दवायें रखी जांय। कभी-कभी डाक्टर वहाँ पहुँच जाया करें और वहां के मरीजों को उचित सुविधा दिया करें। इस तरह से गरीब से गरीब जनता की भी कुछ मदद हो जायगी। यह कोई ज्यादा कास्टली चीज भी नहीं होगी, गाँव वाले खुद मरीजों को देखभाल कर लेंगे। यदि मेरी विचारधारा से कोई सहमत न हो तो मेरी कांस्टीट्यून्सी में अभी नेत्रों की चिकित्सा के सम्बन्ध में कैम्प हुआ था उसका उदाहरण मैं देती हूँ। अभी अक्तूबर, नवम्बर में हमारे यहाँ दो आई रिलीफ कैम्प हुये, उसमें सरकार को निश्चय ही कुछ समय के लिये एक डाक्टर और कुछ थोड़ी सी दवा भेजनी पड़ी, लेकिन मरीजों को खाने पीने की, दूध की और दूसरी सुविधायें वहाँ की जनता ने स्वयं दीं और थोड़े से खर्च में दो सौ से ऊपर लोगों की आँखें बन गयीं और १५ सौ आदमियों को दवा दी जा सकी। ये वह लोग हैं जिन तक कभी दवा का निशान तक नहीं पहुँचता था और उनकी आँखें बन गयीं। इस तरह की अगर हम कोई विचार धारा बनाते हैं और जनता तक पहुँचाने की कोशिश करें तो सफलता हो सकती है क्योंकि गांधी विचारा धारा यही थी कि हर चीज को जनता के घर तक पहुँचाया जाय। उस तक पहुँचाने में इस प्रकार अपने को समर्थ पायेंगे। २५,००० रुपये प्रति बैड वाले तरीकों से मैं नहीं सोच पाती कि सैकड़ों वर्षों में भी हम वहाँ पहुँच पायेंगे या नहीं। अगर आप एक्सपेरीमेन्ट करना चाहें तो हमारी कांस्टीटुएन्सी ले लीजिये, उसके अन्दर दो डाक्टर दे दीजिये। काम को डिवाइड करके हम आप को बता देंगे कि किस तरह से पूरी कांस्टीटुएन्सी के अन्दर मैडिकल एड पहुँच सकती है।

इसके अलावा मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहती थी। वह यह थी कि हमारी फैमिली प्लानिंग पर बहुत जोर दिया जाता है। फैमिली प्लानिग बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि बढ़ती हुई जनता को देखकर यही लगता है कि पता नहीं किस प्रकार हम संभाल पायेंगे। फैमली प्लानिंग दो ढंग से हो सकती है। एक सेल्फ कंट्रोल जो कि बापू का बताया हुआ रास्ता है, पूर्व के महर्षियों का बताया हुआ रास्ता है। दूसरे सेल्फ इंडल्जेंस जो कि पश्चिम का बताया हुआ रास्ता है। सेल्फ इंडल्जेंस का जो तरीका है इससे जो मनुष्य का प्राकृतिक रूप है उसको बदलना है। ईश्वर बचाये, अगर हमने घर-घर में, गाँव-गाँव में, इस चीज का प्रचार कर दिया तो उसका नतीजा क्या होगा? यह जो आगे आने वाली जनरेशन है, वह शक्तिहीन और विचारहीन होगी। हमारे देश में यह सब अच्छी तरह जानते हैं कि जो अच्छे विचारक लोगों की औलाद होती है, उसके सामने खाने की कोई समस्या नहीं होती। वह पत्थर से भी अपनी रोजी कमा लेते हैं। एक गज भूमि में एक पपीता का पेड़ हो

जाता है जिसमें दो मन पपीता पैदा हो सकता है। दो बिस्वा जमीन में मनों गाजर, मनों आलू और शकरकन्द पैदा हो जाती हैं। सिर्फ आपको गाँव के खाने के ढंग को बदलने के लिए प्रचार करना होगा और फिर यह चीज आपके सामने आ जायगी कि किस तरह से थोड़े अनाज के अन्दर भी काम चल सकता है। जितना मनुष्य खाता-पीता है किसी न किसी रूप में प्रकृति को वह फिर दे देता है। हमारी सांस तक बेकार नहीं जाती। इससे भी पेड़ अपना पालन कर लेते हैं। इसलिए उस नियम के आधार पर हमें सोचना होगा कि किस तरह से गांधी विचार धारा को पुष्टि देनी है। गाँव की विचार धारा को पुष्टि देने के लिए इस देश में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाँव-गाँव के अन्दर धार्मिक विचार धारा है। अगर आप उस धार्मिक विचार धारा को जाग्रत करें तो जनता उसको जल्दी समझ पायेगी। केवल एक प्रयत्न करना पड़ेगा। वह यह कि भजन मंडलियां रखी जांय जो गाँव की जनता में जाकर ब्रह्मचर्य, लेट मैरेज और दूसरी बहुत सी जो आवश्यक चीजें हैं उनका प्रचार कर सकें।

भजन मंडलियों के अतिरिक्त लोगों के पास कुछ ऐसे लिखित पत्र जांय जिनसे उनकी विचार धारा पुष्ट हो और पुष्ट विचार धारा वाले लोग निश्चय ही अपनी रोटी का प्रबन्ध कर लेंगे। आपको उसकी थोड़ी सी चिन्ता नहीं होगी। केवल उस विचार धारा को उस तरफ ले जाना है। अगर दूसरी तरफ आप अपनी विचार धारा को ले जाते हैं तो निश्चय ही अपनी कौम को शक्तिहीन बनायेंगे पश्चिम के आधार पर। यह मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर कहती हूँ। मैं जिस चीज को अच्छी तरह से अनुभव करके देख नहीं लेती हूँ उसके बारे में कहती नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मजबूरी की हालत में कहना चाहती हूँ कि अच्छी से अच्छी विचार धारा, अच्छे से अच्छे ग्रन्थ आपको उस समय दिये गए जिस समय के लोग केवल थोड़ी सी तोला भर राखी खा लेते थे या कन्दमूल फल खाकर जंगलों में बैठकर ग्रन्थ लिखते थे, जिन ग्रन्थों को समझने तक में आज आपको कठिनाई हो रही है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है या जोर का निवेदन है, जिस लहजे में भी समझिये, कि इस विचार धारा को पुष्टि देने के लिए पूरा प्रयत्न कीजिए। इसमें शक नहीं कि आपके प्रोग्राम में वह चीज है, लेकिन उस तरफ ध्यान कम है। उस पर पूरा जोर देने की जरूरत है और प्रचार पर सबसे ज्यादा जोर देने की जरूरत है जिससे कि जनता शक्तिशाली हो सके और इस देश के अन्दर उच्च विचार वाले लोग आ सकें और गान्धी विचार धारा को अपना सकें।

इसके अलावा एक चीज मुझे यह रखनी है कि जितनी आपकी यह मलेरिया

का उन्मूलन करने की स्कीम है उसमें इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि प्रत्येक गाँव में छोटे-छोटे गड्ढे होते हैं और उनमें गन्दा पानी भरा रहता है जिसकी वजह से उसमें मच्छर पैदा बहुत काफी होते हैं। उन गड्ढों को भरवा दिया जाना चाहिये या उनमें किसी किस्म की ऐसी चीज डाल दी जाय जिससे वह मच्छर वहाँ न रहें।

इसके अलावा मुझे अपनी कांस्टीट्युएन्सी के बारे में यह कहना है कि जैसे उत्तर प्रदेश प्रगतिशील माना जाता है और केन्द्रीय सरकार उसको प्रगतिशील समझती है जिससे कम धन उसको प्राप्त होता है, उसी तरह से मैं भी भाग्यशालिनी हूँ कि इलाहाबाद जिले में रहती हूँ और इलाहाबाद जिला यू० पी० में प्रगतिशील माना जाता है और यह सोचकर कि यह प्रगतिशील है और प्रधान मंत्री भी वहीं के हैं तो इसको ज्यादा सुविधा की जरूरत नहीं है। नतीजा यह होता है कि इसको कम सुविधा मिलती है। लेकिन जैसा आपका उत्तर प्रदेश है वैसा ही इलाहाबाद भी है जहाँ पिछड़े हुए इलाके हैं और वह पिछड़े हुए इलाके जमुना पार में स्थित हैं, जो कि मेरी कांस्टीट्यूएन्सी है। पिछले दस वर्ष के अन्दर न कोई सरकारी अस्पताल उस पिछड़े इलाके में खुला। मैं करछना क्षेत्र की बात कर रही हूँ और न उसमें कोई मैटरनिटी सेंटर खुला और न ही कोई डिस्पेसरी वगैरह ही वहाँ है। हमने पिछले बार दो आयुर्वेदिक चिकित्सालय के लिए लिखा भी लेकिन अब तक उसका भी इन्तजाम नहीं हो पाया। रिजेक्ट हो के यहाँ से चला गया कि इस साल तो हो नहीं सकता। ऐसा लगता है उस इलाके में जाकर कि जैसे अभी आजादी आयी ही नहीं, कुछ वर्षों के बाद आयेगी। मेडिकल एड उनको बिल्कुल नहीं पहुँच पाती। पिछली बार मैंने वहाँ का वर्णन भी किया था। इसका केवल एक ही उपाय है और वह यह है कि आउट पोस्ट मेडिकल एड की स्थापना की जाय। मैं आपको धन्यवाद दूंगी अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान उस क्षेत्र की तरफ देंगे। एक तो हम यह चाहते हैं कि मेडिकल आउट पोस्ट वहाँ हो और दूसरे मैं यह चाहती हूँ कि यह जो फैमिली प्लानिंग का तरीका है उसमें सेल्फ कंट्रोल के ऊपर प्रचार किया जाय और तीसरी चीज इस करछना के अन्दर कोई न कोई मेडिकल हेल्थ की सुविधा दी जाय। धन्यवाद !

१०-३-५८

---

केवल १० मिनट समय है मान्यवर, अगर ५ मिनट और मिल जांय तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष—आप भाषण शुरू कर दें। वैसे आपके लिये थोड़ा अधिक समय देने में इन्कार तो नहीं कर सकता।

कु० कमलकुमारी गोईन्दी—मान्यवर, मैं अनुदान संख्या १८ के समर्थन के लिये खड़ी हुई हूँ। इसमें सन्देह नहीं कि सन् १९४६ से लेकर १९५७ तक हमारी सरकार ने असाधारण तरक्की की है। अनेक प्रकार की पाठशालायें खुलीं और दूसरे प्रकार के टेक्निकल इन्स्टीट्यूशन्स भी खुले हैं। इस गरीब प्रदेश के लिये इतना बड़ा काम १० वर्ष के अन्दर कर लेना कोई आसान चीज नहीं है। लेकिन मुझे तो एक खास अपनी विचारधारा प्रकट करनी है कि जहां पर इस तरह की शिक्षा हो जब कि हम लोग अपने ध्येय पर अनिवार्य शिक्षा सब को पहुँचा सकें। कल माननीय मंत्री ने यह कहा कि हम अपनी अनिवार्य शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। जरा हम अपने आंकड़े तो देखें कि १६ करोड़ की धनराशि प्राइमरी शिक्षा पर खर्च होती है। अगर प्राइमरी शिक्षा को आप देखें तो जितने प्राइमरी शिक्षा पाने लायक बच्चे प्रदेश में हैं उनमें से केवल २८ प्रतिशत को शिक्षा प्राप्त हो सकती है। ३२ करोड़ रुपया इस तरफ चाहिये ताकि सब को हम प्राइमरी शिक्षा दे सकें।

हुमायूं कबीर साहब ने जो कहा है उनके कथन पर अगर मनन किया जाय तो हमारे सामने नयी पिक्चर आयेगी। उनका कहना है कि १,४०० रुपये तो एक साधारण प्राइमरी स्कूल पर लगते हैं और ३,५०० रु० बेसिक स्कूल पर वार्षिक खर्च होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ ढाई गुना ३२ करोड़ कर दें तो ८० करोड़ रुपया केवल हमें अनिवार्य बेसिक शिक्षा के लिये चाहिये उस बेसिक के ढांचे पर शिक्षा देने के लिये जिस बेसिक को हम लेना चाहते हैं हमको ऐट प्रेजेन्ट ८० करोड़ रुपये चाहिये। बाकी जो स्कूल हैं उनको अगर हम मिला दें तो जूनियर हाई स्कूल के ऊपर तो १६० करोड़ रुपये केवल इन प्रदेश को शिक्षा के लिये हमको चाहिये जबकि सारा बजट हमारा ११२ करोड़ रुपये का है। उसमें भी १६ करोड़ जो उन्होंने रक्खा है वह निश्चित रूप से ज्यादा से ज्यादा उतना ही रखा है जितना कि उनसे हो सकता था क्योंकि प्रदेश हमारा गरीब है, इस चीज को सामने रखते हुये मुझे आपके सामने यह निवेदन करना है कि अब किस तरह से अपने लक्ष्य पर पहुँच सकेंगे। ऐसा न हो

कि हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब का वह स्वप्न ही रह जाय बल्कि प्रत्यक्ष रूप से हम अनिवार्य शिक्षा यहां ला सकें और जल्दी से जल्दी वह तभी हो सकता है जब कोई ऐसा रास्ता अख्तियार किया जाय जिससे हम कम से कम खर्चे की ओर चल सकें, लेकिन साथ ही साथ अपने अध्यापकों की हालत पर खयाल करते हुये। मैं एक बार फिर पूज्य बापू की तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूँ जिसमें उन्होंने कहा है :—

"If I had the power, I would suspend every other activity in schools, colleges and everywhere else, popularise spinning, prepare out of these lads and lasses spinning teachers inspire every carpenter to prepare spinning wheels, and ask the teachers to take these life giving machines to every home to teach them spinning."

"अगर मेरा राज्य हो तो मैं स्कूल कालेजों का सब काम रोक दूँ और जगह भी, कताई प्रचलित कर दूँ और उन लड़के और लड़कियों को कताई अध्यापक बना दूँ हर बढ़ई को चर्खा बनाने और अध्यापक को चर्खा सिखाने में लगा दूँ।

मुझे पूज्य बापू के इस कथन का सहारा इसलिये लेना पड़ा कि मेरी आत्मा के अन्दर उतना बल नहीं था जिससे मैं कुछ कह सकती। एक स्कूल व एक गाँव में २ हजार की जन संख्या है और उस गाँव के अन्दर से कम से कम १ रुपया प्रति आदमी पर कपड़े का बाहर जाता है। इसका अर्थ होता है कि २ हजार रुपये प्रतिमाह और २ हजार रुपये प्रति माह के अर्थ है २४ हजार रुपये वार्षिक एक गांव के अन्दर से निकल जाते हैं। अगर हम अपने बच्चों के लिये ऐसी चीज रख दें जिससे वे आदतन इस पर आ जांय कि चर्खा कातकर अपना कपड़ा बना सकें और इसको अगर हम कार्यान्वित कर सकें तो फिर खर्चे में थोड़ा सा रास्ता मिलेगा। थोड़ा खर्चा भी इधर से उधर करना होगा और एक आदमी के सामने जो पिक्चर दूँ उसके सामने दूसरी पिक्चर कर दी जाय कि रामराज्य इस तरह से चल सकता है तो कम खर्चे में भी काम चलाया जा सकता है। गरीबी के आंचल में हमको देखना होगा कि किस तरह से हमको अपने प्रदेश को चलाना है। पूज्य बापू के दूसरे कथन को आपके सामने रख दूँ तो शायद बात बहुत क्लीयर हो जाय :—

"I know, many of you have laughed at the idea of making education self supporting by introducing spinning in our schools and colleges. I assure you that it solves the problem of education as nothing else can."

खुद बापू कहते हैं कि बहुत से इस पर हँसते होंगे कि यह जो स्कूल है उसमें हो नहीं सकता है। लेकिन यह चीज उस समय समझ में आती है अगर हम समझ लें कि जब १२ फरवरी को सर्वोदय का दिन हुआ था। उस पर केवल इलाहाबाद जिले में १७ मन सूत दान दिया गया और उसमें से १२ मन सूत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों के बच्चों को दिया हुआ था। अगर इस ओर हम सारे माननीय सदस्य ध्यान दें और इसकी प्रतिष्ठा, हो तो हमारी सरकार की तरफ से कोई अड़चनें नहीं होंगी। साथ ही रास्ता साफ हो जायगा कि हमको इस चीज को लेकर चलना है। तो पहले हम बेसिक चीज चर्खे को लें, तब हम साधारण तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिये दूसरी चीज हमको यह भी देखनी है कि बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जाय। चर्खे और दूसरे क्राफ्ट के जरिये से प्राइमरी एजूकेशन अधिकतर जबानी दी जाय उनका ब्रेन ज्यादा से ज्यादा फरटाइल हो सके। अब रही जूनियर हाई स्कूल और हायर सेकेन्डरी स्कूल की शिक्षा। उसका टाइमटेबिल इस तरह से होना चाहिये कि एक पीरियड हमारा पढ़ाई का हो और दूसरा पीरियड हमारे किसी क्राफ्ट का हो। इसमें आप निश्चय ही याद रखिये कि जो आजकल पढ़ाई होती है उसमें पहले पीरि-पीरियड में जो पढ़ाई होती है उसके बाद अगले पीरियड के बाद वह पिछड़ी पढ़ाई भूल जाता है। इसलिये अगर एक पीरियड में पढ़ाई होगी तो दूसरे में बैठ कर मनन कर सकें दूसरों के साथ में जिससे कि पहले पीरियड की हुई पढ़ाई उसके सामने प्रत्यक्ष रूप में आ जाय और उसका दिमाग साफ हो जाय कि मैंने पिछले पीरियड में क्या पढ़ा था यह हमने बिलकुल करके देखा हुआ है कि इस तरीके से दो साल की पढ़ाई ६ महीने के अन्दर हो जाती है अगर मनन करने का साथ-साथ टाइम दे दिया जाय।

तीसरी चीज हमको हायर सेकेन्डरी एजूकेशन के बारे में कहनी है जो कि यूनिवर्सिटी की एजूकेशन है। यूनिवर्सिटी की एजूकेशन में तीन चीजें आती हैं। एक तो टेक्निकल एजूकेशन, उसमें मैं यह कहना चाहती हूँ कि वह ज्यादा से ज्यादा कारखानों के अन्दर ही दी जाय और जहाँ-जहाँ प्रेक्टिकल एजूकेशन सम्भव हो वहाँ दी जाय। टेक्निकल कालिज इतने खुल भी नहीं सकते हैं और जितने खुले भी हैं उनमें ट्रेनिंग पाने के बाद जब वह ट्रेंड होकर आ जाते हैं कि उनको उन्हीं फैक्टरियों में ट्रेनिंग दी जाय तो प्रेक्टिकल रूप में भी उनको ट्रेनिंग मिल जायगी और हम इस प्रकार से डिग्निटी आफ लेबर भी स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि शुरू से ही उन्होंने उन कारखानों में काम करना सीखा और वहीं उन्हें काम दे दिया गया। इससे यह भी फायदा होगा आप के ऊपर से बड़े-बड़े कालिज खोलने का वजन हट जायगा।

इसके अलावा हमें आपके सामने यह रखना है कि जो कालिज पास हुये बच्चे

होते हैं हायर सेकेन्डरी एजूकेशन पास बच्चे होते हैं उनके दाखिले से इन्कार तो न किया जाय। जो भी थर्ड क्लास पास बच्चे दाखिल होना चाहें उनको अपनी फीस के अलावा एक और बच्चे की फीस पहले जमा करनी होगी। जैसे २ लाख रुपये आपने बजट में रखे और ४ हजार बच्चे हैं ५० रुपये फी बच्चा खर्च पड़ता है तो १०० रुपये वह जमा कर दे तो दाखिल हो जाय जिससे कि आपके ऊपर खर्चे का कुछ बोझ कम हो सके।

इसके अलावा जो मौजूदा शिक्षा है उसमें क्या-क्या तरक्की होनी चाहिये यह भी मैं बतला देना चाहती हूँ। पहली बात यह है कि भारतीय स्तर पर नागरी लिपि और हिन्दी शब्दों तथा अंकों का रूप निर्धारित होना चाहिये इसका अर्थ यह है कि जो भी सुझाव आप नागरी लिपि के बदलाव में देना चाहते हों वह केन्द्रीय सरकार को दिये जांय और जब केन्द्रीय सरकार उनको मान ले तब आल इंडिया स्तर पर वह स्टैंडर्डाइज हो जाय, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बच्चे भारतवर्ष के हर कोने में जायेंगे। अगर लिपि में थोड़ा बहुत भेद रहा तो उनको समझने में कठिनाई होगी। इसलिये जो भी लिपि हो वह स्टैंडर्डाइज हो। अगर ब्लैकबोर्ड होता तो मैं बता देती कि अभी जो चेन्जेज आपने माने हैं उसमें ए और ऐ में कितना फर्क पड़ रहा है।

दूसरी चीज हमें यह कहनी है कि मिलिटरी और शान्ति सेना, इन दोनों की ट्रेनिंग साथ-साथ हो। इस सम्बन्ध में प्लेटो का कहना मुझे याद आता है। उसने कहा है—

"The beginning is the most important part of any work, especially in the case of a young and tender thing for that is the time at which the character is being formed and the desired impression is more readily taken. Shall we just carelessly allow children to receive into their minds ideas the very opposite of those which we should wish them to have when they are grown up?"

इस सारे का मतलब यह है कि बच्चों को जो भी सिखाया जाता है उसका उनके ऊपर गहरा असर पड़ता है और जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं उससे एकदम उल्टा अगर हम सीखने देंगे तो बड़े होकर उनके वैसे ही भाव हो जायेंगे। इसलिये अगर दुनिया को आप पीस की ओर ले जाना चाहते हैं तो बच्चों के अन्दर भी वही भावना आपको पैदा करनी होगी।

तीसरी चीज हमको यह कहनी है कि जब तक हमारे वेतनों में फर्क है तब तक फीस की माफी में भी फर्क होना चाहिये, जैसे १५० रुपये से नीचे वालों की सबकी फीस माफ हो जाय और ५०० रुपये तक वालों के बच्चों की फीस माफ न हो और ५०० रुपये से ऊपर वेतन वालों के बच्चों की फीस डबल होनी चाहिये। २१-३-५८

———

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या २७ लेखा शीर्षक ४३ उद्योग के अन्तर्गत ५,५७,७४,००० रुपये की माँग को स्वीकार करने के समर्थन में खड़ी हुई हूँ। मान्यवर, मुझे कहते हुये यह जरा भी सन्देह नहीं होता कि स्वतन्त्रता के १० वर्ष के अन्दर इस प्रदेश ने उद्योग धन्धों में सराहनीय काम किया है और यहाँ के कर्मचारियों ने किस लगन और किस मेहनत के साथ इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है उनकी तारीफ में मैं अधिक न कह कर क्योंकि इन उद्योगों की तारीफ में मैं किताबें लिख सकती हूं मैं कुछ अपने सुझाव दूँगी और उसके अन्दर जो कठिनाइयां हैं वह मंत्रिमंडल के सामने रखूंगी ताकि उनका कुछ समाधान किया जा सके।

इस प्रदेश में अनेक उद्योग धन्धे हैं, जिनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं—खादी, गुड़, खंडसारी, चर्म, मुरादाबाद के बर्तन, आगरे के जूते, अलीगढ़ के ताले, मेरठ का स्पोर्ट्स काम इत्यादि। इनमें से ४-५ के ऊपर मैं अपना मत व्यक्त कर सकूँगी।

सबसे पहले आप खादी का उद्योग ले लीजिये। केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकार ने इसके लिये काफी धनराशि रखी है और एक एक्सपर्ट कमेटी भी केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त की गयी है और उसमें खादी के तपे तपाये वर्कर्स रखे गये हैं। इस प्रदेश के अन्दर भी उसी तरह के तपे तपाये खादी के कार्यकर्ताओं की एक कमेटी बना दी गयी है और उसी के नीचे हजारों की संख्या में खादी वर्कर्स काम कर रहे हैं। किस ईमानदारी और किस लगन से वे कार्य करते हैं यह कहने से ऊपर है। दुनिया के अन्दर एक मिसाल है कि इतने बड़े स्तर के ऊपर इस कार्य को उतनी लगन और उतने स्नेह के साथ करने वाले इतने लोग हैं। हमारी सरकार भी उनकी मान्यता करती है और मान देती है। हमारे खादी उद्योग में से मुख्य कार्यकर्ता तो हमारे मंत्रिमण्डल में रखा हुआ है जो अपनी ईमानदारी और कार्यदक्षता से खादी को पूरे प्रदेश में प्रोत्साहन देता है।

निस्संदेह इस प्रदेश के अन्दर जितनी मेहनत हुई और जितने धन का व्यय हुआ उसमें जितना हम चाहते थे कि इतना लाभ हो, या जितना उसके अनुपात में लाभ की हमें आशा थी, उतना नहीं हो सका। सिर्फ यह चीज गौर से देखनी है कि उतना लाभ क्यों नहीं हो सका और उसको लाने के लिये क्या किया जाय। यह लाभ इस कारण नहीं हो सका क्योंकि इस क्षेत्र में जो हमारी रहनुमाई करने

वाले नेता हैं उन्होंने एक खास दृष्टिकोण से खादी का काम किया है। वह दृष्टिकोण यह था कि बड़े-बड़े शहर जैसे बम्बई, लखनऊ, कानपुर आदि के टेस्ट के मुताबिक खादी बनायी जाय ताकि उन शहरों में वह बिक सके। खादी गरीब के लिये भी है इस ओर उनका कोई खयाल नहीं था कि उन तक खादी किस तरह से पहुँचाई जाय। यह ठीक है कि हमारे रहनुमाओं ने बापू जी की सेल्फ सफिशेन्सी की बात को सुना है और उसको अपने जीवन में लागू भी किया है लेकिन एक-एक घर में खादी कैसे पहुँचाई जाय। यह ठीक है कि हमारे रहनुमाओं ने बापू जी की सेल्फ सफिशेन्सी की बात को सुना है और उसको अपने जीवन में लागू भी किया है लेकिन एक-एक घर में खादी कैसे पहुँचाई जाय इसमें उनको कठिनाई पड़ रही है। इसके लिये मेरा एक सुझाव है कि गाँवों में जो हमारे जुलाहे हैं उनको उस किस्म का माड़ लगाना सिखाया जाय जिससे फ्लाइ शटल पर हाथ का कता सूत आसानी से चल सके। आज दिक्कत यह है कि हाथ का कता हुआ सूत फ्लाइ शटल पर नहीं चल पाता। मैं इसलिये यह सुझाव दे रही हूँ कि जो हम लोग वीवर्स की ट्रेनिंग देते हैं और जो अम्बर चर्खे की ट्रेनिंग देते हैं उसकी बजाय इसको कर दें तो खर्चा कम होगा और यह चीज ४-६ दिनों के अन्दर ही जुलाहे व बुनकर अपने-अपने स्थानों पर सीख सकते हैं और खादी को आगे बढ़ा सकते हैं।

दूसरी आजकल बड़ी भारी अड़चन प्रमाणित होने में पड़ रही है। नये-नये केन्द्रों के बजाय उन लोगों को प्रमाणित कर दिया जाय जो खादी का काम करना चाहें। मैंने इस सम्बन्ध में भारत भर की सभी जगहों की स्त्रियों से चर्चा की है और एम० एल० ए० लोगों से भी चर्चा की है कि खादी के अन्दर उनको खास दिक्कत क्या पड़ती है। उनका कहना है कि प्रमाणित करने में बहुत दिक्कत पड़ती है मुझे अपने यहाँ का तो अनुभव था ही, केरल की एक बहन ने भी इसको साफ कर दिया कि हमने ५ साल तक प्रयत्न किया लेकिन हमारा केन्द्र प्रमाणित नहीं हो पाया। जब केन्द्र प्रमाणित नहीं होता है तो जो सहूलियतें इन केन्द्रों पर मिलती हैं वे आम तौर पर नहीं मिल पाती हैं। अगर हम खादी को लोकप्रिय बनाना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि जो लोग इसे भी करना चाहें उनको हम प्रमाण पत्र दे दें। यह जरूर है कि उन पर बड़ी निगरानी रखी जाय और कहीं भी मिलावट हो तो उनका प्रमाण पत्र छीन लिया जाय।

दूसरी चीज खादी को प्रिय बनाने की बात है। गाँव-गाँव में इसको प्रचलित करने के लिये जितने माननीय सदस्य यहाँ पर हैं उनके घरों में खादी का प्रयोग होना चाहिये और एक उदाहरण सबके सामने रखना चाहिये। दूसरे एक चीज और

करें कि हम चर्खे को होल टाइम बिजनेस न समझें बल्कि सिर्फ उस समय के लिये समझें जब दूसरा काम न मिलता हो या जिस समय के लिये अधूरा काम हमारे पास हो या स्त्रियाँ अपने घर में बैठे-बैठे इसको करें।

हमारी सरकार इसके लिये धन्यवाद की पात्र है कि गुड़ खांडसारी की केवल १० ही वर्षों में इतनी बढ़िया क्वालिटी बनने लगी है पहले बहुत घटिया क्वालिटी मिलती थी लेकिन आजकल बढ़िया से बढ़िया गुड़ मिल जाता है। इसके लिये मुझे सुझाव यह देना है कि जो अच्छे-अच्छे कोल्हू बनते हैं उनको हायर परचेज सिस्टम पर किसानों को दिया जाय और जो पैन तथा छोटी सेन्ट्रीफ्यूगल मशीन्स है उनको भी इसी सिस्टम पर दिया जाय। यह प्रथा चालू की जाय जिससे जो किसान खरीद नहीं सकते हैं उनको भी आसानी हो जाय।

दूसरी चीज हमें यह कहना है कि यूनियन गवर्नमेंट से रेलवे का किराया गुड़ और खांडसारी के लिये मंडियों में पहुँचाने के लिये कम करवा दिया जाय। ताड़ का गुड़ बिलकुल बन्द कर दिया जाय क्योंकि वह ढाई तीन रुपये सेर पड़ता है। इसलिये बहुत मँहगा पड़ता है। मैं माननीय गेन्दासिंह जी से गुड़ के बारे में तो रोज सुनती हूँ लेकिन यह सुनने में नहीं आता है कि इसका प्रयोग किस प्रकार से बढ़ाया जाय। इसी तरह से इसकी तरक्की हो सकती है। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूँगी कि जितनी लेजिस्लेचर की और पार्टियां होती हैं उनमें गुड़ और खांडसारी की बनी चीजें इस्तेमाल की जांय तभी हम इस उद्योग को प्रोत्साहित कर सकते हैं। एक तो इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि गुड़ में काफी पौष्टिक तत्व हैं और दूसरे मैं स्वयं खड़ी हुई हूँ जिसने जन्म से चीनी नहीं खाई और मैं कोई दुबली पतली नहीं हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे कोल्हू मिल रहे हैं जो ७० प्रतिशत से लेकर ८५ प्रतिशत तक रस निकाल देते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूँगी कि ऐसे कोल्हू मुझे दिखा दिये जांय।

इसके अलावा चर्म का उद्योग है। यह काफी तादाद में उत्तर प्रदेश में बनता है। खादी के बारे में तो मेरी काफी जानकारी थी लेकिन इसमें मेरी जानकारी नहीं है। मैं अपने क्षेत्र कर्मा और करछना में जब पहुँची तो मैंने बिल्डिंग बनी पायी और मैंने पूछा कि काम इसमें क्यों नहीं चलता। यह मंदिर है इसमें पुजारी क्यों नहीं आया है? क्या कारण है? लोगों ने बताया कि कर्ज की प्रथा ठीक नहीं है इसमें इंडिविजुली और कलेक्टिवली दोनों की जिम्मेदारी है, इसलिये इसमें रुकावट हो रही है। मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट इस कर्जे की नीति में कोई सुधार करे। ट्रेनिंग के ऊपर काफी रुपया खर्च हुआ है। वह बेचारा दरवाजे पर घूमता फिरता है नौकरी के लिये इसी

तरह से अनेक जगह बिल्डिंग बनी हुई है यानी मंदिर खड़े हैं लेकिन पुजारी नहीं है। इसलिये इस कर्जे की प्रथा में सुधार कर दिया जाय।

दूसरे मेरी कम बुद्धि के कारण जो मैंने इस रिपोर्ट के १७० पृष्ठ पर पढ़ा है और इसमें मैंने देखा कि उत्पादन चमड़े का ११,१०,८१७ है और काम करने वाले १,११,३२४ हैं और प्रति दिन प्रति व्यक्ति मजदूरी ढाई तीन रुपये हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आई माननीय मंत्री जी इन आंकड़ों पर रोशनी डालने की कृपा करें।

इसके बाद मैं आपको एक जरूरी बात बतलाना चाहती हूँ जो स्पोर्ट के विषय में है। हिन्दुस्तान में स्पोर्ट का बिजनेस पहले स्यालकोट में केन्द्रित था जो सारी दुनिया को माल सप्लाई करता था। केवल स्यालकोट में १ लाख रुपया रोजाना इस बिजनेस से आता था। जिस वक्त यह पार्टीशन हुआ तो उस समय लोगों ने यह चाहा कि हम उत्तर प्रदेश में बस जांय। कारीगर तो वहीं रह गये लेकिन जो आर्गनाइजर थे वे यहाँ आये। उन्होंने कच्चे सामान की सुविधा और सेक्योरिटी के लिहाज से यहाँ पर सैटिल होना मुनासिब समझा। हमारी सरकार ने जितना इसमें दखल दिया उतना ही उसको नुकसान पहुँचा। यह स्पोर्ट का बिजनेस पढ़े लिखे लोगों के हाथ में है। वह मेरठ में आकर बसे और वहाँ पर अपने काम को स्टैब्लिश किया और अब वहाँ से जा रहे हैं। इस वक्त इसकी पोजीशन यह है कि ४०-५० लाख रुपया का माल जालन्धर से फॉरेन कंट्रीज को जा रहा है और केवल १,१॥ लाख रुपये का सामान यू० पी० से बाहर जाता है। वे लोग पहले यहाँ यू० पी० में स्टेब्लिश होना चाहते थे लेकिन बाद में सहूलियत न मिलने के कारण वे जालन्धर में जाकर बस गये। अब क्या होता है? सरकार अपने कारखाने खोलती है और बहाने से कि एक्सपर्ट गाइडेन्स देगा इसका काम करने वाले वर्ल्ड स्टैंडी किये हुये हैं और करते हैं। उसी के मुताबिक क्वालिटी और कीमतों में दुनिया को लीड करते हैं। इसको हमारी सरकार के कार्यकर्ता क्या एक्सपर्ट गाइडेंस देंगे। मेरा सुझाव यह है कि सरकार केवल अपनी फैक्ट्री में वह सामान बनाये जो आगे फैक्टरीज में नहीं बनता। यह बिजनेस बड़ा पेइंग है तो इसके लिये मेरा सुझाव यह है कि गवर्नमेंट को यह करना चाहिये कि उन लोगों को सामान बनाने के लिये सहायता दे। जो सामान यहाँ पर आगे नहीं बनता था या अच्छा नहीं बनता था उसके लिये सरकार को मदद करनी चाहिये। सरेस हिन्दुस्तान में अभी तक अच्छा नहीं बनता है। फारेन कन्ट्रीज में सरेश अच्छा बनता है। वही उसके लिये वहाँ से मँगाते । शहतूत के पेड़ उसके काम में आते हैं तो उनको

नहरों के किनारे लगाया जाय। सरकार की इस तरफ कोशिश होनी चाहिये और सरकार इस बिजनेस को यहाँ पर स्टैब्लिश करे। इस बिजनेस के लिये इन दो चीजों की बड़ी जरूरत पड़ती है। एक तो शहतूत की लकड़ी और दूसरे सरेश। अगर इन दोनों चीजों का उत्पादन यहाँ पर कर लिया जाय तो इससे बहुत लाभ प्रदेश को हो सकता है।

दूसरी बात मुझे इसके बारे में कहना है। फैक्ट्रीज में जिस प्राइस पर चीज बनती है और फैक्ट्रीज पर बाहर कंज्यूमिंग डिपार्टमेन्ट को रेट सरकुलेट किये जाते हैं उसमें रिटेलर को बिल्कुल निकाल दिया जाता है। जब रिटेलर को निकाल दिया जाता है तो फैक्ट्री का माल यहाँ तक पहुँचाने वाले के लिये उसी रेट पर मुनाफे की कैसे गुंजाइश रह सकती है? मारकेट में उसी रेट पर चीजें कैसे मिल सकती हैं? इसलिये जरूरत इस बात की है कि हमारी सरकार जब रेट लगाये तो रिटेलर के प्राफिट को भी जरूर जोड़कर रेट लगाये ताकि वह स्टैब्लिश हो सके। इसी तरह का हाल सर्जकल इन्स्ट्रूमेंन्ट के बारे में है। इसलिये मेरा ख्याल है कि माननीय मंत्री जी इस तरफ जरूर ध्यान देंगे।

इसके अलावा एक सूचना कारपेट इंडस्ट्री के लेबरर्स की स्ट्राइक के बारे में मिली। उसके लिये उन बातों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। मिर्जापुर में जो कालीन का काम है वह फारेन कन्ट्रीज के ऊपर निर्भर करता है। उनका अधिक माल यू० एस० ए० जाता है और कुछ जगह भी जाता है। एक चीज यह देखने की है कि अगर मजदूरों को भरपेट रोटी खाने को नहीं मिलेगी तो वह काम नहीं करेंगे। दूसरी चीज यह है कि एक्सपोर्ट करने के लिये जो माल है उसके रेट ठीक हों। मेरे ख्याल में लेबरर्स को कम मजदूरी कटथ्रोट कम्पटीशन के कारण ही दी जाती है। जहाँ ऐसा होता है वहाँ रेट्स कम हो जाते हैं और उनको पूरा पैसा नहीं मिलता और नतीजा यह होता है कि वह इंडस्ट्री ही समाप्त हो जाती है तो इसके लिये आप तीन आदमियों की एक्सपर्ट कमेटी बनाइये जिनमें एक प्रतिनिधि उनका हो जो माल बाहर सप्लाई करते हैं, दूसरा प्रतिनिधि मजदूरों का हो और तीसरा आपका प्रतिनिधि हो कि जो देखे कि इंडस्ट्री किस तरह जिन्दा रहती है और वह लाखों आदमियों की परवरिश करती है। इसके बाद जो इसके नेशनलाइजेशन की बात कही गयी, उससे यह इंडस्ट्री चलने वाली नहीं है। यह तो घरेलू उद्योग है।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप दो, तीन मिनट में अपनी बात कह दीजिये।

कुमारी कमलकुमारी गोइन्दी—अब मैं गवर्नमेंट प्रेस के कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह कहना चाहती हूँ कि पहले तो उनको तीन साल के अन्दर

स्थायी करने का प्रयत्न किया जाय। दूसरे, वहीं के कर्मचारियों को तरक्की दी जाय। जैसे असिस्टेन्ट बाइन्डर को ही बाइन्डर बनाया जाय और बाहर से भरती न की जाय या कम से कम की जाय। बाकी, छोटी फैक्ट्रीज के बारे में मुझे यह कहना है कि उनको रा मैटिरियल आसानी से मुहय्या होना चाहिये। जब तक वह लोहा और कोयला आदि का इंतजाम करते हैं तब तक कभी-कभी वे बन्द रहती है और उसके कारण काफी क्षति हो जाती है। छोटे कारखानों के लिये कोयले और लोहे की सुविधा उन्हीं के निकट ही होनी चाहिये और उन्हें आसानी से परमिट आदि मिलने चाहिये। इसमें दिक्कत होने से उनकी इन्डस्ट्री को डिसकरेजमेन्ट होता है। इसके अलावा जो माल छोटे कारखाने बनाते हैं उनको बड़े कारखानों को नहीं बनने देना चाहिये। इसके अलावा हमें उत्तर प्रदेश में हड़तालें खत्म करने के लिये कड़े अनुशासन की आवश्यकता है। समय और इंडस्ट्री की माँग को देखते हुये हमें एक यह निश्चय भी लेना चाहिये कि लेबर को डेली वेजेज या मासिक नौकरी पर तनख्वाह न दी जाय बल्कि एक यूनिट तय कर दी जाय और जितनी यूनिट वह मजदूर काम करे उस हिसाब से उसको मजदूरी दी जाय। जैसे कपड़ों के कामों में आप तय कर दें कि यदि वह ५ गज कपड़ा बना ले तो उसे एक दिन की मजदूरी दी जाय, यदि वह १० गज बना लेता है तो उसे दो दिन की मजदूरी दी जाय। इस तरह से झगड़े समाप्त हो जायेंगे क्योंकि अभी मैनेजमेंट चाहता है कि काम ज्यादा हो और मजदूर चाहते हैं कि काम कम हो और मजदूरी ज्यादा हो तो उत्तर प्रदेश की समस्या नेशनलाइजेशन सिस्टम के सिवाय और किसी तरह से हल होने वाली नहीं है। इसलिये काम के यूनिट तय होने चाहिये। इसके अलावा इंडस्ट्री में जो इंस्पेक्टर आदि हैं वे काम के लिये हेल्पफुल न होकर अनहेल्पफुल हो रहे हैं। रिकन्सीलिएशन कमेटी आपकी इस तरह की होनी चाहिये कि जिसमें एक मालिकों का रिप्रेजेन्टेटिव हो, एक लेबरर्स का हो और एक सरकारी नामिनी रहे और वह कमेटी वहीं आप से स्पाट जाँच करके मामले को समाप्त कर दें।

इस निवेदन के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करती हूँ और आशा करती हूँ कि कटौती का प्रस्ताव जिन माननीय सदस्य ने रखा है वह उसे वापस लेंगे।

२५-३-५८

———

कुमारी कमल गोइन्दी उपाध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा सा टाइम अधिक दे दीजिएगा।

श्री उपाध्यक्ष :—आम तौर पर १० मिनट हैं, आप १५ मिनट ले लीजिएगा।

कुमारी कमल कुमारी गोइंदी :—

धन्यवाद

माननीय उपाध्यक्ष, महोदय मैं कुछ बहुत ज्यादा बातें तो नहीं करना चाहती थी क्योंकि जिस समय प्रदेश के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति पड़ी हो उस समय बातों से क्या मतलब, कामों से मतलब होना चाहिए। लेकिन जब मैंने माननीय सदस्य गेंदासिंह जी का भाषण सुना तो मेरे मन में कुछ थोड़ी सी बेचैनी हुई और मैंने सोचा कि कुछ थोड़ी सी बातों पर उत्तर दे देना चाहिए। मैंने यह भी सोचा कि कुछ थोड़ी सी बातें अपने क्षेत्र के मुताल्लिक और कुछ साधारणतः और क्षेत्रों के लिये भी कह दूँ।

पहली बात माननीय गेंदासिंह जी ने कही कि किसी कलेक्टर ने ऐसी कोई मीटिंग नहीं की जिसमें प्रतिनिधि और जिले के और आदमी मिलकर इस ड्राफ्ट के बारे में बातचीत कर सकें। मैं माननीय गेंदासिंह जी का बहुत आदर करती हूँ लेकिन जहाँ तक मुझे ज्ञात है मेरे जिले में रैना साहब जो हमारे यहाँ कलेक्टर थे उन्होंने मीटिंग बुलायी थी और उस मीटिंग के अन्दर हम लोगों ने अपने सुझाव भी रखे थे। मैं आप लोगों से यह बतला देना चाहती हूँ कि मेरा क्षेत्र वही है जिसको आज यू० पी० गवर्नमेन्ट ने सबसे अधिक स्केयरसिटी एरिया डिक्लेयर किया है यानी मेजा और करछना। मैं प्रत्यक्ष रूप से बता देना चाहती हूँ कि मीटिंग हुई। एस० डी० ओ० अलग-अलग से गये और यह उन्होंने लिखा कि कहां पर से कितनी-कितनी फसल खराब हुई और मैंने दौरा करके अलग लिखा और फिर दोनों ने मिलकर फसल के नुकसान का निश्चय किया। यह जरूर है सब कुछ नहीं किया जा सकता था। ऐसा मेरे यहाँ हुआ बाकी जिलों की मैं नहीं जानती।

दूसरी बात मैं बहुत आदर पूर्वक यह कहना चाहती हूँ कि माननीय गेंदासिंह जी ने यह कहा अपने भाषण में कि जिनके पास एक एकड़ से कम जमीन है उनको एक रुपये से पाँच रुपये तक लगान देना था। और उस लगान की वसूली के लिये

मुर्गा बनाया जाता है। और उनकी बुरी दशा की जाती है। मैं उनसे बहुत आदर पूर्वक यह पूछना चाहती हूँ १ साल में ३६५ दिन होते हैं और माननीय गेंदासिंह जी ने यह कहा था कि एक परिवार में ६ सदस्य होते हैं। तो अगर एक परिवार के लोग साल भर तक खर्च करने लगें तो वह कितने रुपये खर्च करते होंगे। वह २ सौ सवा २ सौ से कम नहीं होता। एक रुपये या ५ रुपये तो होते नहीं हैं। इसके ऊपर पूरा १ घंटा लगा दिया जाय। लेकिन मैं यह कहती हूँ कि परिवार का निर्वाह एक एकड़ भूमि पर नहीं हो सकता है। यह आप बिलकुल याद रखियेगा कि वे कोई न कोई अन्य साधन रखते हैं यहाँ कोई न कोई साधन उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। तब तो वह बेचारे किसी तरह से चला पाते हैं। इससे यह न समझ लीजिएगा कि हम उनको हालत से संतुष्ट हैं लेकिन हम यह मानते हैं कि आज उनकी जो हालत है उसमें एक या दो रुपये की सहायता कर देने से उनकी हालत नहीं सुधर जायेगी। यह रियल्टी है। हमको ज्यादा टाइम इस चीज के लिए देना चाहिये था कि उनको काम दिया जाय। यह तो उनकी आड़ लेकर कुछ बड़े आदमियों का फायदा है जिनको ज्यादा लगान देना पड़ता है। और जो ऐसे आदमी हैं उन्हीं की जबान में दम है। वही बोल सकते हैं। इसलिये सवाल यह है कि आखिर उन्हें किस तरह से काम दिया जाय। इस पर सारा दिन व्यतीत होना चाहिए था।

तीसरी चीज माननीय गेंदासिंह जी ने यह कही कि लोगों को ४ से ८ आना रोज की मजदूरी मिलती है। लेकिन मैं कह देना चाहती हूँ कि मेरे जिले में ऐसा नहीं हुआ है वहाँ पर पीस वर्कस के हिसाब से बेजेज दी गयी। कन्ट्रैक्ट सिस्टम पर काम हुआ। १०० घनफिट भूमि खोद डालने के लिये एक रुपया ५ आना मजदूरी दी गई। इससे काम भी अच्छा हुआ और लोगों ने एक रुपये से दो रुपये रोज कमाया भी मैं यह नहीं कहती कि सब जगह काम मिल गया, लेकिन जहाँ-जहाँ काम किया गया संतोषजनक रहा।

श्री उपाध्यक्ष :—यह टेस्ट वर्क स्कीम थी।

कुमारी कमल कुमारी गोइंदी :—जी, टेस्ट वर्क स्कीम थी। कन्ट्रैक्ट सिस्टम पर काम हुआ। क्योंकि वह बहुत ही पथरीला इलाका है। मेजा इलाके में पत्थर खोदना आसान काम नहीं है। इसलिए हमने पहले ही सुझाव दिया था, उसी तरह कलेक्टर साहब ने मानकर सिफारिश भी की थी। और वह हो गया।

इसके अलावा चौथी चीज दुकानों के खोलने के बारे में कही थी कि बिहार में बहुत दुकानें खुली। ठीक है बिहार में स्केयरसिटी अधिक होगी लेकिन हमारी गवर्नमेन्ट ने अकलमन्दी का स्टेप उठाया कि जैसे स्केयरसिटी बढ़ती गयी वैसे-वैसे

दुकानें बढ़ती गयीं और मुझे आशा है कि गवर्नमेन्ट अब जो कि दो महीने आ रहे हैं इनके अन्तर्गत अधिक से अधिक दुकानें खोलेगी ताकि जितने भी अभावग्रस्त इलाके हैं उनको वह कवर कर सकें। मेरा ऐसा ख्याल है कि गवर्नमेन्ट जरूर करेगी। फिर भी मैं अपने क्षेत्र की बात बता दूँ। मेजा और करछना की जनसंख्या लगभग ६ लाख है और अगर आप प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति के लिए ४ छटांक भी भोजन दें तो आपको ७५०० टन गल्ला चाहिए दो महीने के लिए। इसलिए अगर ४ हजार आदमियों का एक यूनिट मान लिया जाय तो १५० दुकानें वहाँ खोलें जबकि हमारे जिले में गाँव में, ७५ दुकानों की योजना रखी है। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेन्ट इसको मान लेगी।

दूसरी चीज यह है कि शंकरगढ़ इलाका बड़ा भारी इलाका है उसमें पत्थर की कटाई और सिलका सेन्ड का व्यापार है। रेलवे में वैगन सप्लाई के लिये प्रायरिटी लिस्ट होती है कि किस उद्योग को क्या प्रारिटी मिलेगी।

यह व्यापार उस लिस्ट में 'ई' कैटेगरी में आता है। जिस कारण लोगों को वेगेन्स कम मिलते हैं। अब व्यापारियों के पास इतना पैसा तो नहीं है कि बहुत देर तक स्टाक रख सकें। जिसका नतीजा यह होता है कि उसको बहुत से लेबरों को बैठा देना पड़ता है। हम चाहेंगे कि प्रदेशीय सरकार भारत सरकार से रिक्वेस्ट करेगी कि हमारे यहां के इस व्यापार को सी केटेगरी में कर दें जिससे इसके लिये ज्यादा वैगन्स मिल सकें। इस तरह से मेरा निश्चय है कि १ लाख आदमियों को हम काम दे सकेंगे। यह स्थायी हल भी बताया और अस्थायी भी। इसके अलावा एक बात और है कि प्लानिंग और पी० डब्लू० डी० आदि के इस साल के काम जो बरसात में हो सकते हैं वह सब जल्द से जल्द आरम्भ किया जाय।

इसके अलावा मेरा सुझाव यह भी है कि जो नैनी इन्डस्ट्री का काम है उसके लिये रा-मैटिरियल उपलब्ध कराया जाय, स्वदेशी काटन मिल जो रा-मैटिरियल की कमी के कारण बन्द हो गयी है उसके लिये रा मैटिरियल का प्रबन्ध किया जाय और इस तरह से जो चार, साढ़े चार सौ आदमी बिना काम के बैठे हैं वह काम में लग जाँय और काम ठीक से चले।

इसके अलावा चर्खे का खुले तौर पर वितरण होना चाहिये और देखा जाय कि उनका काम किस तरह से चलता है और सारे काम की अच्छी तरह से रहनुमाई की जाय।

इस सम्बन्ध में मैं आपको कुछ स्थायी सुझाव भी दूँगी। फूड की स्केयरसिटी को कम करने के लिये इरिगेशन ही बैकबोन है। सबसे पहली दिक्कत इस समस्या को

सुलझाने में पूर्व और पश्चिम की पड़ रही है। पहले पश्चिम में नहरों से आवपाशी होती थी और इसी कारण से इस कार्य में उधर का ही स्टाफ ज्यादा अनुभवी है और उनको पानी के वितरण का अच्छा ढंग मालूम है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि पश्चिम के नहरी कर्मचारी पूर्व में आकर काम नहीं करना चाहते। अभी हाल ही में लगभग पूर्वी इलाके के ७० अमीन जिलेदार बना दिये गये। जब कि हमारे बड़े-बड़े अफसर कांस्ट्रक्शन वर्क में लगे हुए हैं और इन जिलेदारों को वितरण के काम का ज्ञान नहीं है तो इस दशा में मेरा सुझाव यह है कि काम के लिये कर्मचारी होते हैं जो कम से कम ५० परसेन्ट लोग पश्चिम से पूर्व भेजे जायँ और एक के साथ एक पश्चिम का अनुभवी आदमी रखकर काम ठीक से चलाया जाय, इसमें कोई पश्चिम पूर्व का सवाल नहीं है, प्रदेश के किसी कोने में भी काम हो सबको मिलकर करना चाहिए, पूर्व वाले पश्चिम में जाय और पश्चिम वाले पूर्व में जायं।

एक बात गूलों के बारे में भी कहूँगी। जब गूल बनती है तो किसान आपस में लड़ते हैं, वह अपने आप तो पानी ले लेते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ने देते और तमाम मुकदमे वगैरह लड़ते हैं। बहुत समय लग जाता है और लैन्ड एक्वाइर नहीं हो पाता। मैं समझती हूँ कि ऐसा कोई ला बना दिया जाय, संशोधन कर दिया जाय तब तक आर्डिनेन्स हो जाय कि जो लैंड एक्वीजीशन इंजीनियर गूलों के लिए लेना चाहे और निश्चय करदे कि पानी यहाँ से जाना चाहिए तो फोरन ही उस जमीन का एक्वीजीशन हो जाय। इस तरह से आगे के खेतों को भी पानी मिल सकेगी।

अब कुओं और बैलों की जो तकावी किसानों को दी जाती है, उसके बारे में मेरा सुझाव है कि अगर आप को खेती को बढ़ाना है और इस काम को बढ़ाना है तो किसानों को इन कामों के लिये नकद पैसा न दिया जाय क्योंकि वह बेचारे इतने गरीब हैं कि वह इस पैसे को अपने छोटे-छोटे घर के दूसरे कामों में खर्च कर देते हैं और मजबूर होकर थोड़ा बहुत रुपया ही वह उस काम में लगा पाते हैं। मैं नहीं कहती की वह सेंट परसेंट उस काम में नहीं लगा, लेकिन अपनी मजबूरी के कारण वह इधर-उधर खर्च हो जाता है। सरकार उनके कुयें स्वयं बनवा दे जिसका रुपया वह किस्तों में अदा कर दे। ( लाल बत्ती जलने पर ) लाल बत्ती हो गयी, इससे तो मैं हमेशा डरती हूँ।

अब मैं माननीय सदस्यों के काम के बारे में कहूँगी कि हमारे देश की आवश्यकता घरेलू उद्योग धंधों की है और उनमें चर्खा सर्वश्रेष्ट है। हम यह नहीं चाहते कि किसान खेती छोड़कर चरखे पर आ जाय कि उसको नौकरी मिल जायगी। असली प्रश्न हमारे सामने यह है कि जो लोग पार्शली काम में लगे हुए हैं और उनको पूरा

काम में लगाने के लिये कोई न कोई घर में उद्योग धंधा होना चाहिए। इसलिए हमारी माननीय सदस्यों से दरख्वास्त है कि वह सब अपने घर में खादी खरीदें और गांव में जाकर वहाँ खादी का कंजम्पशन बढ़ाये और उस पर जोर दें। अगर कंजम्पशन ज्यादा होगा प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जायगी और गाँव के लोगों के पास थोड़ा-थोड़ा खाली समय में काम पहुँच जायगा। मैं अपनी बात पूरी नहीं कह सकी फिर भी धन्यवाद देती हूँ।

४-८-५८

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अविश्वास के प्रस्ताव के विरोध में खड़ी हुई हूँ। आप एक अबला जान के नहीं बल्कि सबला जान के मेरी बात को सुनने का प्रयत्न करेंगे तो मुझे निश्चय है कि आप कहीं न कहीं पहुँच जायेंगे। जो प्रस्ताव इस वक्त हमारे सामने है इसका मतलब तो यही हुआ कि मौजूदा सरकार अपने प्रबन्ध को ठीक से नहीं कर सकी और जो इस प्रस्ताव के पेश करने वाले हैं वे चैलेन्ज देते हैं कि आप जाइये, हम इसको ठीक तरह से सम्हाल लेंगे। अविश्वास का प्रस्ताव पेश करने का अधिकार तो यदि केवल ८६ सदस्य खड़े हो जायं तो मिल जाता है, लेकिन यह इस्तीफा माँगने का अधिकार इनको कहां से मिल गया? हम तो २८६ बैठे हैं और यह सब मिल कर केवल १४१ होते हैं और हम से इस्तीफा देने के लिये कहते हैं। हम २८६ से पूछ तो लिये होते कि हम तैयार हैं या नहीं।

दूसरे प्रजातंत्र के अन्तर्गत यह कायदा है कि अगर हम अपने हाथ में सत्ता लेना चाहते हैं तो जनप्रिय हों। इसमें सत्ता लेने के दो ढंग हैं। एक तो जनता की सेवा से और दूसरा जो कि सत्ता में हैं उनकी टांग घसीटने से। अगर ये जनता के प्रिय होना चाहते हैं तो जरूरी है कि जनता की सेवा करें और जनता इनका साथ देगी। तीन वर्ष एक नेशन के जोवन के अन्दर कोई चीज नहीं होती। तीन वर्ष के बाद फिर चुनाव जब आये तो जनता इनको सहयोग दे। लेकिन सवाल यह है कि हमारे भाई उतने समय में ही टांग घसीट कर काम करना चाहते हैं। इससे ये जनता के जनप्रिय तो नहीं होंगे। हां, इनको कुछ हानि अवश्य हो जायगी। हमें गद्दी से उतारने का तरीका मैं बतलाती हूँ कि जनता के बीच में, जनता के हित में सामने वाले भाई काम करें तो जनता जरूर इनको मानेगी। लेकिन सवाल यह है कि न तो इनको ऐसा करना है और न जनता को ही इनको सहयोग देना है और इसका मतलब क्या होगा कि वर्षों तक यह चीज हमारे हाथ में रहेगी। लेकिन मैंने तरीका बतला दिया है।

अब मैं यह बतला दूँ कि कच्ची खाद और फल इन दोनों के अन्दर एक से तत्व होते हैं। कच्ची खाद का ठीक प्रयोग किया जाय तो सुन्दर-सुन्दर फल तैयार हो सकते हैं जैसे अनार, सेव और सब्जियां। अगर कच्ची खाद को उठाकर एक दूसरे के ऊपर फेंकना शुरू किया जाय तो नतीजा यही निकालेगा कि बदबू फैलेगा और बीमारी फैलेगी। अगर हमने इसको धरती में रख दिया तो प्रकृति की सहायता

से धरती में से सुन्दर फल निकलेंगे इस समय जब देश के अन्दर अनाज का संकट था तो मौका था कि इसका इस्तेमाल किया जाता और गाँवों में जाकर लोगों को बतलाते कि किस तरह से अनाज का प्रयोग कम हो सकता है। एक महीना हो गया है लेकिन कुछ नहीं किया गया है। हमारी तो डेढ़ छटांक से गुजर हो जाती है। गांवों में देख लीजिये कि जो लोग सजग थे उन्होंने अपने यहाँ सावां बो लिया था। हमने यह गाइडेंस दी थी कि इतना जरूर बो लो कि तुम्हारी फेमिली कम से कम महीना भर काट ले। लोगों ने सहयोग दिया और उनके पास सावां हो गया और वह महीने भर गुजर कर लेंगे, इससे कुछ सहायता हो जायगी। इसी प्रकार से हमारे भाई भी उनके सामने कोई चीज रखें तो हो सकता है कि वह इनको सहयोग दें।

माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने कहा कि महँगाई बढ़ रही है। यह सबको दुखदायी होती है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो यह कहेगा कि यह अच्छी चीज है? किसको यह पीड़ित नहीं करेगी? लेकिन याद रखियेगा कि "Even dark cloud has a silver lining" इस समय महँगाई है, लखनऊ तथा इलाहाबाद आदि जगह की मण्डियों में जाकर देख लीजिये कि क्या हो रहा है? आज व्यापारी बम्बई, सी० पी० तथा अन्य प्रदेशों से अनाज ला रहे हैं। अगर ऐसा न होता तो व्यापारी अनाज क्यों लाते और उस दशा में कितनी कठिनाई हो जाती और प्रदेश का क्या रूप हो जाता?

माननीय पालीवाल जी ने कहा था कि सरकार की नीयत ठीक, कोशिश ठीक, बहुत कुछ किया भी है लेकिन नीति ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने बतलाया नहीं कि सरकार की नीति में क्या कमी है? सरकारी नीति को गलत बताया, लेकिन जब तक वह बतला न दें कि हमारी नीति में कहाँ गलती है तब तक क्या समझ में आये और कैसे सुधार हो। कुछ भाइयों ने कह दिया कि गल्ला सीज़ कर लिया जाय। अफसोस है और मैं आपको बतलाती हूँ कि अगर वह गाँवों में या मण्डियों में गये होते तो इन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल न किया होता। मैं अपनी कांस्टीटुयेन्सी के एक-एक गाँव के एक-एक घर को जानती हूं। मुझसे आप पूछ लीजिये। मैं जानती हूँ कि इस समय विरोधी दल की ओर से क्या प्रचार होता है। गाँवों में यह प्रचार होता है कि शहरों की मण्डियों में बड़े-बड़े व्यापारियों ने अनाज जमा कर लिया है और शहरों में यह प्रचार किया जाता है कि गांवों में बड़े बड़े किसानों ने अनाज इकठा कर रखा है। मैं किसी की अक्ल पर शक नहीं कर सकती, लेकिन जब मैं गांवों के अन्दर जाती हूँ तो पाती हूँ कि बड़े से बड़ा किसान जेवर गिरवी

रख कर अपने मजदूरों को, निराई करने वाले, जोतने वालों को अनाज मोल लेकर दे रहा है। किसी के कुत्ता काट गया है कि वह अन्दर रख कर मोल ले कर देते ?

बड़े-बड़े व्यापारियों का हाल सुन लीजिये। मैं इलाहाबाद मंडी की बात करती हूँ। कहा जाता है कि गल्ला भरा पड़ा है उसको सीज क्यों नहीं करते ? मंडी में मैं क्या पाती हूँ ? हमने व्यापारी को नादान समझ लिया है, कोई भी व्यापारी इतना नादान नहीं होता कि जब उसको मालूम हो कि गल्ला सिर पर आने वाला है, १५, २० दिन के अन्दर आ जायगा, मूंग और ज्वार आ गयी है, सांवा होना शुरू हो गया है, तब वह छिपा कर रखेगा ? वह तब छिपाता है जब वह समझता है कि अभी बहुत दिन तक अनाज नहीं आने वाला है। उसको बेचने में दुगुना पैसा मिलता है। इतनी देर में कई ट्रांजैक्शन हो जाते हैं तो डबिल कास्ट आ जाती है। तो कहां छिपा कर रखेगा ? अनाज भी कहाँ से सीज किया जाय ? अगर सीज़ करने की परिस्थिति होती तो बात दूसरी थी। सीज करने की परिस्थिति नहीं है।

यह भी कहा जाता है कि बाहर के देशों से गल्ला मँगवा लिया जाय। आ रहा है अमेरिका से गल्ला। उस पर सवा अरब रुपया लग रहा है ! १२ सेर फी आदमी एक साल के लिए। एक महीने में एक सेर। एक दिन का आधी छटांक और रुपया सवा अरब। अगर हमने जनता को यह बात बता दी होती कि इस आधी छटांक अनाज की जगह पर सब्जी का प्रयोग कर ले और मैं ऐसी पत्तियां बता सकती हूँ जिससे गुजर कर सकते हैं, इस्तेमाल कर लिया करें, तो अरबों रुपया बच जाता। नारों से यह चीज नहीं चल सकती। यह काम से चलेगी।

सुझाव हमको क्या-क्या दिये जाते हैं ? एक तो जनता की सुविधा के लिए यह किया जायगा कि सरकारी गल्ले के जो गोदाम हैं उन पर रेड किया जायगा। रेडिंग से क्या होता है ? इतनी साधारण-सी बात नहीं है। इसके कांसीक्वेंसेज और रिजल्ट्स सब माननीय सदस्य समझते होंगे। इससे एन्टी-सोशल एलीमेंट्स एनकरेज होंगे। हमारी सरकार और हम ऐसा नहीं, कि इतनी जल्दी यह चीज होने देंगे। इस हमदर्दी से हम बाज आये कि जिसको जरूरत है उसके पास अनाज न पहुंचे। सरकार का ध्यान भी उनको दबाने में लग जाय और हमारे भाइयों का ध्यान उसे करने में लग जाय तो अनाज कौन पहुँचाये ?

दूसरी चीज अनशन की है। उनके त्याग के आगे, उनकी देशभक्ति के आगे मैं अपना सिर झुकाती हूँ। लेकिन माननीय सदस्य याद रखें कि अगर एक त्यागी आदमी, गलत रास्ते को अख्तियार कर लेता है तो उससे ज्यादा नुकसान पहुँचता है बनिस्बत उस व्यक्ति से जो कि भीतर से ईमानदार न हो और दूसरे को धोखा देने

वाला हो। तो इस ईमानदारों के गलत रास्ते पर चले जाना ही इन्सान को किस नतीजे पर पहुँचायेगा, यह खुद ही माननीय सदस्य अन्दाजा लगा लें। सबको यह मालूम है कि अपनी यह सरकार तपे हुये लीडरों के हाथ में है और हम सब इस बात को समझते हैं और हम सब इस परिस्थिति का मुकाबला करेंगे। हम इस बात को समझते हैं कि यह परिस्थिति ऐसी है जिसका मुकाबला किया जा सकता है और निश्चय ही कोई चीज हमारे रास्ते में रुकावट नहीं हो सकती है।

अन्त में मैं यह कहना चाहती हूँ और अपने उधर के भाइयों से यह प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वह एक मास तक कोई शोर न करें। किसानों को अच्छे-अच्छे सुझाव दिये जायं और उनके पास जाकर उनको परिस्थितियों का सामना करने के लिये समझाया जाय। वहाँ पर जो अमीर हैं उनसे भी प्रार्थना की जाय। इस तरह से हम सब मिलकर यदि जनता की सेवा करेंगे तो यह संकट दूर हो सकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस प्रस्ताव को वापस ले लीजिये।

३-६-५८

---

अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्री द्वारा उपस्थित अनुदान का समर्थन करती हूँ। निःसन्देश यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और कटौती के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है क्योंकि यह तो ऐसा विषय है कि इसमें और भी धन माँग लिया जाता तो कोई हर्ज नहीं होता। मैं तो इस तरफ ध्यान दिलाना चाहती है कि अविश्वास के प्रस्ताव के विरोध में मैंने कहा था कि होर्डिंग नहीं है। अगर होर्डिंग को मान लिया जायगा तो उससे एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जायगी।

और आज के अखबारों से यह भी पता लगा है कि चन्दौसी, बरेली और मुरादाबाद में जखीरों पर छापा मारा गया तो कुल एक ही मंडी चन्दौसी में १,२०० मन गल्ला मिला। बाकी जगह कुछ नहीं प्राप्त हुआ, न मुरादाबाद में न बरेली में। एक खतरनाक बात यह हो गई कि बाहर से मंडियों में अनाज आना बन्द हो गया है इसीसे गाँव में अनाज भी नहीं रहा और गाँव के अन्दर जो छोटे मोटे व्यापारी थे, जिसके पास बीज के लिये गेहूँ रखे हुये थे, उसको उन्होंने ज्यादा पैसे की लालच में बेचना शुरू कर दिया और जिसका फायदा यह था कि वह सवाई पर बीज देते थे। इस सम्बन्ध में मैं सिर्फ कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगी कि गेहूँ में ६२,७०,२७२ एकड़ जमीन यू० पी० में बोई जाती हैं, बारले (जौ०) ४३,६७,३२७ एकड़ जमीन में बोई जाती है, पीज (मटर) में २४,५५,६४८ एकड़ जमीन बोई जाती है और चने में ६३,७०,६८३ एकड़ जमीन बोई जाती है। इतनी भूमि के लिये लाखों मन बीज की आवश्यकता है। जरूरत इस बात की है कि आने वाली फसल के लिये लोग इन चीजों के बीज को बचा सके। इससे आगे पैदावार हम अच्छी कर सकेंगे। इसलिये जरूरत इस बात की है कि आगे आने वाले मोटे अनाज का ज्यादा इस्तमाल करके हम बीज के लिये अनाज बचा सकें और आगे भाव न बढ़े, यह बीज अभी से ठीक कर ले इसलिये मैं प्रार्थना करूंगी कि इस समय जो सरकारी कर्मचारी वे अधिक से अधिक बीज जमा करायें और दूसरे हम व्यापारियों को यह विश्वास दिलायें कि वस्तु स्थिति को हमने जाँच लिया है और कोई होर्डिंग नहीं है और उनके मन से यह निकल जाय ताकि वे बाहर से माल मंगावें। इससे गल्ला जो कम हो रहा है वह नहीं होगा। अपने को शायद स्पष्ट नहीं कर पायी हूँ मैं केवल इतना ही कहना चाहती थी कि अभी दो मास लोग मोटा अनाज खा लें लेकिन बीज के लिये खास तौर से प्रबन्ध किये रहे और अभी से हम अपने आप चेतावनी दे लें कि हम एक एक बीज की रक्षा करेंगे। इसलिये बीज का प्रोटेक्शन जरूरी है ताकि आने वाले खतरे का मुकाबला करने का मौका ही न आये। इसलिये सुझाव को सामने रखते हुये मैं माननीय मंत्री जी के इस अनुदान का समर्थन करती हूँ।

धन्यवाद

१८-६-५८

———

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं सन् १९५९-६० के पहले प्रस्तुत बजट का स्वागत करती हूँ। यह बजट साधारण होते हुये भी असाधारण है। यह बजट हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना के चौथे साल का है। दो तीन वर्ष पहले इस सूबे में जो आपत्तियाँ पैदा हुई उन सबका सामना करते हुये हम अपने कदम को आगे बढ़ा सकें तो यह बजट साधारण होते हुये भी असाधारण है। कौन माननीय सदस्य इससे परिचित नहीं है कि देश के अन्दर कौन-कौन सी आपत्ति आयी ?

मैं आपका ध्यान थोड़ा सा खेती की उपज की तरफ दिलाना चाहती हूँ तराई की उपज के बारे में मेरे ख्याल से इस सदन के सभी सदस्य परिचित हैं। इस इलाके में बीमारी तथा जानवरों की भयानकता के कारण एक भी व्यक्ति बच नहीं सकता था लेकिन किन कठिनाइयों के साथ सरकार ने इस इलाके में लोगों को बसाया और वहां, सबका चना गन्ना और चावल का उत्पादन कितना अधिक हुआ, यह माननीय सदस्यों को मालूम होगा, पश्चिम में बाढ़ से जहाँ ६ लाख टन मक्का पहिले पैदा होती थी वह खत्म हो गई लेकिन इस तराई की भूमि के कारण ७.८४ लाख टन केवल मक्का पैदा हुआ जिससे वह कमी कुछ हद तक पूरी हो गई। दूसरी तरफ नहरों और ट्यूबवैल्स के किनारे की बहुत सी भूमि जो सूखी पड़ी रहती थी और जहाँ लोग पानी के लिये तरसते थे वहाँ भी अच्छी फसल पैदा हुई और इस तरह से प्रदेश की जनता ने उस भयानक परिस्थिति का सामना किया। यह भी सरकार की ही देन है। मैं निहायत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चापती हूँ कि यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें पैदा हुई और हमारे यहाँ जो गल्ले की कमी थी उसको पूरा किया गया। पश्चिमी और पूर्वी जिलों में जो आपत्तियाँ आयी उसके बावजूद भी केवल १० प्रतिशत उपज घटी है, दूसरी ओर १,२५७ हजार एकड़ जमीन इर्रीगेशन के अन्दर आयी और भूमि रिक्लेमेशन के जरिये भी उपज बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है। ठीक है, जनता गरीब है और बहुत सी दीगर चीजें भी हैं, लेकिन यह सब कुछ हुआ।

दूसरे साधन काम देने वाले उद्योग धन्धे हो सकते हैं। सीमेंट में हम सरप्लस रहे। चीनी में १२ करोड़ का फारेन एक्सचेंज हम लाये। घरेलू उद्योग के अन्दर मिर्जापुर तथा बनारस के कालीन हैं और मेरठ का स्पोर्टस गुड्स है। उससे में करोड़ों रुपया फारेन एक्सचेंज अर्न करते हैं। इसके अलावा इलैक्ट्रोप्लेटिंग की मशीनों ने काफी तरक्की की है और बाहर के देशों में बना हुआ समान भेजने में ये सहायक हो रहे हैं और बाकी चीजें तो राह जाते हुये को दिखाई दे सकती है जैसे सड़कें, अस्पताल और स्कूल इत्यादि।

१८-२-१९५९

———

यह सब ज्ञात होते हुये हमें बहुत ही गम्भीरतापूर्वक इस परिस्थिति कर दी है ताकि उनको सस्ता न्याय मिल सके। लेकिन हुआ क्या? ढांचा हमको मिला साधन हमको मिल गया जो सरकार का काम था। अब सब जनसेवियों का आपका और हमारा काम है कि इस ढांचे के अन्दर रूह डालें। जैसे कि शरीर बिना रूह लाने के लिये जनसेवियों की आहुति व प्रेम चाहिये और उसके लिये हमको अच्छा चरित्र कायम करना होगा। यह हम सब का काम है कि गांवों में झगड़े न हों, हों तो वहीं उनका निपटारा हो जाय। अगर ऊपर जाय तो वकीलों का यह रवैया हो कि वे अपने मुअक्लि को केवल बचाने के लिये पैरवी न करें, इन्साफ कराने की कोशिश करें और चाहे इन्साफ और कानून के अन्दर सजा में कमी करवा दें। फैक्ट्स बदल कर नहीं। हम और आप तब उन झगड़ों को मिटाने में सहायक हों। मैं निश्चयपूर्वक कह सकती हूँ कि जहां के जनसेवी झगड़ों के बीच में पड़ जाते हैं वहां झगड़े कम होते जाते हैं तो वहां झगड़े बढ़ जाते हैं।

दूसरी चीज यह है कि सदन के सभी सदस्यों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जितनी भूमि है लगभग ५० फीसदी मौजूदा जनता को हम उस पर काम दे सकते हैं, बाकी सारी जनता को उद्योग धन्धों में लगाना पड़ेगा। हमारे पास घरेलू उद्योग धन्धों का ढांचा मौजूद है और बड़ी दस्तकारियों का ढांचा भी हमारे पास मौजूद है। अगर गांवों से निकल कर व्यक्ति शहरों में आते हैं तो खुद भी परेशान होंगे और शहरों की आर्थिक हालत भी खराब होगी। तो गावों में ही ५० फीसदी जनता को काम कैसे दिया जाय? इसके लिये एक ही साधन है कि हम सब मिलकर छोटी-छोटी दस्तकारियां वहां खोलें खोलने में सहायक हों और उसका काफी प्रचार करें। उनकी उत्पादन का प्रयोग हम अपने घरों में करें और करायें। यह सरकारी तौर पर ही नहीं अपने व्यवहारिक जीवन के अन्दर उस चीज को ला कर जनता के सामने रख दें हम देखते हैं कि गांवों का पैसा किस तरह से बाहर आता है। वह आवश्यकताओं के जरिये बाहर आता है। अगर वे आवश्यकतायें वहीं यानी गांवों में ही पूरी हो जांय तो वह पैसा गांव वालों के पास ही बच सकेगा जिससे उसकी आमदनी बढ़ सकती है। जैसे कपड़ा है अगर वह उन्हीं के हाथों से बने और उसका प्रयोग हो तो अनेक प्रकार के धन्धे जैसे कि उत्पन्न हो रहे हैं और होते चले जायेंगे। रंगाई, बुनाई, धुलाई यह सब सहायक धन्धे हैं। इसी तरह से चमड़े का उद्योग भी अगर देहात में

हो तो उससे भी उनको ज्यादा फायदा होगा। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि देहाती वस्तुओं के प्रयोग का प्रचार किया जाय। जिससे बेरोजगारी भी दूर होगी और जैसा यादवेन्द्रदत्त दुबे जी ने कहा कि शहरों की आमदनी अधिक है और गांवों की कम है, वह भी असमानता दूर होगी। लोग शहरों में नहीं जायेंगे उनको वहीं काम और दाम मिलेंगे। काम उनको कोआपरेटिव्ज के जरिये दिया जा सकता है जिसके लिये सरकार ने प्रोवीजन रख दिया है।

इसके अलावा मैं दो, तीन बातों की तरफ अपनी सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूँ सबसे पहले शराब बन्दी को लीजिये। इसकी तरफ सरकार का कदम धीमा उठ रहा है। लगभग कुल ३,००,००,००० की आमदनी सरकार की कम होगी। लेकिन शराबबन्दी पूरी तरह से न होने का परिणाम भी देख लिया जाय। आज हमारी मिडिल क्लास, अपर क्लास और लोअर क्लास फेमिलीज इस शराब के कारण बरबाद है। मुझे उन औरतों ने अपनी गाथायें सुनायी हैं जिसके पति शराब पीते हैं बहुत सी मदें ऐसी हैं जिनमें से ३,००,००,००० निकाला जा सकता है। मेरा सुझाव है कि हमारे लगभग ५०,००,००० विद्यार्थी हैं अगर हम उनसे ८ आना महीने का भी कोई गृह उद्योग करायें तो वह कमी पूरी हो जायगी। शराबबन्दी को एकदम पूरे प्रदेश में लागू कर देना चाहिये।

दूसरी चीज थोड़े वेतन पाने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह की बढ़ती के बारे में है माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में १९वें पेज पर कहा है "उद्योगों के अलावा दूसरी जगहों में काम करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को भी इस बढ़ती का फायदा दिया जायगा।" भला उद्योग के अलावा क्यों है ? उनको क्यों छोड़ दिया गया है। मैं जानती हूँ इलाहाबाद प्रेस के जो मजदूर हैं और लखनऊ गवर्नमेंट प्रेस के जो मजदूर हैं उनको ५० रु० केवल मिलते हैं। और किसी भी कंडीशन में वे अपनी फैमली को यहां नहीं रख सकते हैं क्योंकि १० या १५ रुपया उन गरीबों को मकान का किराया देना होता है। अगर हमारी सरकार यह समझती हो कि यह कारखाने मुनाफा नहीं निकालते, इसलिये हम उद्योग धन्धों के कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ा सकते तो काम के यूनिट फिक्स करे कि जितने यूनिट वह काम करेगा तो इतना धन उसको मिल जायगा। लेकिन उनको यह २ रुपया आठ आने की तरक्की मिलनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त गरीब इलाकों में रहट वाले कुयें बनाकर दें। और पानी के कुएँ भी सरकार गरीब इलाकों में बना कर दे। यह बेचारे गरीब किसान के वश की

बात नहीं है क्योंकि जो भी तकावी उसको मिलती है वह इधर-उधर भी खर्च करने के लिये वे मजबूर होते हैं।

एक चीज मैं माननीय त्रिलोकी सिंह जी के भाषण के बारे में कहना चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि तपेदिक के मरीजों के लिये दवाई का प्रबन्ध ठीक होना चाहिए। मैं यह कहना चाहती हूं कि उन्हें इसकी डिसेन्ट्रेलाईजेशन के लिये भी कहना चाहिये था कि तपेदिक के मरीजों के लिये गाँव के बाहर छोटे-छोटे झोपड़े बनवाये जांय। अगर हम इतने बेडिंग नहीं दे सकते हैं तो झोपड़ियाँ बनाई जायँ और मेडिकल आउट पोस्ट हों जिसके ऊपर कभी-कभी डाक्टर जा कर पीरियाडिकल देखभाल करें। तो इस ओर भी ध्यान देकर मेडिकल आउट पोस्ट्स का प्रबन्ध हो जाय।

इसके अलावा हमारे सामने देहाती एरिया में भट्ठों के लिये कोयला तथा रहट के लिये लोहे की आवश्यकता भी है, इसका प्रबन्ध उचित ढंग से होना चाहिये। लोहे की कमी के कारण रहट नहीं बन पाते हैं, और ईंटों की कमी के कारण कुएँ। इसके बाद मैं एक दो बात माननीय त्रिलोकी सिंह जी के और अन्य सदस्यों के भाषण के बारे में कहना चाहती हूँ। उपज के आंकड़े के लिये १६०२ पर जाना पड़ा। १६५३-५४ के आंकड़े भी दिये गये। उधर से मोस्ट फेवरेबिल और इधर से मोस्ट अनफेवरेबिल लेकर उनकी तुलना कर दी गई। माननीय सदस्यों को अच्छी तरह से मालूम होगा कि १६०२ में उत्तर प्रदेश में केवल नहरों के किनारे ही गेहूँ बोया जाता था। आज गेहूँ क्योंकि लोग ज्यादा खाने लगे, हर जगह अच्छी बुरी-जगह बोया जाता है इसलिये प्रति एकड़ औसत कम है।

टैक्स के बारे में मुझे यह कहना है कि टैक्स के बढ़ाने की शिकायत और वेतन के कम होने की शिकायत यह दो चीजें मिलेंगी कहाँ? किस तरह टक्कर खायेंगी? अगर वेतन को बढ़ाना है तो आमदनी को भी पूरा करना है। जो भी समझदार और बहादुर सरकार होगी, वह अपनी अनपाप्युलैरिटी से नहीं डरेगी। जिन चीजों से लाभ होता हो, फैक्टरी, नहरें आदि उन पर जो कर्जा लेकर भी लगायेगी लेकिन जिन कामों से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ न हो उसके ऊपर कर्ज लेकर लगाना पसन्द नहीं करेगी। अपनी अनपाप्युलैरिटी के विचार से यदि ऐसा न करे तो वह छोटेपन की बात होगी। इसलिये मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहती हूँ कि चीजों की डिमांड को कम कर दीजिये यदि टैक्स कम करवाने हैं। हम भी जानते हैं कि जनता गरीब है और वह इतना बोझ नहीं सहन कर सकती इसलिये हमारी डिमांड भी कम होनी चाहिये, हम कहें कि हमारी सड़क अभी दस साल बाद बना दी जाय, हमारे वेतन अभी इतने ही रहने दिये जांय, जब हालत ठीक हो तब बढ़ा दिये जांय। मेरा नम्र निवेदन है कि इधर के लोग भी उधर के लोगों की ही तरह जनता से चुन कर आये, उनसे कम हमदर्दी नहीं है। मैं केवल इतने ही विचार सदन के सम्मुख रखती हूँ। बहुत सी बातें रह गई लेकिन समय कम होने के कारण मैं अब बन्द करती हूँ।

---

१८-२-५८

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उपस्थित अनुदान संख्या ३३–३४ का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूँ। अभी जितने सज्जन यहाँ बोले हैं उन्हीं की डिमांड पर अगर अन्दाजा लगा लिया जाय तो जितना बजट उपस्थित हुआ है उससे कई गुना ज्यादा हमको चाहिये और जो लोग नहीं बोले हैं उनका चुपके से अन्दाजा लगा लिया जाय तो उससे शायद सौ गुना हमको अधिक बजट चाहिये। इसलिये कटौती का सवाल उत्पन्न नहीं होता। पता नहीं कैसे कटौती रख दी गयी है ?

मैं अपनी सरकार का एक खास चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूँ। वह यह कि इस विभाग की देखरेख में ढीलापन नहीं होना चाहिए। कहीं-कहीं ऐसे टेंडर सबमिट होते हैं जिनके लिये कामनसेन्स यह बतलाता है कि इतने में यह चीज नहीं हो सकती और अगर कोई उतने में बना देगा तो अवश्य ही बेईमानी करेगा, तो ऐसे टेंडर्स सब्मिट करने वाले कांट्रेक्टर्स से डीलिंग फौरन बन्द कर देना चाहिये। आपने अनुमान लगा लिया कि इतने में सड़क बन जायगी एक मील उससे कम टेंडर आता है तो वह अपना प्राफिट कहां से लेता है ?

दूसरे भ्रष्टाचार के सिलसिले में कड़ापन आना चाहिये। यह सवाल नहीं है हम उस कार्य को बन्द कर दें, लेकिन आज भी इसके अन्दर जो भ्रष्टाचार होता है उसे कड़ेपन से डील किया जाय।

मैं दो मिनट में अब अपने क्षेत्र की ओर माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहती हूँ। मैं जिला इलाहाबाद, क्षेत्र करछना की नुमाइंदा हूँ। १० वर्ष के अन्दर यह जो क्षेत्र है पी० डब्ल्यू० डी० के नक्शे के अन्तर्गत नहीं आया। इस जिले में कुछ मील कच्ची-पक्की सड़कें बन कर तैयार हुई भी, लेकिन १ फर्लांग भी इस क्षेत्र के अन्दर सड़क नहीं बनी है। इलाहाबाद जिला काफी एडवांस्ड है, लेकिन इस क्षेत्र को शायद माननीय मंत्री भूल गये हैं। मैं फिर याद दिलाती हूँ कि इसकी ओर ध्यान दिया जाय।

इस क्षेत्र में घूरपुर से लेकर कोहारघाट तक एक सड़क है जिस पर श्रमदान से ५ वर्ष तक बहुत कार्य हुआ है। सैकड़ों ही गांव इस पर पड़ते हैं जो बरसात के दिनों में कट कर अलग हो जाते हैं और वहां पर काम करना बिलकुल असुविधाजनक हो जाता है। इसलिये इस सड़क को प्रायरिटी देकर बनवा दिया जाय। आशा है माननीय मंत्री इस पर ध्यान देंगे।

दूसरी सड़क घूरपुर से लेकर लालापुर तक है। घूरपुर से भीटा तक डेढ़ मील की सड़क बीच में ऐसी पड़ती है जो पत्थर की क्वेरी पर पड़ती है। अगर यह टुकड़ा बन जाय और इसी साल बन जाय तो हजारों आदमियों को, वहां के रहने वालों को पत्थर की क्वेरी पर अधिक काम मिल सकेगा। ट्रक्स पत्थर को सुविधापूर्वक उठा सकेंगे। इस तरह से इस क्षेत्र के हजारों आदमियों को काम मिल सकता है जिससे उन तक अनाज, कपड़ा, रोटी पहुँच सकेगी। बाकी सभ्यता तो सड़कों के साथ पहुँचती ही है।

तीसरे घोड़ेडीह से लेकर कनासा तक एक सड़क फ्लड रिलीफ कमेटी ने ४ वर्ष पहले से ले रखी है, लेकिन आज तक यह ज्ञात नहीं हो सका कि यह कब तक बन सकेगी। जब भी विभाग वालों से मैं पूछती हूँ तो कह दिया जाता है कि पता करके बतला दिया जायगा। इतना ढीलापन है कि पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है सिवा इसके कि पता करके बतला दिया जायगा। यह केवल ४ मील की सड़क है। अगर यह भी इस वर्ष बना दी जाय तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि इस सड़क के बनने से बीसियों गाँव पक्की सड़क से मिल जाते हैं। इसलिये इसकी ओर ध्यान दिया जाय।

एक बात सार्वजनिक यह भी है कि आजकल गांव के अन्दर सब लोग जानते हैं कि लोग रास्ता काट कर अपने खेत को बढ़ा लेते हैं या रास्ते को छोटा कर देते हैं। इसलिये जहां-जहां सड़क बनती हों वहां पहले डिमार्केशन हो जाय और रास्ते में जिन छोटे छोटे पुलों की आवश्यकता पड़े उनको बना दिया जाय। सबसे पहले इस चीज को महत्व दिया जाय।

मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी पूरी तवज्जह से इसे करेंगे और निराश मुझे नहीं लौटायेंगे। मैं फिर एक बार अनुदान संख्या ३३ व ३४ का समर्थन करती हूं। अगर हो सके तो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स के फण्ड से काट कर इस जगह पर लगा दिया जाय तो मैं बड़ी अनुग्रहीत हूँगी।

५-३-१९५९

---

मान्यवर, आज मुझे इस प्रस्तावित अनुदान का समर्थन करते हुये अपनी सरकार का ध्यान कुछ आवश्यक बातों की तरफ दिलाना है। मान्यवर, मैं तो उस पंछी की बोली में बोलना चाहती हूँ जो दिन भर दाने की खोज में निकला हो और शाम को आधा पेट दाना मिला हो, रात में उसके बच्चे और वह खुद आधा पेट, खा सो गया हो इस आशा से कि नींद आ जायगी, लेकिन चिन्ता के मारे सो नहीं पाया, सुबह उठा तो अपने आपको और अधिक थका हुआ पाया या उसको उठने की हिम्मत नहीं रही। ऐसे पंछी मनुष्य रूप में इस प्रदेश में लाखों की तादाद में मौजूद हैं। उनकी बोली में अगर मुझ भर-पेट-वाली से बोला जा सके तो उस बोली में मैं बोलना चाहती हूँ।

निःसन्देह सरकार ने काम किया है जिसको बहुत सी पुस्तकों में पढ़ने से मालूम हो जायगा, लेकिन मुझे अपने इन विचारों को रखते हुये माननीय माल मंत्री महोदय के भाषण के, जो २४ तारीख को उन्होंने इसी सदन में दिया था, अन्तिम शब्द याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि भारत की तरक्की के लिये गाँवों की तरक्की आवश्यक है। गांवों की तरक्की के लिये प्रत्येक एकड़ उपज बढ़ाने के अलावा साथ ही साथ छोटे-छोटे उद्योग धन्धे, चाहे कितना ही कम पैसा उनको रिटर्न में क्यों न मिले, अत्यन्त आवश्यक हैं। यह शब्द मेरे कान में आज भी गूंज रहे हैं। अब निश्चय यह करना है कि कौन से घरेलू उद्योग-धन्धे ऐसे हो सकते हैं जो कम लागत से चल सकें, रा मैटीरियल मौके पर मिल सके, उसके औजार भी वहाँ पर बन सकें और खराब होने पर वहीं पर उनकी मरम्मत हो सके और सब से जरूरी चीज यह कि जो माल बनकर तैयार हो उसकी खपत भी वहीं पर अधिक से अधिक हो सके। पूज्य बापू इन सारी चीजों को अपने सामने रखते हुये जिन उद्योग-धन्धों की मिसाल हमारे सामने रखते थे उन सबको जीवन देने वाला चरखा बता गये हैं। उस चरखे को इसलिये हमने अपनाया कि इसके जरिये से हम निर्वाह कर सकते हैं। अम्बर चरखा भी इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी इसको ठीक ही समझा है जैसा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के एम० पीज० में भाषण करते हुये कहा था कि हमारे यहाँ छोटा चरखा ही काम दे सकेगा, परन्तु गम्भीरतापूर्वक इस चरखे की कामयाबी के प्रति हमारा दिमाग साफ होना चाहिये। चरखा कम से कम मजदूरी देने वाला काम

है। यह भुखमरी को रोकने का साधन है जो अकाल के समय में काम दे या लाखों कुटुम्ब में हमेशा के लिये कहतशाली की हालत में जो आधा पेट जीवन व्यतीत करते हैं, उनका सहारा हो सके। इसका अर्थ यह नहीं कि जो १॥ या २ रुपया रोज कमाते हैं वे उसको छोड़कर इसका सहारा लें, हाँ, उसके पास भी जब खाली समय हो और काम उसको न मिल सके, उस खाली समय को काम में लाने के लिये इस कार्य को कर सकते हैं। मैंने इतनी बात इसलिये कही कि हमारे किसान के पास ऐसा खाली समय निश्चित रूप से बहुत है और भारत का बच्चा-बच्चा इस बात को जानता है कि ऐसा खाली समय हम सबके पास भी है।

खादी बोर्ड बहुत हद तक, इसमें असफल रहा है। देखना यह है कि खादी बोर्ड की असफलता का कारण क्या है। खादी बोर्ड को केवल कमर्शियल दृष्टिकोण से काम करने की आदत पड़ गयी है और उस चक्कर से निकलना अब उनके लिये कठिन हो रहा है। इसलिये अपनी सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि इसकी जाँच करवा ली जाय कि खादी बोर्ड क्यों असफल हो रहा है। मेरा खयाल है कि सभी को मालूम होगा कि लगभग १,६०० आदमी इसी वर्ष खादी बोर्ड की तरफ से निकले हैं।

सामने के भाई ने अभी एक दूसरे उद्योग की बाबत बतलाया, गुड़ और खांडसारी का उद्योग। इस उद्योग में किसान नवम्बर से लेकर मार्च तक लगे रहते हैं और उस समय हमारा किसान खाली होता है, उसके बैल भी खाली होते हैं और उस खाली समय में यह गुड़ बनाया जाता है और उसी में खांडसारी तैयार की जाती है। मेरा खयाल है कि कपड़ा और शक्कर की मिलें अब और अधिक न लगायी जायं और इस तरह के कामों के लिये जितना पैसा खर्च करना हो उसको रोक लिया जाय। बड़े कारखाने खोले जांय जो घरेलू उद्योग-धंधों के सहायक हों और ऐसी फैक्ट्री खोली जांय कि जो जगह-जगह पर बांट कर काम दे सकें। लेकिन यह जो दो मुख्य इंडस्ट्रीज हैं, जो लोगों को, किसानों को उनके खाली समय में काम दे सकती हैं, उनको अपरूट करने के लिये और दूसरी इंडस्ट्रीज न खोली जायं। जहाँ भी शुगर मिल खुलती है वहां के लोगों की हालत देखिये। आप देखेंगे कि किस तरह से उनमें बेकारी फैलती है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। अभी माननीय मंत्री जी ने अपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि जो फैक्टरीज खुलती हैं यदि वे किसान के गन्ने को न खपा सकें तो किसान अपना गन्ना, गुड़ और खांडसारी में लगा सकते हैं।

अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त खांडसारी की कीमत बाजार में एक रुपया सेर है। केन्द्रीय सरकार द्वारा जो इस पर टैक्स लगा है वह यदि

शामिल कर दिया जाय तो उसकी कीमत १ रुपया २ आना सेर हो जाती है जब कि चीनी १५ आने सेर मिल सकती है। एक तरफ मशीनों पर यह खर्चा और दूसरी ओर इस इंडस्ट्री पर इस तरह का टैक्स, यह दोनों एक समय में कैसे एक साथ चल सकते हैं। मान्यवर, मेरी यह भी प्रार्थना है कि हम जो भी इंडस्ट्रीज खोलें वह बाहर की आवश्यकताओं का ध्यान रख कर नहीं वरन् अपनी आंतरिक आवश्यकताओं का ध्यान रख कर खोलें, क्योंकि जिस फारेन एक्सचेंज के चक्कर में हम अपनी इन्डस्ट्रीज को बढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि वे देश अपनी आवश्यकता की पूर्ति इस बीच के समय में कर लें और हमारा पैसा बर्बाद जाय या दूसरे (competitors) और बढ़िया labour saving devices निकाल लें। दूसरी बात प्रयोग की है। हम सबको, चाहे सरकारी कर्मचारी हों या इस माननीय सदन के सदस्य हों, यह देखना चाहिये कि अपने घरों में कुटीर उद्योगों की उपज प्रयोग में लायी जाती है या नहीं। अगर उस माल की खपत नहीं होती है तो वह चीज नहीं चल सकेगी।

एक बात मैं नैनी इंडस्ट्रियल एरिया के लिये कहना चाहती हूँ। वहाँ बिजली का प्रबन्ध जल्दी से जल्दी होना चाहिये। वहाँ पर काफी इंडस्ट्रीज खुल रही हैं।

दूसरी तकलीफ वहाँ पानी की है। वहाँ केवल एक ही ट्यूबवैल है। दो साल से मैं लगातार कह रही हूँ कि दो होने चाहिये, क्योंकि जब वह एक बार ट्यूबवैल खराब हो गया था तो १५ दिन तक लोग बिना पानी के तरस गये थे। इतनी भारी इंडस्ट्री का लास १५ दिन तक कैसे सहा जायगा? इसलिये एक ट्यूबवेल वहाँ और होना चाहिये।

एक बात प्रधान मंत्री की मुझे याद आ गई। उन्होंने लेजिस्लेटर्स की मीटिंग में कहा था कि एक्सपर्ट्स की ओपीनियन पर इंडस्ट्री खोली जाती है। लेकिन नैनी की रशियन फैक्ट्री के बारे में मुझे एक्सपर्ट्स की ओपीनियन खूब मालूम है। वह मेरा एरिया है। ऐसा था कि दो बार वह खोलनी वहां पर पास हुई और तीसरी बार फेल हो गई। मुझे मालूम हुआ कि तीसरी बार उसमें रशियन पोलीटीकल डिप्लोमेट्स आये थे। मैंने कहा कि ठीक है, पंडित जी की जन्मभूमि और उसका माहौल भला कहाँ उनको सूट करता था। एकदम सब चीजें रिजैक्ट हो गईं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि एक्सपर्ट्स की ओपीनियन को सोचते समय यह भी देख लिया जाय कि क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं।

इस विभाग के काम में इतनी ढोल-पोल है कि यहाँ के सेक्रेटरी या बड़े कर्मचारी अपने पत्र का उत्तर अपने मातहतों से नहीं ले सकते। कहाँ यह आशा की जा सकती है कि हमारी जनता जिनके लिये यह उद्योग खुल रहे हैं वह उत्तर पा

जावेंगे ? इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस ओर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाय। मेरा खुद का यह तजुर्बा है।

यह न समझ लीजिये कि जो कुछ मैंने कहा है उसके अलावा बाक़ी कुछ अच्छा ही नहीं है। मैं फिर एक बार उपस्थित अनुदान का समर्थन करती हूँ।

१२-३-५६

---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने एक अध्यापक के बाद मुझ एक अध्यापिका की बारी दे दी।

आज अनुदान संख्या १८ पुलिस, जिसके अन्तर्गत ६,४१,८४,६०० रुपये की मांग १९५९-६० के लिये स्वीकृति के लिये पेश की गई है, मैं उसके समर्थन में खड़ी हुई हूँ। निस्संदेह, जैसा कि अवस्थी जी ने कहा सरकार के दो ही मुख्य कार्य हैं। एक तो अपने देश को आक्रमण से बचाना और दूसरे आन्तरिक शान्ति को कायम रखना। अब इस पहले कार्य को हमारी केन्द्रीय सरकार करती है और दूसरा कार्य हमारी प्रान्तीय सरकार के द्वारा होता है। इन दोनों के ऊपर एक तीसरा कार्य भी है जो इन दोनों पर ही निर्भर करता है, वह है प्रान्त की उन्नति। अगर सरकार इन दोनों कार्यों को सुचारु रूप से पूरा नहीं कर सकती है तो वह तीसरा कार्य भी नहीं हो सकता है। इसलिये यदि हम अपने प्रदेश की उन्नति चाहते हैं तो हमें चाहिये कि सरकार को जो आन्तरिक शान्ति रखने का कार्य है, उसमें सहयोग दें और जो किसी एक दल या व्यक्ति विशेष का ही कार्य नहीं है।

मैं तो अपनी कांस्टीटुएन्सी को एक लेबोरेटरी समझती हूँ। वहाँ पर जो बातें मेरे सामने आती हैं उन्हीं के आधार पर मैं बातचीत करना मुनासिब समझती हूँ। मान्यवर, लगातार दो वर्षों से मैं यह सुनती आयी हूँ कि पुलिस विभाग और उसके कर्मचारी भ्रष्टाचारी हैं, बेईमान हैं और घमंडी हैं। लगातार यह बढ़ता ही चला जाता है। मनुष्य की मेमोरी बहुत ही छोटी होती है। अभी आजादी आये चन्द रोज ही हुये हैं, लेकिन उस वक्त की पुलिस की हालत, उसकी बेईमानी और उसकी देश-भक्ति दोनों पर तुलनात्मक विचार यदि आपके सामने रखूं तो ज्यादती न होगी।

आजादी से पहिले मुझे याद है कि मेरे गाँव में १०-१२ बरस का एक लड़का डूब कर मर गया। पुलिस आयी और पुलिस ने घरवालों को लाश के सामने ही डांटना फटकारना शुरू किया। अब घर वाले डर गये। पुलिस वालों के लिये वहीं पर दावत का प्रबन्ध शुरू हुआ और उन्होंने वहीं पर उसके दरवाजे पर ही खाया। आखिर घर वाले तो डर ही गये थे, उन्होंने सोचा कि बाद में कहीं पुलिस वाले हमको न कहें इसलिये पुलिस को कुछ रुपये देकर उन्होंने छुट्टी पायी। और सुनिये एक शरीफ आदमी के घर में २०-२५ हजार रुपये की चोरी हो गयी। चोरी होने के बावजूद जब पुलिस वाले वहाँ पहुँचे तो आते ही उनसे पूछा कि बतलाओ तो तुम्हारे

लड़कों की ससुराल कहाँ कहाँ है ? वह शरीफ आदमी डर गया कि कहीं ऐसा न हो कि पुलिस वाले वहाँ जाकर हमारे सम्बन्धियों को या बहू बेटियों को परेशान करें। पुलिस को ३, ४ सौ रुपये देकर उनसे उन्होंने छुट्टी पायी। तो इस तरह की चीज क्या इस स्टेट में या भारत के अन्दर ही कहीं अब भी सम्भव है, क्या ऐसा हो सकता है ? अपने दिल पर हाथ रख कर कहिये बहुत तब्दीली नहीं हुई है ? लेकिन फिर भी पुलिस के रवैये में आज पहले से तब्दीली हुई है ?

श्री हरविन्दो घोष १६०७ के अन्दोलन के सबसे बड़े लीडर थे, जब उनके घर की तलाशी हुई तो पुलिस ने उन की पूज्य बहन की छाती पर हाथ रखकर कहा कि यहाँ रिवाल्वर छिपा हुआ है। क्या आज की पुलिस इस तरह की चीज कर सकती है ? ऐसा नहीं हो सकता है और यह सम्भव भी नहीं है।

आपके सामने मैं एक चीज और रख दूँ यह अंग्रेजी जमाने की बातें हैं। झांसी जिले में बेतवा पर डाके रोकने के लिये २ लाख रुपये सालाना की एक योजना बनायी गई, लेकिन हुआ क्या ? न तो कोई डाकू मरा और न कोई पुलिस वाला ही घायल हुआ। आपको पता है कि डाकुओं ने क्या किया ? जहाँ पुलिस कांन्टेबिल की तनख्वाह १२ रु० थी वहाँ उन्होंने अपने पास से २४ रु० देकर और जिस सब इंस्पेक्टर का वेतन ७५ रुपये था उसको १५० रुपये महीना देकर छुट्टी पा ली। आज इस स्टेट के अन्दर जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा और ये आंकड़े भी बतलाते हैं कितने साहसी पुरुषों ने डाकुओं का सामना किया और सामना करते हुये बलिदान हुये। यह सब आपही के सामने होता था और हो रहा है।

क्रीमिनल सेटिलमेंट्स गवर्नमेंट के जमाने में जो चौकी होती थी वहाँ डाकुओं का अड्डा होता था। अगर मेरे पास समय होता तो मैं विस्तार से बतलाती। आज पुलिस पर जनता का विश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि आज हम सभी देखते हैं कि चौकियाँ लगवाने के लिये लोग हमारे पास आते हैं कि हमारे यहाँ चौकी लगनी चाहिये। आज प्रदेश के हर सदस्य को मालूम होगा कि उसके पास आकर लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ चौकी लगे। यह मेरा अनुभव है और मैं मानती हूँ कि सभी सदस्यों का अनुभव है। उसका अर्थ है कि आज जनता पुलिस से डरती नहीं है बल्कि जनता का पुलिस के ऊपर विश्वास है, लेकिन क्या हम उन सब चीजों से जितनी कि पुलिस के रवैये में तरक्की हुई, उससे संतुष्ट हैं ? नहीं। हम पुलिस को ईमानदार तथा देश-भक्त शान्तिमय ढंग की बनाना चाहते हैं।

पंडित मोतीलाल नेहरू के उन शब्दों की याद दिलाती हूँ कि जो उन्होंने १६३० में इलाहाबाद के चौक में पुलिस को कहे थे। मैंने सुना है कि उन्होंने कहा

था कि हमारा राज होगा और एक-एक को सजा भुगतनी पड़ेगी। एक पंजाबी सिक्ख नौजवान यशवन्त सिंह को सर्दी के मौसम में ठंडी बर्फ पर बैठा कर कहा गया कि बताओ श्री जयप्रकाशनारायण जी कहाँ हैं। उसने उत्तर दिया आज जितनी मरजी आए जुल्म कर लो हमारी बारी आने वाली है। वह बारी आयी सन् १९४७ आया वही यशवन्त सिंह १९५४ में उसी आफिसर के शामने गिरफ्तार करके लाया गया उस समय जो इंस्पेक्टर था वह अब सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस वना हुआ था "सत श्री अकाल" जिसका अर्थ यह था कि आप कहते थे कि हमारी बारी आने वाली है है लेकिन आप तो वही हैं और हम तो ऊँचे हो गये। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारे वायदे थे कि हम इसको बदलेंगे और आज भी वह चीज है। उस ढाँचे को को बदलने का हमारा प्रयत्न है लेकिन शान्तिम्य तरीके से। जो हमारे अनुभवी नेता थे उन्होंने देश की अवस्था को देखते हुये उसी ढाँचे को देश के हित में कायम रखना ठीक समझा। इसीलिये हम उस कान्टीनुइटी की जो भी प्राइस पे करना हो उसको पे करने के लिये तैयार हैं और उसको बदल कर धीरे-धीरे उनके अन्दर वह रवैया लायेंगे जिसकी हमारी इच्छा है। अब भाई यह होता क्यों नहीं, उसी आर्डर को क्यों कायम रखना पड़ा? जो पोलिटिक्ल पार्टीज प्रजातन्त्रवाद का मजाक उड़ा कर देश के साथ खिलवाड़ करना चाहती हैं, कभी घेरा डालो आन्दोलन का प्रोग्राम, कभी रोटी दो या जेल दो का प्रोग्राम यह कथनी और करनी में फर्क क्यों? अगर हम चाहते हैं दरअस्ल तरक्की चाहते हैं तो यह जरूरी है कि पुलिस के सहयोग से हम इन चीजों को शान्तिमय तरीके से आगे बढ़ावें। यह नहीं कि सारा ध्यान सरकार का पुलिस की तरफ लगा दें। अभी पंजाब में भाषा के ऊपर किस तरह से दंगे हुये और आज betterment levy पर हो रहे हैं। दम लेने दीजिये, ताकि क्रान्तिकारी परिवर्तन हो सके।

इसके बाद मुझे यह कहना है कि पुलिस के आउटलुक में क्रान्ति कैसे ला सकते हैं। जिस वक्त मैं चुनकर आयी उससे पहले करछना इलाके में जहाँ से चुनकर आई हूँ काफी कत्ल होते थे। पहले २-३ महीनों में ४ कत्ल हो गये। इसके बाद मैं क्षेत्र में गयी और पुलिस के सारे कर्मचारियों से बारी-बारी से मिली। कहने में हर्ष होता है कि श्री चतुर्वेदी ने जो एस० एस० पी० हैं इतना सहयोग दिया कि डेढ़ साल में कभी कत्ल नहीं हुआ। कांग्रेसजनों ने और विरोधियों ने हमारा सहयोग दिया। जहाँ-जहाँ झगड़े होते थे मुझे वे इत्तला देते थे और हम सब ने मिल कर इस तरह की स्थिति पैदा की कि वहाँ पर जहां तक सम्भव हो कोई दंगा न होने पावे। मंत्री जी से मेरा सुझाव है कि कोई कर्मचारी अगर दोषी पाया जाय तो उसको कड़ी से कड़ी

सजा दी जाय, चैक किया जाय। यह नहीं उसका ट्रान्सफर यहाँ से वहाँ कर दिया जाय, उससे कुछ नहीं होने वाला है। और माननीय सदस्यों से मेरी यह प्रार्थना है कि छोटे-छोटे कार्यों में किसी की तरफ से दखल दिलवाने में शरीक न हों। खुद हम लोग अगर प्रतिष्ठा पाते हैं तो हमारा सम्मान भी है हम उनको सुधार के रास्ते पर बापू को याद करके ले भी जा सकते हैं।

जो पुलिस के कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर मरे उनकी औलाद को इस विभाग की नौकरी में प्रीफरेंस देना चाहिये।

शान्ति सेना स्थापना की जाय सारे स्कूलों में, कालेजों में तथा हर गांव में ताकि हम शान्तिमय ढंग को सुचार रूप से आगे ले कर चल सकें। इसके बाद सब माननीय सदस्यों से हमारा निवेदन है कि यह बात ध्यान में रक्खे कि जो लोग हमारे पास आते हैं, अधिकतर वह वकीलों और पुलिस के दलाल होते हैं। उनसे बचकर कार्य करके अच्छे आदमियों का सम्मान करिये और कहिये कि वे रिटिन रिपोर्ट दिलवाये और तफतीश में स्वयं खड़े हों इससे तब्दीली होगी। हमारा निवेदन है कि हम सब को सहयोग से इसको आगे ले जाना चाहिये। अन्त में जो अनुदान उपस्थित है उसका मैं समर्थन करती हूँ।

१७-३-५६

---

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने जी उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत अध्यापकों, शिष्यों तथा पाठशालाओं में वृद्धि हुई यह इस आदरणीय सदन के सम्मुख रखा और अध्यापकों के वेतन में कितनी वृद्धि हुई उसको भी आदरणीय सदन के सामने रखा। मैं उपस्थित अनुदान का समर्थन रखती हूँ। जो हो ली सो होली का नियम बहुत ही अच्छा है। अब हमें वर्तमान तथा भविष्य के लिये जो करना हो उसे सोचना चाहिये। हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है कि लगभग सभी लोगों को हम शिक्षित कर देंगे। केन्द्रीय सरकार हमको सहायता तो दे सकती है, परन्तु यह जिम्मेदारी हमारी ही होगी, उसके लिये हमें साधन जुटाने पड़ेंगे अगर हमने मौजूदा तरीका ही रखा तो मेरे विचार में उस टार्गेट तक पहुँचने के लिए इतना भारी बोझा हो जायगा जो न केवल हमारे लिये ही उठाना कठिन होगा, बल्कि हमारी गरीब जनता के लिये भी बहुत ही कठिन होगा। यह बहुत ही गम्भीरतापूर्वक सोचने वाली बात है। इस समय भी बालक स्कूलों में जा सकते हैं। उसका एक विशेष कारण यह है कि इस निर्धन देश के बच्चे कुछ तो अपना ही पेट पालने के लिये गाय भैंस आदि चराने या और छोटी-मोटी मजदूरी के काम बचपन से ही करने लगते हैं और कुछ अपने मां बाप के मजदूरी पर जाने के पीछे अपने जो छोटे भाई बहनों हैं उनको सम्हालने के कारण वे स्कूल नहीं आ सकते हैं। ऐसी हालत में स्कूलों की शिक्षा करीब करीब स्वावलम्बी ही बनानी पड़ेगी अगर हमें अपने टार्गेट पर पहुँचना है तो इसके लिये मैं अपने कुछ सुझाव मंत्री जी के सामने रखना चाहती हूँ। एक ऐसी स्कीम बनाने के लिए जो अपने गरीब प्रदेश के अनुकूल हो ऐसे प्रतिनिधियों तथा शिक्षकों की एक कमेटी बनानी चाहिये जो इस बात में पूरा विश्वास रखते हों कि पढ़ाई करीब करीब स्वावलम्बी हो सकती है ताकि वे पूरे विचार के बाद के स्कीम को प्रदेश के सामने रखें और उस स्कीम का काफी अरसे के लिये जनता के सामने विचारार्थ रख दिया जाय और इस माननीय सदन के सामने वह आये ताकि हम उस पर पूरी तरह से विचार करके देख सकें कि वह किस तरह लागू हो सकती है। अभी पर्याप्त समय है कि हमें जल्दी से जल्दी ऐसी कमेटी बना लेनी चाहिये। यह बात निर्विवाद है कि सेल्फ कांफीडेन्स और सेल्फ इम्पलायमेंट हमारी मौजूदा शिक्षा में विद्यार्थियों में नहीं आता है। अब इसके ऊपर विचार किया जाय कि कौन सा ऐसा स्टेप लिया जाय जिससे लोगों के अन्दर सेल्फ

कांफीडेंन्स और सेल्फ इम्पलयामेंट का माद्दा पैदा हो । यहाँ तक कि जो हमारे टेकिनकल कालेज हैं उसमें नौकरी पाने के विचार से ही लोग जाते हैं। होना यह चाहिये कि ट्रेनिंग के बाद अपने आपको काम में लगा सकें। इसलिये हमारा खयाल यह कि वह काम भी इसी कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ स्कालर शिप्स तथा ग्रांट इतनी देर से पहुँचते हैं कि उनका मकसद पूरा नहीं हो पाता। स्कालरशिप्स मार्च में डिसाइड किये गये और ग्रांट अब तक डिसाइड नहीं की गई। इसके लिये ऐसा हो सकता है कि जो पैसा है उसका विकेन्द्रीकरण कर दिया जाय और पाठशालाओं में डिस्ट्रिक्ट वाइज जुलाई से पहले पहुँच जाय और रिजल्ट के १५ दिन के अन्दर स्कालर शिप्स एनाउन्स कर दिये जांय। अगर शिक्षा संस्थाओं में यह चीजें होगी तो जिले में आसानी से हो सकेगी। इसके बगैर बहुत से बच्चे दाखिल नहीं होते या कुछ इधर उधर परेशान होते हैं और घर घर पैसा मांगते हैं। इस आशा से कि वजीफा हमें मिलेगा और कुछ लोग अपनी पढ़ाई का नुकसान करके लखनऊ का दरवाजा खटखटाते फिरते हैं। इसलिये इसका विकन्द्रीकरण कर दिया जाय, जिससे लोगों को यह आसानी से और ठीक समय पर प्राप्त हो जाय और इधर उधर मांगना न पड़े।

तीसरी चीज यह है कि हमारे वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो व्यक्ति नामिनेट किये जाते हैं उसमें दो ढाई महीने लग जाते हैं और उनकी पढ़ाई बेकार जाती है और वे परेशान होते हैं। इसलिये शिक्षा संस्थाओं के खुलने के पहले ही ऐसे नामिनेशनों का निर्णय हो जाना चाहिये। मेरा खयाल है कि इसमें पोलिटिकल सफरर्स को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। जहाँ किताबें दी जातीं हैं वहाँ नवम्बर, दिसम्बर तक नहीं पहुँच पातीं। इसलिये इसकी ग्रान्ट जिलों में जून में ही पहुँच जानी चाहिये, जिससे पढ़ाई में नुकसान न हो।

इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर और डिस्ट्रक्ट इन्स्पेक्ट्रेस के दफ्तर बिलकुल सेपरेट हों इसका मतलब यह है कि डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर के ऊपर निर्भर न हों। महिलाओं का विभाग ऊपर से नीचे तक सेपरेट हो जाय। महिलाओं के करिकुलम भी उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाये जायँ।

एडल्ट एजूकेशन का बहुत सा खर्चा बचाया जा सकता है अगर हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को, जो तीन महीने खाली मिलते हैं. (मई, जून, जुलाई) उनमें वे गांवों में जाकर पढ़ायें और अपने समय को सदुपयोग करें जिससे वे भी समझें कि वे देश का निर्माण कर रहे हैं। उनके लिये यह शर्त रख देनी चाहिये कि इतने आदमियों

को पढ़ा दें तब डिग्री दी जायगी। बच्चे बड़ी खुशी से इस कार्य को करेंगे और उसका उन्हें गर्व होगा कि हम भी देश का कार्य कर रहे हैं।

इसके अलावा एक बात यह है कि ग्रामीण संस्थाओं को बिल्डिंग ग्रान्ट अधिक मिलनी चाहिये। अभी तक अधिकतर शहरों को प्रधानता दी गयी है। अगर हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग शहरों को, न घेरें तो अच्छा होगा कि वहीं पर उनका शिक्षा का प्रबन्ध हो जाय। इसके अलावा एक महिलाओं की शिक्षा के ऊपर जो परसेंटेज धन का रखा गया है वह बहुत ही कम है। इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिये जिससे हमारे देश की महिलायें ज्यादा शिक्षित हो सकें। उनके शिक्षित होने से बड़ा भारी लाभ यह होगा कि बच्चों को प्राइमरी तक खुद पढ़ा लिया करेंगे और प्राइमरी शिक्षा की तकलीफ़ कुछ हद तक दूर हो जायगी।

इसके अलावा एक नम्र निवेदन यह है कि १०, १५ वर्ष तक नौकरियों में भरती न की जाय। तब हमारे बच्चों के अन्दर ये भावना पैदा हो जायगी कि उनको अपने लिए काम खुद ढूँढना है तब उनमें सेल्फ कांफिडेंस पैदा होगा। इसके लिये पचासों उदाहरण दे सकते हैं। जिन बच्चों को हमने गाइड किया वह अपने लिये खुद सोचने लगे। बच्चों में आत्म निर्भरता पैदा करना बहुत आवश्यक है जब उनमें आत्म निर्भरता आ जाती है उनका नैतिक उत्थान भी उसी के साथ होता है। कितनी भी तंगी आये वह उसका सहर्ष सामना करने के लिये तैयार रहते हैं। जब उनमें आत्म निर्भरता नहीं होगी तो घबड़ाने लगेंगे कि हमने हाई स्कूल पास किया, इंटरमीडियट पास किया अब हम क्या करें? उनमें भीरुता आती है, कमजोरी आती है। इससे भावी संतान अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती है। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि बच्चों के अन्दर सेल्फ कांफिडेंस पैदा करना चाहिये।

१६-३-५६

---

मान्यवर, मैं श्री जगदीश शरण जी अग्रवाल के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूँ। समर्थन करते हुये मैं अपनी सरकार के सामने कुछ सुझाव रखना चाहती हूँ। पहले तो मैं माननीय त्रिलोकी सिंह के कल के भाषण की दो एक बातों की तरफ उनका ध्यान दिलाऊँगी। पता नहीं माननीय सदस्य ने कहां से चोरियों वगैरह के आंकड़े सामने रखे क्योंकि तीन साल के आंकड़े मेरे पास हैं जिसमें चोरियां, डकैती, राहजनी, सेंध लगना, इन सबकी संख्या कम बताई गयी है। और दूसरे चीज जब आपने यह कही कि जितनी रिपोर्टस पुलिस में दर्ज हुई उनका १/३ केवल कोर्टस में पहुँच पाया है तो उस पर मुझे थोड़ी हंसी जरूर आई। अगर आदरणीय भाई ने किसी गांव में जाकर देखा होता तो उनको अवश्य ही मालूम होता कि आज हमारी गांव की जनता बहुत रिपोर्ट माइन्डेड हो गयी है। छोटे-छोटे झगड़े भी वह जाकर वहां पर रिपोर्ट में दर्ज कराते हैं। पुलिस तभी आ सकती है जबकि चोरी या संगीन मारपीट उसमें शामिल हो। झूठे तौर पर उसको शामिल करके मुकदमे बनाये जाते हैं लेकिन इस प्रकार के छोटे-छोटे मुकदमों को कोर्ट में भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिये यह एक तिहाई संख्या हमारे मुकदमों की कोर्ट में गयी हैं।

दूसरी परिस्थिति जो बहुत से उधर के भाइयों ने हमारे सामने रखी वह अनाज की है। यह खेद की बात है कि अनाज मंहगा है लेकिन मैं आपके सामने अपनी सरकार की नीति की तरफ से एक बात रख दूँ। जब अकाल पड़ा तो उस समय सबसे ज्यादा एफेक्टेड एरियाज करछना और मेजा थे। वह इलाका हमारे जिले का है और मेरा ही क्षेत्र है। उस इलाके में थोड़ी तंगी जरूर हुई लेकिन वहां के लोग भूखों नहीं मरने पाये। इसलिये मैं यह गौरव के साथ कह सकती हूँ कि सरकार ने उस परिस्थिति को बहुत अच्छी तरह से सम्हाला जहां तक कि सम्भव था।

अब मैं आपके सामने अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। चर्चिल ने कहा कि कुशल पालीटिशियन वह होता है जो कि भविष्य के सब्जबाग दिखाकर जनता को वर्तमान कष्ट भुला सके और जब सन्तोषजनक परिणाम न हो तो वह उस अवस्था में जनता के सामने इसका कुशलतापूर्वक उत्तर दे सके कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया। हमको तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। हमारी सरकार ने जो योजनायें बनाई और उनमें से काफी फी सदी ने सफलता प्राप्त की है जो कि आपके सम्मुख है। उसके विषय में आज यहाँ चर्चा की आवश्यकता नहीं और कहा जाय तो काफी समय लग

जायगा। हमको केवल उन्हीं बातों की चर्चा करना है जो राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कही हैं।

उसमें सबसे जरूरी चीज जिसका जिक्र किया गया है वह सहकारी समितियों का विषय है। सहकारी समिति के दो भाग हैं। सहकारी साधन समिति और सहकारी खेती जहां तक सहकारी साधन समिति का सवाल है उसके लिये देश के अन्दर कोई दो राय नहीं है। हमारे प्रदेश के अन्दर या देश के अन्दर जो भी गरीब किसान हैं उनको अच्छी तरह के अपनी खेती चलाने के लिये साधन मिले। इसलिये सहकारी साधन समिति या सर्विस कोआपरेटिव्स के विषय में कोई मतभेद नहीं है लेकिन दूसरा जो भाग है सहकारी खेती का उसकी उलझन को समझने के लिये हम लोगों को प्रयत्न करना होगा और उसकी उलझन को समझने के लिये कोई बहुत बड़ी बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इसको सोशलिस्ट पैटर्न के हिसाब व केटेस्ट से देखने का प्रयत्न करें तो बात बिलकुल साफ हो जाती है। अगर हम यह याद रखें कि अगर किसान चाहता है तो सहकारी खेती में शामिल होगा और अगर चाहता है तो उसमें से उसके शामिल हो जाने के बाद भी निकल सकता है। फिर इसमें डरने की कोई बात नहीं रह जाती है। केवल इतना है कि हम जनता के सामने जाकर ठीक ठीक बातों को रख सकें।

अगर डर है तो यह है कि हमारे कर्मचारी जोश में आकर जो विचारधारा इन कोआपरेटिव्ज की है किसानों की रजामन्दी से चलाने की है उसको वह बदल न दें। किसानों को कोआपरेटिवज बनाने के लिये मजबूर न करे। यह दिखलाने के लिये कि हम कितना सफल हुए हैं, वह उनको ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश कर सकते हैं लालच के आधार पर। दूसरी परिस्थितियों से भी मजबूर किया जा सकता है। यह दोनों प्रकार की परिस्थिति पैदा होने से हालत भयंकर हो सकती है और वह आगे चलकर घातक सिद्ध हो सकती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि वे स्वयं ( Members ) जाकर जनता को समझाने की कोशिश करें और यदि वे सहकारिता के फायदों को समझ लें और नमूने के तौर पर करके देखलें तब उनको आगे लेकर चलें। तभी हम गांधीवाद और सोशलिस्टिक पैटर्न पर समाज को चला सकते हैं। इस संबंध में अन्यायसंगत न होगा यदि मैं पूज्य बापू के शब्दों को आपके सामने प्रस्तुत करूं।

Gandhiji thus addressed the popular minister, "Will you get out of the jungle of statistics & files and woo the the public to help themselves with the greatest advantage for themslves & the country."

तो जनता को सदस्य और अधिकारी जाकर कहें कि वह स्वयं इनको बनाये क्योंकि अगर उनको हमने अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा निर्भर रखा तो जब करने को बापस करने का समय आयेगा तो वे तितर बितर हो जायेंगे। इसलिये उनको अपने ऊपर निर्भर रहने की ट्रेनिंग देनी चाहिये।

दूसरी चीज ग्रामीण लीडरशिप के बारे में माननीय राज्यपाल महोदय ने कही। अच्छी बात है विकेन्द्रीकरण की ओर जाने के लिये यह एक जरूरी कदम है। लेकिन इसके लिये यदि आफिशियल्स का उपयोग होगा, अगर बी० डी० ओ० वह ट्रेनिंग देने लगेंगे तो वह उचित न होगा। इसके लिये नान आफिशियल्स बाडी होनी चाहिये ताकि लीडरशिप की सही ट्रेनिंग हो सके और कुछ त्यागी व्यक्ति भी बाहर निकल सकें और सही मानो में गांव गांव में लीडरशिप कायम की जा सके। इसकी बड़ी आवश्यकता है।

महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण में शराब बन्दी की चर्चा भी है। पिछले पाँच सालों में इस सिलसिले में कोई ठोस कदम आगे नहीं बढ़ाया गया। महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि इसके लिये एक कमेटी बनायी जायगी जो नाजायज शराब बनाने वालों की जांच करेगी। लेकिन यह नाजायज शराब का जो कारोबार है इसका कारण क्या है। उसका मुख्य कारण पार्शियल प्राहिबिशन ही है। अगर सब जगह प्राहिबिशन हो जाय तो इसकी बहुत गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन इसके लिये सरकार को डर है कि हमारी आमदनी कम हो जायगी। हम श्री मोरारजी देसाई के पिछले केन्द्रीय बजट भाषण को पढ़कर देखें तो मालूम होगा कि उन्होंने कहा है कि बाम्बे राज्य में शराब बन्दी हो जाने की नतीजा क्या हुआ। जितनी आमदनी हमारी शराब बन्दी के कारण कम हुई उससे कई गुना ज्यादा हमारी दूसरी आमदनी बढ़ी। चूंकि उसके डिटेल्स में मैं नहीं जा सकती हूँ, उन्होंने यह कहा कि लोगों की कार्य करने की शक्ति बढ़ गयी और कई गुना हमारी आमदनी बढ़ी है। उन आंकड़ों को उठाकर देखें। इसलिये हमारा नम्र निवेदन है कि इस साल अधिक से अधिक क्या पूरा प्राहिबिशन एकदम हो जाय। आमदनी की परवाह न कीजिये, आपको आमदनी के और जरिये मिल जायेंगे।

महामान्य राज्यपाल जी ने लैंड रिकार्डस के दुरुस्ती के बारे में कहा है। इस लैंड रेकार्डस की दुरुस्ती का केवल अर्थ इतना ही न हो कि हमको २ करोड़ रुपया वसूल करना है, इसके कुछ और भी अर्थ होने चाहिये। जितनी हमारे रेकार्डस में गलती हो गयी है जिसके कारण सैकड़ों कत्ल, हजारों मुकदमे इस जमीदारी अबालीशन के बाद पैदा हुई हैं उनको ठीक करना यह भी जरूरी है। कभी-कभी हमारे आफिसर्स ज्यादा आमदनी दिखाने के लिये ऐसा भी करते हैं कि अभी लगान

बागात पर लगानी थी तो जो बाग खेती के अन्दर आये भी नहीं थे उनको भी शामिल कर दिया। बाद को मालूम हुआ कि बाग वहीं का वहीं मौजूद है तो ऐसी चीजों को ज्यादा दूर तक देखा जाना चाहिये।

पबलिक लैंड एविक्शन बिल के सम्बन्ध में माननीय राज्यपाल जी ने कही है। मेरा विचार है कि ऐसा कानून बनाते समय इस बात को ध्यान में रखें कि जितने गरीब किसान खासकर डिस्प्लेस्ड परसंस जिन्होंने बहुत से खतरे लेकर जमीन को जोता है और अपनी सारी पूँजी लगाकर वहां पर बस गये हैं और जिनके पास ऐसी भूमि है जो अफसरान के सहयोग से ली गयी है या और जिसका लगान वह कुछ अरसे से दे चुके हैं वह छीनी न जाय।

स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के बारे में कहना चाहती हूँ। नैनी जिला इलाहाबाद में ऐसा है जहाँ लोहे का कोटा छोटे-छोटे कारखानों दारों को दिया गया तो है लेकिन लोहा कभी नहीं मिला। लोहा उनको मारकेट से डबल रेट से लेना पड़ता है जिससे छोटी इन्डस्ट्रीज को बहुत धक्का पहुँच रहा है। इसलिये मैं अपने मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगी कि उसकी तरफ जल्दी से जल्दी ध्यान दें।

इसके अलावा आपके सामने मुझे एक चीज और रखनी है। ४० एकड़ भूमि की सीलिंग। सरकार का ध्यान मैं उन तराई के बड़े मेकनाइज्ड फार्मर्स की ओर दिलाना चाहती हूँ जिन्होंने सब अपने रिसोर्सेज लगाकर कर्जा लेकर उसके सारे खतरों को सहकर उस भूमि को आबाद किया है। उससे मेरा तात्पर्य यह है कि जितनी भूमि खेती के अन्दर नहीं है वह तो ले ली जाय बाकी खेती उनको कुछ अरसे के लिये छोड़ दी जाय ताकि वह अपना कार्य जिसपर उन्होंने इतनी मेहनत की है उसको और सफल बना सकें और उस भूमि को और उपजाऊ बना सकें और जबकि इतना भयंकर समय जा रहा है यह आवश्यक है कि उपज में किसी किस्म की कमी प्रदेश में न आने पाये। इसका अर्थ यह न लगाया जाय कि हम पूँजीपतियों के हामी हो गये हैं। बल्कि हम चाहते हैं कि उपज की कमी प्रदेश में न आने पाये। इसके अलावा मुझे आजकल लेबर और कैपिटल के बीच में जो कशमकश है उसके बारे में निवेदन करना है। वह यह है कि कोई नान आफिशियल बाडी बनायी जाय जो कि इन दोनों के बीच में समझौता कराने में सफल हो सके। मैं समझती हूँ कि आफिशियल्स बाडी समझौता कराने में सफल नहीं हो पाती है। इसलिये इस तरह की कोशिश की जाय कि नान आफिशियल्स बाडी बनाकर समझौता कराने की कोशिश की जाय।

धन्यवाद

२६-७-५६

---

मान्यवर, माननीय न्याय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करते हुये मैं मंत्री जी का ध्यान इस विधेयक की कुछ धाराओं की ओर दिलाना चाहती हूँ जिन पर, जबकि यह बिल संयुक्त प्रवर समिति में जाय तो वहां उन धाराओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। इस बिल के अन्दर उद्देश्यों में लिखा हुआ है कि यह बिल प्रदेश में उत्पादन की वृद्धि के लिये लाया जा रहा है।

तराई भावर में बसे हुये शरणार्थियों का case ले लीजिए। इसके सम्बन्ध में मैं सदन के सामने इस बिल का खंड २ (२) पढ़ना चाहती हूं जो कि इस प्रकार से है: "सम्पूर्ण कुमायूं मंडल (डिवीजन) सिवाय काशीपुर परगने के तथा तराई और भावर परगने के उस भाग के जहां कोई मध्यवर्ती नहीं है।" इस इलाके के सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्यों ने भी यहां पर बताया है कि यह पहाड़ी इलाका है और यहां पर ८ वर्ष पहले जंगल बयाबान थे और यहां पर बसने के लिए और इस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए शरणार्थी भाइयों से सरकार की ओर से प्रार्थना की गई। शरणार्थियों द्वारा इस भूमि को उपजाऊ बनाने और यहां पर बसने के बाद, जबकि उन भाइयों ने ८ वर्ष के निरंतर परिश्रम और मुसीबत सहने के बाद इसको खेती के लायक किया और उसमें बसे और उन्होंने वहां पर लगभग ८०० रु० फी एकड़ खर्चा किया, उनके साथ ६६ वर्ष की लीज हुई, अब थोड़े सालों के बाद उनसे इस धारा के अनुसार यह जमीन ली जा रही है। यह बहुत अनुचित है। इसलिये मैं चाहती हूँ कि खंड २ (२) को निकाल कर उसके स्थान पर "सम्पूर्ण कुमायूं मंडल" रख दिया जाय। यानी सम्पूर्ण कुमायूं मंडल में इसको अभी लागू न किया जाय ताकि वहां पर जो ३ लाख कुटुम्ब बसे हुये हैं वह अपनी भूमि उसी प्रकार से अपने पास रख सकें और उत्पादन की वृद्धि में कमी न हो। उत्पादन की वृद्धि में कमी का संशय किस तरह से उत्पन्न होता है? वहां पर उस पहाड़ी इलाके में बैलों से खेती नहीं हो सकती है और वहां पर उन लोगों ने जोतने के लिये ट्रैक्टर वगैरह रखे हैं। वहां पर उनको ट्रान्सफर राइट नहीं दिया गया है। वहां पर टुकड़े हो जाने पर बैलों से खेती नहीं हो सकती, छोटे-छोटे भूमि के लिए tractors रखना कठिन हो जायगा। दूसरी बात यह है कि आगे जो लोग लैंड रिक्लेम करने वाले हैं वह भी इस भय से कि सरकार जमीन ले लेगी, आगे कार्य नहीं करेंगे। इसलिए इस प्रकार की कोई भावना लोगों में सरकार को नहीं आने देना चाहिए। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार इस खंड की ओर ध्यान दे और सरकार इस खंड में "सिवाय" से लेकर..."कोई मध्यवर्ती नहीं है" तक हटा दे।

दूसरी बात यह है कि पिछले वर्ष पश्चिमी इलाकों में बाढ़ आई और पूर्वी इलाकों में सूखा पड़ा इस इलाके ने उत्तर प्रदेश को भुखमरी के मुँह से निकाला था। इसने काफी मक्का उस समय पैदा की थी। इसलिये हम कोई भी ऐसा कदम न उठावें जिससे हमारे प्रदेश की उत्पत्ति कम हो और ये लोग अपने आप को फिर बेघर महसूस करने लगें। ये आपके आश्वासन पर वहां बसे अपने लोगों के जीवन को मलेरिया में दिया और सरकार का भी धन इसमें लगा हुआ है। कुमायूं मंडल को सारे को आप छोड़ दीजिये जिससे वे लोग जब तक कुमायूं मंडल पर जमींदारी उन्मूलन अधिनियम (act) न लग जाय अपनी मेहनत का कुछ लाभ उठा लें या उनके लिए compensation की शर्तें अलग रखी जायं, न्याय को दृष्टि में रखते हुए।

इस बिल के खंड ४ के उपखंड (२) के भाग (ख) में लिखा है "पांच से अधिक सदस्यों वाले परिवार की दशा में अधिकतम क्षेत्र अच्छी औसत प्रकार की भूमि के ४० एकड़ और इसके अतिरिक्त परिवार के पांच के अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य के लिये आठ एकड़ का समझा जायगा, किन्तु उक्त अतिरिक्त सदस्यों के कारण अनुमत अतिरिक्त क्षेत्र ऐसी भूमि के २४ एकड़ से अधिक न होगा"। तो ६४ एकड़ से ज्यादा किसी हालत में नहीं दिया जायगा। एक तरफ तो हम गांव में सहकारिता का नारा लगाते हैं वहां इस धारा का नतीजा यह होगा कि जहां आठ से अधिक कुटुम्ब हुआ और उन्होंने अलग-अलग किया। इस प्रकार कुटुम्ब की सहकारिता खत्म हो जायगी। तो कुटुम्ब की सहकारिता को तोड़ कर गांव को सहकारिता की भावना मेरी समझ में नहीं आती। एक कुटुम्ब में बूढ़े जवान सभी को उसकी हिम्मत के अनुसार काम दे दिया जाता है। लेकिन जब हम यह कह देते हैं कि आठ के आगे भूमि नहीं देंगे तो कुटुम्ब के टुकड़े हो जायेंगे। इस कुटुम्ब की सहकारिता को नहीं तोड़ना चाहिये। मैं आशा करती हूँ कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे। ८ एकड़ के स्थान पर छः एकड़ कर देना चाहिये परन्तु कुटुम्ब के सदस्यों के आधार पर २४ एकड़ की सीमा नहीं रखनी चाहिये, इसलिये इस धारा की अंतिम पंक्ति निकाल देनी चाहिए।

इसके अलावा मैं आपका ध्यान खंड १३ की तरफ दिलाना चाहती हूँ। जिसमें १८ उपखंड हैं। इसमें लिखा है "अधिकतम सीमा के आरोपण से कुछ भूमि की विमुक्ति" में इसकी केवल उपखंड (८) और (९) की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। "व भूमि जो किसी दानोत्तर वक्फ, न्यास या निबंध के पास या अधीन हो, और वह भूमि जो किसी धर्मोत्तर वक्फ, न्यास या निबंध के पास या अधीन [illegible] गई, १९५९ के पहले से लगातार रही हो;" मुझे यह कहना है कि इसके [illegible] सीलिंग क्यों न रखी जाय ? यह छूट देने से पहले गुरुद्वारे, मंदिरों और

मस्जिदों की भूमि की जांच की जाय कि कितनी भूमि की आमदनी दान, या वेलफेयर में खर्च होती है और कितनी की महन्तों के व्यक्तिगत फालतू खर्चों में होती है। यह छूट उसी जांच के आधार पर देनी चाहिये।

इसके अलावा मुझे और जनरल बातों की ओर ध्यान दिलाना है। इस विधेयक में मुझे कहीं भी यह मालूम नहीं पड़ा कि अगर किसी आदमी के दो पत्नियां हों तो उनका एक कुटुम्ब माना जायगा या दो। यह तो निश्चय है कि उनमें पहले से ही दो कुटुम्ब की भावना होती है। जब उनके आदमी की आंखें बन्द हो जाती हैं तो उनमें सिवाय लड़ाई के और क्या होगा? अगर दो कुटुम्ब माने जावेंगे तो उसकी भूमि का बटवारा भी उसी आधार पर हो सकेगा।

इसके बाद, जो भूमि आपको मिले, इस कानून के लागू हो जाने के बाद, उसमें से हम सब को तो दे नहीं पावेंगे मगर जितनों को दें उतनों को एकदम परमानेंट ओनरशिप न दें। देते समय कुछ वर्षों का, २,३ या ४ वर्ष का समय निर्धारित कर दें कि अगर वह इतनी उत्पत्ति पर-एकड़ हमको दिखायेंगे तो उसके पास जमीन रहेगी नहीं तो किसी दूसरे को दी जायगी।

पहले जो मैंने खंड २ के बारे में बात कही थी उसमें माननीय मंत्री जी यह कह सकते हैं कि खंड २५ के भाग (२) में हमने यह बन्दोबस्त कर दिया है कि जिससे मेकैनिकल खेती करने वालों का प्रबन्ध हो सके। उसमें लिखा है कि "राज्य सरकार यह कर सकती है कि ऐसी अवधि तक जो सार्वजनिक हित में आवश्यक हो, किसी यंत्रकृत फार्म की अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त न करे और उसे राजकीय फार्म के रूप में चलाये और वह उक्त प्रयोजन के लिये किसी उपर्युक्त व्यक्ति को प्रबन्धक के रूप में नियुक्त कर सकती है और यदि यंत्रकृत फार्म के धारक व्यक्ति उपयुक्त हों तो उसे अधिमान देगी तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जायँ, वे शर्तें तय करेगी जिन पर उक्त प्रबन्धक कार्य करेगा।" इसमें यह शंका उत्पन्न होती है कि किन शर्तों पर ये लोग उसमें आवेंगे। सरकारी फार्म वह होगा। अपना और सरकारी फार्म के चलाने में जो उत्साह होता है वह हम सभी जानते हैं। खेती बेटे से भी बढ़कर मेहनत से पाली जाती है। उसमें उसकी कितनी रुचि होगी, यह आप लोग खुद अनुमान लगा लें और इससे पता लग जायगा कि उत्पत्ति में हम वृद्धि करने में कितने सहायक होंगे। कोई भी कदम हमें ऐसा नहीं उठाना चाहिये जिससे कि प्रदेश का उत्पादन और कम हो। इसे ध्यान में रखते हुये इस बिल को देखा जाय। यही मुझे कहना है।

---

३-६-५६

श्रीमान् इस विधेयक का समर्थन करते हुये मुझे अपनी सरकार का ध्यान कुछ बातों की ओर दिलाना है। इस हक में तो नहीं हूं कि जो जबरदस्ती कब्जा कर ले उसे भूमि दे दी जाय, अनआथोराइज्ड लोगों को ऐनकरेज किया जाय, इसके हक में कोई भी जुम्मेदार इन्सान नहीं हो सकता है। लेकिन जब मैंने इस बिल को पढ़ा और पढ़ने के बाद कुछ चीजों ने मुझे आश्चर्य में डाल दिया।

पहली बात आश्चर्य में डालने वाली यह थी कि राय, राय सिक्ख, जाट सिक्ख, बिखर सिक्ख और कम्बू सिक्ख किस आधार पर क्रिमिनल ट्राइब ठहराये गये ? लेकिन मुझे खुशी है माननीय तेजा सिंह जी ने मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाया कि हमारी इंडियन रिपोर्ट के मुताबिक वह क्रिमनिल ट्राइब्स नहीं हैं तो मंत्री जी ने इसको स्वीकार कर लिया है।

दूसरी बात मुझे यह आश्चर्य की लगती है जब यह कहा जाता है इस बिल के उद्देश्य में कि २० हजार एकड़ भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया गया !

आज १२ वर्ष हो गये आजादी को आये। हमको इसके दरे पहलुवों पर गौर करना होगा। एक तो सरकार को पता न चला और डाका इतना पड़ता चला गया और दूसरे यह कि पता होते हुये भी सरकार ने कुछ न किया।

पता न लगा हो इसमें हैरान होने की यह बात है कि इतना बड़ा डाका पढ़ता चला जाय और सरकार के कर्मचारियों को पता न चले यह समझ में नहीं आता। जब आप अनआथोराइज्ड होल्डर्स को यह सजा देने जा रहे हैं कि वे चले जांय तो क्यों नहीं उन सरकारी कर्मचारियों से भी एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों नहीं उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाती है क्योंकि वे भी अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते।

दूसरी चीज यह हो सकती है कि कर्मचारियों को पता हो तो फिर कैसे यह जमीन उनके पास छोड़ दी गयी और क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी। इससे यह मालूम होता है कि सरकार उनको बसा रही थी और इसका सबूत यह है कि बहुत से कुटुम्ब ऐसे हैं जिनसे लगान लिया गया है। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि जिनसे लगान ले लिया गया हो, एक किस्त या २ किस्त भी उनको यह छूट दे देना चाहिये कि वे अपनी भूमि को बचा सकें। और जिस तरह से वे आगे रह रहे

हैं उसी तरह से आगे रहते चले जांय। इसलिये मैं ऐसा कह रही हूँ कि वह बड़ा भयंकर एरिया था और वहाँ शुरू में कोई जाना नहीं चाहता था और अफसरों ने इस सहानुभूति में कि ये दूर से आये हुये लोग हैं, दुखी हैं, कुछ मेहनत करना जानते हैं इस भयंकर एरिया को बसाने के लिये इनको यहाँ बसने दिया और जो लोग आते गए उनको गले लगाते गए और कहा कि रहो और उनसे लगान लेते चले गए। कर्मचारियों को ऐसा भय था कि यहाँ पर लोगों को बसाने की स्कीम सफल न हो पायेगी इसलिये लोगों को उत्साहित किया। इसलिए जिनसे लगान लिया गया हो उनको यह जमीन छोड़ दी जाय और उनको घर बेघर न किया जाय। इन दुखियों के मेहनत करने का साहस न तोड़ा जाय। यह सिद्ध हो ही चुका है कि वे क्रिमिनल ट्राइब्स के नहीं हैं, आवश्यकता हो तो माननीय मंत्री जी जाकर स्वयं देख सकते हैं कि किस तरह के वे लोग वहाँ पर इतने वर्षों से रह रहे हैं।

अन्त में मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी स्टेट सेकूलर स्टेट है। किसी आदमी के मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकलना चाहिये जिससे किसी दूसरी जाति वाले को इस बात का खेद हो कि इसके लिए उसे कहा जा रहा है। विधेयक में तो खासकर किसी जाति विशेष के लिए ऐसा नहीं लिखना चाहिये। हमारे देश के अन्दर ऐसी बात है कि थोड़ी सी बात लगाइये भाव कुछ हो और लोग उसको जल्दी से धर्म के नाम पर लेकर चल देते हैं। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि जहाँ पर यह लिखा गया हो सिख ट्राइब्स उसमें से सिख शब्द हटा दिया जाना चाहिये और लिख दिया जाय वहाँ पर जो लोग अनआथोराइज्ड होल्डर हैं उनको हम यहाँ से हटाना चाहते हैं। या उन्हीं के ऊपर हम कोई ऐक्शन लेना चाहते हैं, किसी जाति विशेष की बात कहने से जिनके ऊपर वह चीज होती है, भड़काने का काम करती है। यहाँ न भी कुछ हो सकता है कि पंजाब की तरफ से या किसी दूसरी तरफ से वह हवा आये। सब सदस्य जानते हैं कि हमारी वास्तविक धर्म के नाम पर क्या हालत है। इसलिए इस शब्द को इसके अन्दर से हटा देना चाहिये और जहाँ सिख लिखा हुआ है वह सारी लाइन हटा कर यह कर दिया जाय कि जो अनआथोराइज्ड आक्युपेंट्स हैं उनको हटाया जायगा।

इस ओर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूँ जो इस विधेयक में लिखा है कि उत्पत्ति में वृद्धि होगी और हम दूसरे लोगों को भूमि दे सकेंगे जो लैंड-लेस हैं, तो हमारे पास अभी तक बहुत सी भूमि अनरिक्लैम्ड पड़ी है। अगर हम यह समझते हैं कि यहाँ के लोग इतनी मेहनत करके उस जमीन को रिक्लेम कर लेंगे तो

पहले उनको वह भूमि देकर एक्सपेरीमेंट कर लें यह भूमि तो जोती जा ही रही है इन्हें हटाने से उनज कम होगी और लोग मेहनत करके अपने चने चबेना का इन्तजाम करते हैं उनको रहने दिया जाय यह बड़ी हार्ड जमीन है उस पर खेती होना इतना सरल कार्य नहीं है।

ये तीन माँगें मेरी हैं और मेरा ख्याल है कि मंत्री जी इनके ऊपर अवश्य ध्यान देंगे।

४–६–१९५६

---

मुझे इस प्रस्ताव को पढ़ कर इतना जोश नहीं आया जितना उधर के भाइयों को आ गया है। पता नहीं क्या इसकी वजह है ?

दूसरे मैं कैसे कह सकती हूँ कि माननीय मोती लाल जी ने इन्टर और हाई स्कूल का प्रास्पेक्टस पढ़ा नहीं क्योंकि मुझे ऐसा ज्ञात है कि वे १५ साल तक अध्यापक रहे और अब भी अध्यापक हैं। तो यह साहस मैं कैसे करूँ कि उन्होंने प्रास्पेक्टस पढ़ा नहीं, जरूर पढ़ा होगा और आशा है कि उसके अन्तर्गत वे काम भी करते होंगे।

तीसरे मैं यह भी नहीं कह सकती उन्होंने पढ़ कर समझा नहीं। बहुत पढ़े-लिखे समझदार व्यक्ति वे हैं। केवल इतना मात्र कह सकती हूं कि पढ़ कर थोड़ी सी भूल अवश्य उनसे हो गयी है। भारतीय जी का प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"यह सदन अपना यह निश्चित मत प्रकट करता है कि प्रादेशीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों में स्वावलम्बन, अनुशासन और सामयिक शिक्षा की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए यह उचित है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में इस प्रकार परिवर्तन कर दिया जावे कि केवल उन विद्यार्थियों के अतिरिक्त जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी हो अन्य सब ही विद्यार्थियों के लिये भारतीय संविधान के परिशिष्ट ८ में दी हुई भारतीय भाषाओं में से किसी भाषा का ही केवल द्वितीय भाषा के स्थान पर अनिवार्य रूपेण शिक्षण नियमित हो।"

यह केवल इतना कहते हैं कि जितनी भाषायें दूसरी हैं। कम्पल्सरी हिन्दी के अतिरिक्त अगर कोई भाषा करानी हो तो प्रान्तीय भाषा कराई जाय लेकिन हमारे प्रास्पेक्टस में साफ-साफ दिया हुआ है। हाई स्कूल का प्रास्पेक्टस मेरे पास है इंटर का भी है उसमें साफ-साफ दिया हुआ है कम्पल्सरी सबजेक्टस क्या हैं ? हिन्दी और कोई भी भारतीय लैंगुएज जैसे संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, मराठी, आसामी, उरिया, कनाड़ी, काश्मीरी, तामील, तेलगू और मलयाआलम और इसके साथ है "या" माडर्न फारेन लैंगुएज लीजिये। उसमें है अंग्रेजी, फ्रेन्च, जर्मन, नेपाली, तिब्बती। अंग्रेजी हमारे प्रास्पेक्टस में कम्पल्सरी नहीं है। इण्टर में भी कम्पल्सरी नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—इसी "या" से तो भय खाना चाहिये। इसी "या" ने मजबूर कर दिया और लोग अंग्रेजी लेने लगे।

कुमारी कमलकुमारी गोईन्दी—मेरे सामने दोनों चीजें हैं। आपने १५ साल पढ़ाया है तो मैंने भी १२ साल पढ़ाया है। आप अध्यापक हैं और मैं भी अध्यापिका हूँ। घबड़ाने की कोई बात नहीं है। आपने कहा कि अंग्रेजी कम्पल्सरी नहीं होना चाहिये और हमारे प्रास्पेक्टस में भी वह कम्पलसरी नहीं है। यह बात इससे जाहिर है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—बहन जी, यह अनिवार्य विषय में है।

कुमारी कमलकुमारी गोईन्दी—भैया मुझे पहुँचने दो उसी पर, घबराते क्यों हो! सुन लीजिये, कम्लसरी हो कैसे जाती है।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—प्वाइन्ट आफ आर्डर। इस आदरणीय सदन में माननीय सदस्यों को एक दूसरे को माननीय सदस्य कहना चाहिये या बहन जी और भाई जी?

श्री अध्यक्ष—वैसे तो माननीय सदस्य ही कहना चाहिये, लेकिन अगर किसी "भैया" ने बहन से सीधे बात की तो किसी "बहन जी" को भी भैया कहकर जवाब देना उचित ही होगा। (हँसी)

कुमारी कमलकुमारी गोईन्दी—सवाल यह है कि आप लोगों को अंग्रेजी अनिवार्य कैसे दिखायी देती है। कारण यह है कि बहुत से स्कूलों में जो दूसरी भाषायें हैं, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मरहठी वगैरह उनके पढ़ने का कोई प्रबन्ध नहीं होता इसलिये विद्यार्थी चुपके से अंग्रेजी ले लेते हैं। संस्कृत तथा उर्दू पढ़ाने का प्रबन्ध तो आसानी से पाठशालाओं में हो सकता है। अंग्रेजी के स्थान पर इनका प्रबन्ध किया जा सकता है। ऐसा कर लिया जाय तो अंग्रेजी लेना कोई जरूरी नहीं होगा। दूसरी एक और भी वजह अंग्रेजी लेने की है कि बच्चों के मां बाप यह समझते हैं कि आगे चलकर कैसे वे बी० ए०, एम० ए० एल-एल० बी० आदि डिग्रियां हासिल करेंगे इसलिये शुरू से ही अंग्रेजी ले दो। तो इस सेन्स में अंग्रेजी अनिवार्य हो सकती है लेकिन जहाँ तक प्रास्पेक्टस का सवाल है उसमें वह कम्पल्सरी नहीं है। अब सवाल यह है कि इसमें कैसे परिवर्तन किया जा सकता है। केवल एक ही जरिया है कि हम पहले बी० ए०, एम० ए० या जो भी उच्च शिक्षा लोगों को देना चाहते हों उनकी पुस्तकों का या तो अनुवाद करें या अपने आधार से उनका कोर्स बनायें। जैसा कि किया जा रहा है। बाकी सूबों में तो ऐसा हो सकता है कि हिन्दी एक भाषा ले लेते हैं और दूसरी भाषा अपने प्रान्त की ले लेते हैं लेकिन यहां पर खुशकिस्मती यह है कि राष्ट्र भाषा भी हिन्दी है और प्रान्तीय भाषा भी हिन्दी है। इसीलिये दूसरी भाषा अंग्रेजी लेनी पड़ती है। इसको इसी तरह से हटाया जा सकता

है कि एक तो पाठ्यक्रम दूसरे तरह का बन गया होता और दूसरे हमारे मोतीलाल अवस्थी जैसे विद्वान् भाई बाहर निकले होते और उन्होंने किताबों का अनुवाद कर दिया होता और तब कहते कि हम तैयार हैं मैदान में लड़ने के लिये और यह हमारी किताबें तैयार हैं। अगर हमने यह प्रयत्न कर लिया होता और फिर सदन का समय लेते तो हमें अधिक शोभा देता नहीं तो लोग कहेंगे कि ये पढ़े लिखे लोग भी बिना सोचे बात करते हैं।

दूसरी चीज मुझे यह कहनी है कि "पानी में मीन पियासी यह सुन के आवे हांसी।" पानी में मीन को पानी न मिलता हो इसकी क्या वजह है। बच्चों को अगर फारेन लैंगुएज सिखाई जाय तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि अपनी भाषा को सीखते-सीखते उनकी विचारधारा विकसित होती है और जब दूसरी भाषा सीखते हैं तो उनके सीखने में ही उनका सारा दिमाग लग जाता है और विचारधारा की तरक्की नहीं हो पाती। अंग्रेजी सब को सिखाने की आवश्यकता नहीं केवल उन लोगों को ही सिखाई जाय जो इसे जल्दी सीख सकें। अपनी मातृभाषा में विचार शीघ्र विकसित होते हैं। जितने यहां पर हम लोग हैं हमको चाहिये कि बच्चों के लिये साधारणतया लोगों को जाग्रत करें और ऐसे पाठ्यक्रम बनायें और ऐसी व्यवस्था करें जिससे हमारे बच्चे सारी चीजों को जल्दी ग्राह्य कर सकें। आप कहेंगे कि सरकार क्यों नहीं करती है? इसके लिये मैं कहूँगी कि जैसे खेती में होता है कि उसके बोने तथा जोतने के लिये पहले किसान की मेहनत चाहिये। पहले गोड़े और बोये वैसे ही जनता की नीचे की सतह ऐसी बननी चाहिये और पढ़े लिखे लोग जो अपने को राष्ट्र के प्रतिनिधि मानते हैं समझ लें कि इस चीज को देश में इस तरह से करना है तब तो इस प्रस्ताव की बात हमारी समझ में आती है अन्यथा जो बात इस प्रस्ताव में है वह तो प्रास्पेक्टस में रखी हुई है।

हमारे भाइयों का कहना है कि आदमी चरित्रवान हों, बुद्धिमान हों, लेकिन चरित्रवान् होने के लिये व्यक्ति के संकल्प की और दूसरे इस बात की आवश्यकता है कि अध्यापक का व्यवहार कैसा और बच्चों पर कितना प्रभावशाली होता है। बच्चों के ऊपर उसके चरित्र और संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। अपने बच्चों को अगर हम हिन्दुस्तानी सभ्यता और भारतीय संस्कृति सिखाना चाहते हैं तो निश्चय बात है कि घर में माता और पिता और स्कूल में हमारे अध्यापक यह सोचें कि हमें बच्चे के अन्दर इस चीज को पहुँचाना है। बच्चों को अगर इंसान बनाना है तो पहले स्वयं माता और पिता को और अध्यापक को इंसान बनना होगा। बच्चों का मानसिक और आध्यात्मिक विकास तभी हो सकता है।

यहां पर आप कहेंगे कि क्या आजकल के अध्यापक अच्छे नहीं हैं यह गलत है। सब पूज्य हैं और अच्छे हैं। कुछ भौतिक समस्यायें चल पड़ती हैं, वह हमें सताया करती है और हम उनके कारण मजबूर होकर बच्चों की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। माता को चिन्ता पड़ी रहती है रोटी कपड़े की उसी तरह से अध्यापक को भी चिन्ता रहती है। अन्त में मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि यह चीज सदन के अन्दर लाने की नहीं है बल्कि इस पर हम सबको गम्भीर होकर सोचना होगा और मैं आपसे प्रार्थना करूँगी कि यह जो आपका प्रस्ताव है वह इस समय महत्व नहीं रखता है और न इसकी कोई आवश्यकता मालूम पड़ती है। सदन का समय इस प्रकार नहीं लेना चाहिये इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करती हूँ।

११-६-५६

— —

मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुये अपने कुछ विचार इस सदन के समक्ष रखना चाहती हूँ। माननीय राजनारायण जी ने जो भाषण दिया उसका उत्तर तो मुझे देना नहीं है, उसका उत्तर तो कम्युनिस्ट भाई ही देंगे, लेकिन अगर नारायणदत्त जी होते तो मैं उन्हें बता सकती थी......

श्री शिवप्रसाद नागर—वह यहाँ मौजूद हैं।

कुमारी कमल कुमारी गोईन्दी—ठीक है। तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारे प्रदेश में इन बीर बहादुरों के होते हुए यह असंभव है कि चीनी देहली या लखनऊ तक ७ दिन में चले जायेंगे। वे अपने दिल पर हाथ रखकर कह दें कि क्या हमारे होते हुए चीनी यहाँ आ सकते हैं। कदापि नहीं। मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता।

आज मुझे बहुत सी पुरानी बातें याद आ रही हैं। जब जापानीज के आने का डर था तो मीरा बहन ने बापू को लिखा कि देहाती भी कहते हैं "On, the aeroplanes that make a great noise are British but there are silent planes also. They are Mahatma's Planes" तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि वह साइलेंट बापू के प्लेन्स अभी भी मौजूद हैं। हम देश की रक्षा के लिए कोई भी कसर उठा नहीं रखेंगे। हम सब बापू के बच्चे देश की रक्षा के लिये सदैव तत्पर रहेंगे। हमें गांधी जी की विचारधारा को जीवित रखना है। हमारा बच्चा-बच्चा देश की सुरक्षा के लिए कुरबान हो जायेगा। इस अवसर पर मैं गुरु गोविन्द सिंह जी के दो नन्हें पुत्रों के वचन याद दिलाना चाहती हूँ जबकि वे जिन्दा दीवार में चुने जा रहे थे।

"मुगल बादशाह बड़े ही भोले,
जो इतना भी न समझ सकते,
सिंह नहीं सञ्जीवख तक दे,
सुरे नहीं मौत ते डर दे,
सक्ख नहीं भोगां ते मरदे
जिस गुरु दे असी दुलारे,
मन्स छ डेओस सुख सारे।"

इसका मतलब यह हुआ कि श्री गुरु गोविन्दसिंह के दोनों पुत्र जब दीवार में चुने जा रहे थे, उन्होंने उस समय सरहिन्द के नवाब से कहा कि मुगल बादशाह बड़े भोले-भाले हैं वे यह भी नहीं जानते कि क्या कभी शेर भी सब्जी की तरफ देखता है वीर पुरुष भी कभी मौत से डरते हैं। सच्चे सिक्ख विलास में पड़ कर नहीं मरते। जिस गुरु की हम सन्तान हैं, वह सभी सुखों को तिलांजलि दे चुके हैं।

आज हम सबसे जिनको बापू की औलाद होने का गौरव है यह कायरता नहीं हो सकती और कोई हमको रोटी कपड़े के लालच में नहीं बहका सकता कि चीन आ जायगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। वह आवेगा कैसे? एक-एक व्यक्ति में यह विश्वास होना चाहिये कि जब तक हम हैं तब तक वह आयेगा कैसे। जब हम नहीं होंगे तब परमात्मा देखेगा। सिर्फ एक प्रार्थना मैं करना चाहती हूँ कि हमें शान्ति और धैर्य से काम लेना चाहिये और ऐसी चीजें हमें न कहनी चाहिये और न करनी चाहिये जिससे हमें हानि पहुँचे हमारे देश को हानि पहुँचे। अगर कोई ऐसी बात होती है जिससे मुल्क की शान्ति में बाधा पहुँचती है उसे हमें नहीं करना चाहिये। हमें शांति का, प्रेम का संसार बनाना है लेकिन हमें कायरों का समाज नहीं बनाना है। वास्तविक रूप से सच्चरित्र लोगों का संसार बनाना है जिसको शान्ति और प्रेम का पाठ हम पढ़ावें और जो सत्य और अहिंसा के चिराग को अपने हाथों में लिये हुए विश्व को जगाता फिरे। अभी चन्द वर्ष ही हुये हैं उसी चिराग के सहारे हमने यहाँ पर ब्रिटिश को जीता था और उसी हथियार के बल पर हम आगे बढ़ेंगे।

मैं अपनी सरकार से भी एक नम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि सब जिले में, गाँव-गाँव में शान्ति सेना खोलें और शान्ति की तरफ सभी अग्रसर हों ऐसे लोगों को एक सेना बना दीजिये। जब निहत्थे आदमी बलिदान के लिए तैयार होते हैं तब किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि वह उनको नीचा दिखा सके। वैसे भी लोग मरते हैं तो लोग मरेंगे, लेकिन जब निहत्थे बहादुर जिनका हम नाम लेते हैं उनके नाम से हमको प्रेरणा लेनी चाहिये और मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगी कि वह मेरी विचारधारा पर कार्य करना आरम्भ करें।

इसके बाद में संगठन की बात कहती हूं। अकेले तो हम आप सब बहादुर हैं लेकिन जब संगठन की बात आती है तो लोग उससे दूर भागते हैं। इसलिये मातृ-भूमि के नाम पर हमको संगठित होना चाहिये और किसी के गौरव पर ठेस नहीं पहुँचानी चाहिये, चाहे कोई हों इस बात में सब को गौरव होगा कि जब हमारी मांग हमेशा के लिये हमारी ओर देखेंगी कि ये बापू के नुमाइन्दे, बापू की औलाद संसार की रहनुमाई कर रहे हैं और हम दिखा देंगे कि इसके बल पर अपने अन्दर के दुश्मन को

भगा दिया तो बाहर के दुश्मन को भी हम शान्ति से भगा सकते हैं। वह एटम बम चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, इस एटम बम के सामने जो शान्ति का एटम बम होता है जो बहादुरी का एटम बम होता है उसके आगे झुकने वाला होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि हम और आप सब मिलकर शान्ति सेना का संगठन करें, इसलिये नहीं कि देश को भयभीत कर दें कि कोई बड़ी आफत आने वाली है, कोई आफत नहीं आ सकती जहाँ कि ४० करोड़ आदमी पक्के इरादे के रहते हों अगर हम विश्वास से चलें, अगर हम उस विचारधारा को जीवित रखना चाहते हैं जिसने हमारी मातृभूमि को उस गुलामी से छुड़ाया जिसमें हम सदियों से जकड़े हुये थे, हम वीर बहादुरों की औलाद हैं, हम गाँधी जी के शिष्य अपने गुरु को भूल जांय, ऐसा हो नहीं सकता। आज हम सब मिलकर शान्तिमय तरीके का परिचय दें, कोई उतावलेपन की जरूरत नहीं है। हम सब अपने में शान्ति सेना का संगठन करके बाकी सरकार पर छोड़ दें जो वह लेना चाहती हैं वह ले और हमें आशा है कि वह ले रही है।

इस प्रस्ताव में मुझे दो शब्दों पर शंका हो रही है, वैसे मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। इसमें लिखा हुआ है। सभी राष्ट्रीय तत्वों का सहयोग प्राप्त कर देश एवं उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमाओं की सबल रक्षा तथा सर्वांगीण विकास हेतु शीघ्रातिशीघ्र कदम उठायें जाँय, इन शब्दों से मुझे ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्यों को यह शक है कि अभी कदम उठाये नहीं जा रहे हैं। हो सकता है कि किसी को शक हो लेकिन मुझे उन भाइयों की देशभक्ति पर कोई शक नहीं है। इसलिए मैं समझती हूँ कि इसकी जगह पर लिखना चाहिये कि ऐसे कदम उठ ही रहे हैं और उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन इसको और उत्तेजित होकर किया जाय। इस तरह का अगर कोई सुझाव होता तो मैं समझती हूँ कि वह ज्यादा अच्छा रहता। इसके अतिरिक्त मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि यह सदन भी इसका स्वागत करेगा।

२६-१२-५६

---

मान्यवर, मैं १९६०-६१ के बजट का स्वागत के करने के लिए खड़ी हुई हूँ। चूँकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष था इसलिए हम इसमें किसी विशेष क्रान्ति की उम्मीद नहीं करते थे। इसमें हम केवल इतनी आशा करते थे कि पिछले समय से जो हमारी असफलतायें रही हैं उनको दृष्टि कोण में रखकर आवश्यक तब्दीलियाँ करके आगे बढ़ सकें सबसे पहले मुझे यह विश्वास दिलाना है कि यह एक Balanced बजट है। इसमें ३६८ करोड़ रुपये के हमारे असेट्स हैं जोकि हमको मिलने हैं और जो हमको देना है उसकी रकम २८४ करोड़ रुपया है। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि हमारी आर्थिक अवस्था भी मजबूत है। इसके बाद मुझे माननीय रामनारायण तिवारी जी के गम्भीर और नम्र शब्दों में दिए गये भाषण पर थोड़ी सी चर्चा करनी है। अलावा अन्य सदस्यों ने भी जिक्र किया कि पिछले वर्ष में हमारा एक्सपैन्डीचर ३२ करोड़ था और इस वर्ष २६ करोड़ है, यह घटता क्यों चला जा रहा है जिससे आमदनी की उम्मीद कम होती है। अगर यह वास्तव में देखने का कष्ट करें तो मालूम होगा कि ऐसा क्यों हुआ है। वास्तव में ११५६—६० के बजट में जो रुपया था उसमें एलेक्ट्रीसिटी का रुपया भी शामिल था जो लगभग ५ करोड़ रूपया होता है लेकिन इस वर्ष में एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अलग से बनाया गया है। और वह रुपया निकाल कर अलग से उसे बोर्ड को लोन के रूप में दे दिया गया है। इस तरह से २६ करोड़ में ५ करोड़ शामिल करने पर ३१ करोड़ हो जाते हैं। दूसरे यह कि पिछले साल साढ़े चार करोड़ रूपया जो स्टेट ट्रेडिंग के लिए रखना पड़ता वह इस साल अन्न का भाव संतुलित होने के कारण नहीं रखा गया है। तो इस तरह से साढ़े चार करोड़ भी जोड़ कर ३५ करोड़ रुपया हो जाता है।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहती हूँ कि अक्सर लोग यह भूल करते हैं कि वह स्टेट को सोशलिस्टिक स्टेट मानकर बात किया करते हैं। दरअसल यह स्टेट सोशलिस्टिक स्टेट नहीं है बल्कि यह सोशलिस्टिक पैटर्न स्टेट है जिसमें न केवल पब्लिक मनी ही लगता है बल्कि प्राइवेट मनी भी लगता है। इसलिए हमारा कैपिटल ज्यादा है या कम यह बात तभी मालूम हो सकती है जबकि यह मालूम किया जाय कि प्राइवेट मनी कितना लगा हुआ है। मैं माननीय तिवारी जी को यह बता देना चाहती हूँ कि वह अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो उन्हें मालुम होगा कि हमारा कैपिटल पहले से बढ़ा है। बजट का अनुमान हम रोज की तरक्की को देखकर ही

लगा सकते हैं कि आया सफलता हुई है या नहीं। हम देखते हैं कि पाठशालायें बढ़ी है, सड़कें बढ़ी है; अस्पताल बढ़े हैं यद्यपि मेरी कांस्टीट्युएन्सी में किसी प्रकार का कोई भी अस्पताल नहीं बना, इन बारह वर्षों में।

एक सदस्य—वहाँ कोई बीमार नहीं पड़ता होगा।

कुमारी कमल कुमारी गोइन्दी—यह अच्छी बात है कि कोई बीमार न पड़े "Laws of nature are the same everywhere & breakers of them are also everywhere." वास्तव में हमारे यहाँ आयुर्वेदिक या किसी तरह का कोई अस्पताल नहीं बढ़ा।

इसके अलावा मैं माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण में एक सराहनीय बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। उन्होंने घोषणा की कि बख्शी के तालाब में पशु की खाल उतारने, पशु शव का प्रयोग करने, चमड़ा कमाने और अच्छे जूते बनाने के केन्द्र का कार्य सन् १९६० से शुरू हो गया है। इसका भविष्य कितना उज्ज्वल है, यह वही समझ सकते हैं जो यह जानते हैं कि हमारे प्रदेश से लाखों रुपये का कच्चा चमड़ा बाहर चला जाता था। जब इसका यहीं प्रयोग होगा तो हमको कितना लाभ होगा, यह भविष्य ही स्वयं बता देगा। हालांकि उद्योग के मंत्री यहाँ हैं नहीं अगर होते तो मैं उनसे कहती कि ट्रेनीज को ट्रेनिंग हाइली मैकैनाइज्ड मशीनों से न देकर साधारण मशीनों से देनी चाहिए ताकि वहाँ के सीखे लोग बेकारी के चक्कर में न पड़कर अपना काम शुरू कर सकें। दाखले के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी इलाके के लोग आवें और हरिजन भाइयों को तरजीह मिलनी चाहिए।

मैं नम्रता के साथ एक चीज रखना चाहती हूँ कि यह जानते हैं कि यह कल्याणकारी राज्य है और कल्याणकारी बजट है। लेकिन मैं एक नुक्तेनिगाह से देखा करती हूँ कि ये है क्या? कुछ ऐसे अभागे कुटुम्ब हैं कि जिनका इनमें कोई स्थान नहीं है। वे अभागी बहनें या स्त्रियाँ हैं जो विधवा हैं और कई-कई बच्चों के साथ हैं। यह निश्चय बात है कि वे सारे दिन काम करके भी पूरी रोजी नहीं कमा सकती हैं। इससे भी ज्यादा भयंकर हालत उस औरत की है जिसके पास कई बच्चे खाने के लिये हैं और पति किसी भयंकर रोग में पड़ा हुआ है।

(इस समय २-१० बजे श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये)

तीसरी वे बहनें हैं जिनको हम छोटी जाति की कहते हैं और जिनका पति अपनी पूरी मजदूरी के पैसे से शराब पीकर जूता लेकर उनके सिर पर खड़ा रहता है कि खाना दो। मैं उम्मीद करती थी कि जहाँ ७० वर्ष के बूढ़े आदमी के लिये हमारे

प्रदेश में प्रबन्ध किया गया है वहां इन अभागी बहनों के लिए भी कुछ होना चाहिए था। मैं अपने क्षेत्र की बहुत से मिसालें दे सकती हूं। मैं एक बार पैदल जा रही थी तो देखा कि एक आदमी बीमार पड़ा हुआ था अपने झोपड़े के बाहर। पड़ोस के लोगों ने बताया कि इसे टी० बी० है और बहुत प्रयत्न करने पर भी इसे कहीं जगह नहीं मिली।.........उसकी बीबी तो शायद खाने के लिए अनाज लेने को गयी हुई थी और छोटे-छोटे बच्चे वहां से एक आध मील की दूरी पर ईंटों के भट्टे पर काम करने गये हुए थे। दो चार पैसे की मजदूरी के लिए।

लौटते में मैंने वह आदमी मरा हुआ पाया। अब विधवा बहन की हालत आप ही सोच सकते हैं जो निस्सहाय हो। इस प्रदेश में ऐसी फैमिलीज ३,४ लाख के करीब होंगी जिनमें लगभग १५,२० लाख व्यक्ति होंगे। जिनके ऊपर इतना कष्ट है अगर आप स्टैटिस्टिक लेकर देखें तो इतनी ही लगभग निकलेगी, मेरा ऐसा अन्दाज है। इसके बजट के लिए तरीका भी मैं बहुत ही आसानी के साथ बता सकती हूँ। हमारे शैल्टर होम जो सोशल वैलफेयर से खुलते हैं, उसका मतलब इतना ही होता है कि अभागी बहनों को लेकर परमानेन्ट हाउस में देहरादून या लखनऊ में भेज दें। इलाहाबाद में एक शैल्टर होम है। केवल ३४ औरतें उसमें हैं। फिलेनथ्रोपिक सोसाइटियां, जैसे आर्य समाज इत्यादि वहां उन्हें ट्रान्सफर कर सकती हैं। उन्हीं सोसाइटियों को अगर थोड़ी सी मदद देकर उनसे काम लिया जाय तो उनके सेवक ही उन बहनों को पहुँचा सकते हैं। उसका बजट ६००० रुपये हैं। उसे तजुर्बे के लिए मुझे दे दीजिए और कोई भी क्षेत्र दे दीजिए। मैं १२० रुपये सलाना यानी १० रुपये फी फैमिली मासिक देकर उनका स्तर उठा सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनको चर्खा, सीने की मशीन और होजियरी की मशीनें आदि दी जायें। जब मैं जाती हूँ तो माननीय मंत्री जी कभी थोड़ी सी मदद दे दिया करते हैं लेकिन यह उदारता पूरे प्रदेश के लिए बजट में कर दें तो उनकी मैं बहुत आभारी हूँगी।

प्राहीबीशेन का जो मैं कुछ जिक्र करना चाहती हूँ। उसके लिए कई वर्षों से कोई कदम आगे बढ़ा ही नहीं है जबकि लाभ केवल ३ करोड़ का है और हानि बेहद है। उसका वर्णन करते-करते रात बीत जाय। माननीय तिवारी जी के साथ मैं नहीं मानती कि टैक्स बढ़ा कर इसे रोका जाय। मैं तो चाहती हूँ कि इसे टोटली अबालिश कर दिया जाय।

समय कम है, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी अपनी बात समाप्त करती हूँ। इरीं-गेशन में गूलों की बात कही गई। उसके लिए भूमि एक्वायर करने के कानून में संशोधन होना चाहिए। वहां के एग्जीक्यूटिव आफिसर या इन्जीनियर को ही अधि-

कार होना चाहिए कि जहां से आवश्यक हो खेती के काम के लिए वह गूल निकाल कर ले जाय। नहीं तो यह धन रक्खा ही रह जाय। आते-जाते अवस्थी जी के लिए एक बात मैं कहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि सिंचाई वालों का कलेक्शन किस से कम है। जब सूखा पड़ता है तो वह छूट के लिए कहते हैं और यहां आकर कहते हैं कि कलेक्शन कम कैसे हो गया। मैं केवल इतना ही उनसे नम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि यह हम भी चाहते हैं कि जहां-जहां सूखा पड़ा हो वहां छूट दी जाय। उसको सरकार ने स्वीकार किया। इसके लिए हमें सरकार को धन्यवाद देना ही चाहिए कि उसने हमारी आवाज को किसानों को सहायता देने के रूप में बदल दिया। इसलिए बजाय इसके कि हमें इसकी शिकायत हो, सरकार को धन्यवाद देना चाहिए।

कहा गया कि बजट घाटे का सरप्लस हो जाता है। यह तो हमारा एक गुण है। बनाते समय हम इतनी होशियारी से बनायें कि किसी काम के लिए कम न हो जाय और उसको इस्तेमाल करने के समय इतनी होशियारी से खर्च करें कि एक पैसा भी ज्यादा खर्च न हो जाय। घर के खर्चे में ही देख लीजिए शादी विवाह में जब हम खर्चा रखते हैं और जब उसको खर्च करते हैं तो उसमें इस बात का ख्याल रखते हैं कि किसी मुसीबत के लिए कुछ बच जाय और बेजा खर्च न हो जाय। इसलिए यह तो एक गुड साईन है। इसके बजाय कि आप यह बतायें कि इतना सरप्लस हुआ, आप यह बता दें कि इतने प्रतिशत हुआ, तो उसमें थोड़ा तथ्य आ जायगा और बात जरा साफ हो जायेगी।

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी को बापू के शब्दों का ध्यान दिलाना चाहती हूँ। बापू जी के लिए जो स्वराज्य Village self-sufficiency on the basis of universalisation of khadi and prohibition के बिना स्वराज्य नहीं था।

इन तीनों पर जोर देते हुए मैं माननीय मंत्री जी को उनके बजट का समर्थन करते हुए फिर से धन्यवाद देती हूँ और यह बताना चाहती हूँ कि हमारी लाइ-बिलिटीज २८४ करोड़ और असेट्स ३६८ करोड़ हैं इसलिए हमें खतरे की कोई बात नहीं है। फिर भी मैं अपने भाइयों से निवेदन करूँगी कि जो भी गल्ती हो उसकी ओर ध्यान दिला दिया करें ताकि आगे को सुधार हो सके।

१७-२-६०

———

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा का अनुदान जो आज प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूँ। निःसन्देह, हमारी शिक्षा पर न केवल १७, १२, ६६, २०० रुपया ही खर्च होता है बल्कि इसके अलावा भी जो और विभाग हैं जैसे उद्योग, प्लानिंग तथा कृषि व सहकारिता आदि, इनका भी कुछ रुपया शिक्षा पर खर्च होता है अतः हमारे बजट का बहुत काफी भाग शिक्षा पर लग रहा है। इसके अलावा मैं एक बात और यह बताना चाहती हूँ कि पिछले वर्ष महिलाओं पर ७ परसेन्ट लगा था और इस साल वह १० परसेन्ट रखा गया है। इस तरह से इस ओर कुछ तरक्की तो जरूर हुई है। जनसंख्या के हिसाब से हम लगभग ५० परसेन्ट हैं।

श्री देवनारायण भारतीय—माननीय सदस्या से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष

कुमारी कमलकुमारी गोइन्दी—मैं समझती हूँ कि सारे सदस्य इससे सहमत होंगे, कि हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, उसमें सर्वथा परिवर्तन होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, जो मेरा अपना दृष्टिकोण है उसके आधार पर अगर स्कूल खुलें तो उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है, और उनमें सफलता प्राप्त हुई भी है। दूसरी जगहों पर, अगर मैं उनका वर्णन करने लगूँ तो उसमें काफी समय लग जायेगा। किन्तु इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी से यही प्रार्थना करूँगी कि वे एक कमेटी ऐसी नियुक्त कर दें जो कम से कम खर्च में इस गरीब प्रदेश से अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुँचाने वाले सुझाव दे सकें। इसके लिये इससे और ज्यादा समय न लेते हुए केवल जो मौजूदा शिक्षा है उसके अन्दर क्या-क्या सुधार हो सकते हैं उनके सम्बन्ध में ही मैं अपने इस १०-५ मिनट के समय में चर्चा करूँगी। मान्यवर हम सब का यह निश्चित मत है कि हमारी शिक्षा ऐसी हो जिससे गरीब से गरीब लोग लाभ उठा सकें। शिक्षा का विभाजन ३ हिस्सों में है, प्राइमरी, सेकेण्ड्री और तीसरी यूनिवर्सिटी।

प्राइमरी शिक्षा से लोग किस तरह ज्यादा से ज्यादा लाथ उठा सकते हैं उसके ऊपर कुछ सुझाव दूँगी। हम जानते हैं काफी लोग ऐसे हैं जो निःशुल्क शिक्षा हो जाने पर भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। उसका कारण यह है कि उनके

बच्चे, जब उनके मां बाप अपने दूसरे कामों के लिये चले जाते हैं वे अपने छोटे बहिन-भाई की देखरेख करते हैं या वे कुछ और कार्य करते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि चराना। इसलिये उनके मां बाप उन बच्चो को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। इसके लिये जरूरी यह है कि मौजूदा स्थिति में दो शिफ्टों में स्कूल चलें। एक सबेरे और एक शाम को। यानी जो लोग सबेरे अपने बच्चों को भेज सकते हैं वे सुबह भेजें और जो सबेरे नहीं भेज सकते हैं वे शाम को भेज सकें।

सुबह ७ से लेकर साढ़े १० बजे हो जाय और सैकेंड टाइम में उन बालकों के लिये जो घर पर अपनी परिस्थितियों के कारण से आ नहीं सकते हैं वह आ जायं। गर्मी के दिनों में २ बजे से ५ बजे तक उनको समय मिल सकता है और सर्दी के दिनों में ६ बजे से लेकर ६ बजे सायंकाल तक समय मिल सकता है। इसलिए इसी प्रकार की थोड़ी सी सुविधायें देकर हम अपने निश्चित ध्येय पर पहुँच सकते हैं और उनकी भी तरक्की कर सकते हैं। अनिवार्य शिक्षा हो जाने पर भी शहरों में ऐसे केसेज सामने आते हैं कि वश मां-बाप हमसे कहते हैं कि यह थोड़ा सा काम कर आता था, आज पाठशाला न भेजने पर सौ रुपया जुर्माना होता है तो इसको माफ करवा दो। इ प्रकार अनिवार्य शिक्षा को कुछ हद तक सफल करवा सकते हैं। उनकी विवशता है कि किस तरह से वह अपना काम चलावें। तो उनकी सुविधा के लिए ऐसा कर सकते हैं।

जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षा चाहे अनिवार्य न हो लेकिन इतना हम अवश्य कर दें कि उनमें भी लोगों दो शिफ्ट में पढ़ाया जाय और सायंकाल का समय उन लोगों के लिए रखा जाय जो कार्य में व्यस्त रहते हैं और उनके लिए होस्टल गांव में हो जांय जिससे वह अपने समय का प्रयोग कर सकें।

तीसरे यह कि यूनिवर्सिटी की जो एजूकेशन है, इसके अन्दर मैं टेकनिकल एजूकेशन भी शामिल कर रही हूँ, उसके ज्यादातर बड़े-बड़े खर्चीले कालेजेज हैं। रुड़की ले लीजिये, और उनमें बहुत खर्च होते हैं और कुछ चुने-गिने लोग मेडिकल कालेज और टेकनिकल कालेजेज में आ सकते हैं। तो ऐसा कुछ प्रबन्ध होना चाहिये कि और लोग भी उनसे फायदा उठा सकें और वह ज्यादा खर्च के कारण वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो प्राइवेट इम्तहानों का इन्तजाम करके उनको आगे बढ़ने का मौका हो, यही एक स्वतंत्र देश के लिये शोभनीय हो सकता है। कोई कम्पाउन्डर है तो उसको अधिकार हो कि वह परीक्षा देकर, उसको पास करके आगे बढ़ सके और डाक्टर की पदवी पा सके और उसको नौकरी में स्थान दिया जाय। और टेकनिकल साइड में कोई लेवरर भी है, अगर वह मशीन को समझता है और उसके अन्दर

इंटेलिजेंस है तो उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि जो बड़ी-बड़ी फैक्टरियां हैं, जैसे बिड़ला आदि उनमें काम करते हुए ट्रेण्ड होकर बड़े से बड़े इन्जीनियर बनने का उनको अवसर प्राप्त हो सके। सब तो ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लेवरर भी ऐसे हो सकते हैं।

(थोड़ा समय बढ़ा दीजिये) मेरा सुझाव है कि इस तरह के लोगों के लिए प्राइवेट परीक्षाएं और शिक्षा आदि का थोड़ा बहुत प्रबन्ध करके उन्हें सुभीता दे दिया जाय।

इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी से होम साइंस के सी० टी० कालेज के बारे में कहना चाहती हूँ। मेरे ख्याल में वह इलाहाबाद में ही सब से प्रमुख है और होम साइंस में एल० टी० वालों की डिमांड रहती है तो वहां सी० टी० के साथ एल० टी० भी कर दिया जाय, क्योंकि होम साइंस विषय इन्टमीडिएट में भी पढ़ाया जाता है, एल० टी० होम साइंस का कोई कालिज नहीं है। बहुत से स्थानों के लिए दिक्कत होती है, उसको पूरा करने के लिए, अपने कोर्स को ठीक चलाने के लिए यह आवश्यक है कि जो कमी है उसको पूरा किया जाय।

इसके बाद में यह कहना चाहती हूँ कि गांव में अगर आप महिला शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, १० परसेंट से आगे ले जाना चाहते हैं तो ग्रामीण जनता में होस्टल में अध्यापकों के रहने को सुविधाएं अवश्य होनी चाहिए।

इन सुविधाओं को पूरी करते हुये आप उम्मीद कर सकेंगे कि कि वहाँ पर महिलाएँ जाकर पूरे लगन के साथ काम करें। इसलिये मेरा निवेदन है कि जहाँ भी इस प्रकार की आवश्यकता हो वहाँ पर इस प्रकार की सुविधाएँ दी जायं।

मुझे नैनी एग्रीकल्चर इन्स्टीट्यूट के बारे में कहना है। वहाँ पर बिल्डिंग भी मौजूद है, स्टाफ भी मौजूद है और इक्विीपमेंन्ट भी मौजूद है। वहाँ पर करोड़ों रुपया व्यय किया गया है। मेरा सुझाव है कि वहां पर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस खोलने की इजाजत दी जानी चाहिए। इस सिलसिले में हमें वहाँ पर ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। आज एग्रीकल्चर में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए विद्यार्थियों को मदरास वगैरह बड़ी दूर तक जाना पड़ता है और उन्हें बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। जिस स्थान पर पूरी सुविधाएँ मौजूद हैं वहाँ पर इसका प्रबन्ध अवश्य करना चाहिये। मैं समझती हूँ कि उसमें एक वैधानिक दिक्कत है, एक धारा की दिक्कत है लेकिन उसके निराकरण के लिये मैं अलग सुझाव दे सकती हूँ।

मान्यवर इसके अलावा मुझे यह निवेदन करना है कि विभाग की ओर से जो किताबें निश्चित की जाती हैं वह दूसरे साल ही बदल दी जाती हैं। इसलिए

मेरा सुझाव है कि जल्दी-जल्दी किताबों की तब्दीली न हुआ करे ताकि एक किताब को कई बच्चे पढ़ लिया करें। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ किताबों की हैडिंग कुछ होती है और उनके अन्दर लिखा कुछ होता है, ऊपर की हैडिंग दे दी "सहकारी खेती" और अन्दर उससे उल्टा लिख दिया। हमारा लक्ष्य है कि "सहकारी खेती" पुस्तक में नतीजा यह निकाल दिया कि यह असफल कैसे हुई। जैसा मान्य गोविन्द सहाय जी ने अभी कहा है। इस तरह की भी बात नहीं होनी चाहिये और इसकी पूरी देखभाल होनी चाहिये।

इसके अलावा मैं यह बताना चाहती हूँ कि जितने एफीलिएटेड और दूसरे छोटे-मोटे शिक्षालय हैं या जो एडेड स्कूल हैं वहां के टीचरों को समय पर वेतन न मिलने के कारण बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। वह टीचर चाहे पुरुष हों या स्त्री हों, उनको एक तो वैसे ही बहुत कम वेतन ५०, ६० या १०० रुपया मिलता है और अगर वह भी दो तीन महीने तक न मिले तो फिर वे अपनी बसर कैसे करें। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो ग्रान्ट देर में जाती है उसको जल्दी रिलीज करके भिजवाने की व्यवस्था की जाय।

२४-२-६०

मैं अनुदान का समर्थन करते हुए अपने सुझाव देना चाहती हूँ।

बापू ने कहा है—"I recognise no God except the God that is to be found in the hearts of dumb millions and I worship God, that is, the truth in through the service of these millions."

मैं केवल उसी परमात्मा को मानता हूँ जो करोड़ों बे जबान गरीबों के दिल में निवास करता है, और मैं अपने उस परमात्मा सत्य की इन्हीं करोड़ों की सेवा द्वारा आराधना करता हूँ।"

इस आदर्श को सामने रख कर मैंने इस बजट को देखा। मेरी नजर में यह ऐसा विभाग है जो दूसरे विभागों की अपेक्षा करोड़ों लोगों की अधिक सेवा कर सकता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है लेकिन उसमें जमीन की कमी है, जितनी जमीन है भी उसका प्रयोग ठीक से नहीं हो रहा है, पर्याप्त सिंचाई के साधन नहीं है। ऐसी हालत में उद्योग ही इस देश और प्रदेश का प्राण हो सकता है किसान जो आधा पेट रह कर गुजर करते हैं और खेतिहर मजदूर को उद्योग से ही रोजी मिल सकती है।

हमारी सरकार ने इधर कुछ ध्यान भी दिया है। चर्खा और खादी के उद्योग को प्रोत्साहन भी दिया है तथा दूसरे और कारबार भी खोलने का प्रयत्न किया है। परन्तु अधिकतर ध्यान ऐसे बड़े कारखानों और धन्धों के लिये सहायक नहीं वरन् हानिकारक है। मैं एक विशेष चीज की ओर सरकार और सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूँ। वह यह है कि जो उद्योग देश के लोग खाली समय में कर सकते हैं उन पर किसी प्रकार से फैक्टरियों द्वारा कुप्रभाव नहीं पड़ना चाहिये।

गुड़ और खांडसारी को ले लीजिये। इसको किसान लोग नवम्बर से मार्च तक बनाते हैं जिस वक्त कि उनके पास खेती का अधिक काम नहीं होता है। इस प्रकार से वे खाली समय का उपयोग करते हैं। लेकिन हम केवल यह ध्यान रखकर कि चीनी का प्रोडक्शन बढ़े, मिल लगाते हैं, उसके लिये फिर एरिया रिजर्व करते हैं लेकिन यह नहीं सोचते कि इससे कितने आधे पेट लोगों की रोजी चली जायगी। इसलिये जहाँ कि ऐसे नये उद्योग या फैक्टरीज खोली जायं वहाँ इस प्रकार का सर्वे कराना चाहिये जिससे हमको यह मालूम हो जाय हमारे इस कदम का क्या प्रभाव पड़ने वाला है।

इसी प्रकार से खादी भी खाली समय में बनायी जाती है ! मैदान में गरमी के दिनों में और पहाड़ों पर सर्दी के दिनों खाली समय में इसको बनाया जा सकता है। किसान उसकी बीबी और बच्चे मिल कर उसको बना सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं को वे पूरा कर सकते हैं। यह मैं निजी अनुभव से कहती हूँ। मैं तो सूती और चीनी मिलों की आवश्यकता ही नहीं समझती, लेकिन अगर उनकी आवश्यकता हो भी तो मेरे ख्याल से उनको प्रोत्साहन देने की नीति मैं उचित नहीं समझती। इससे हमारी समस्यायें बजाय घटने के बढ़ती ही जायेंगी। गरीब और गरीब और अमीर और अमीर होता चला जायगा। इसलिये आपका ध्यान खादी और विलेज इन्डस्ट्री की ओर अधिक जाना चाहिये। इस ओर जो हमारे अनुभवी नेताओं द्वारा प्रयास किया जा रहा है, उसकी मैं सराहना नहीं कर सकती। हमारा दिल तो यह कहता है कि सेल्फ सफीसियेंशी हो, विकेन्द्रीयकरण हो और चाहते हैं कि ये बातें आयें। लेकिन देखिये होता क्या है ? बात तो करते हैं विकेन्द्रीयकरण की लेकिन जाते हैं केन्द्रीयकरण की तरफ। ज्यादा समय नहीं है, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि एक ऐसी कमेटी स्थापित की जाय जो यह अन्दाजा लगा सके कि कितने वर्षों में यह खादी उद्योग बोर्ड इस क्षेत्र को सेल्फ सफिशिएंट बना सकेगा। और खुद केवल Supervising and guiding body रह जायेगा। आज होता यह है कि रूई कहीं पर तैयार होती है, बिनौला उसका कहीं पर निकाला जाता है। और दूर पड़े खादी उत्पादन केन्द्रों में यह रूई ले जाकर उसको धुनाई कताई और बुनाई होकर भिन्न-भिन्न खादी भंडारों में भेज कर बिक्री होती है जिसमें १½ रुपये सेर की रूई की कीमत ५ रुपया सेर तक पहुँच जाती है और ८ आने गज का कपड़ा १½ रुपया गज हो जाता है।

जहाँ पर कपास पैदा होती है वहीं पर रूई ओटने, कातने का प्रवन्ध होना चाहिये। तभी खादी सस्ती हो सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे माननीय सदस्य जो जनता के सामने अपने को नेता के रूप में देखते हैं तब अपने-अपने घरों में इस तरह के उदाहरण पेश करें तो खादी के प्रति जो लोगों को उदासीनता है वह भी दूर हो जायगी। खादी का काम ऐसे स्त्री पुरुष ही करते हैं जिनको कहीं काम नहीं मिलता। तो अनइम्पलायमेंट दूर करने के लिहाज से भी इसको समझ कर अपने घरों के अन्दर इसका प्रयोग किया जाय तो बहुत अच्छा होगा।

मैं बहुत नम्रता पूर्वक माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहती हूँ कि वे अपने घरों के अन्दर इस तरह का चिराग जलावें जिसकी रोशनी को देख कर गरीब लोग भी रोशनी का चिराग जला सकें। इसके साथ ही मैं सरकार से यह निवेदन

करना चाहती हूं कि वह निजी रूप में सरकारी कार्य के लिये जो कपड़े की खरीदारी करती है कि वह उसके लिये चर्खे काते हुये सूत तथा हाथ के बुने हुए कपड़े का ही प्रयोग करे। वह कपड़ा महँगा तो अवश्य ही पड़ेगा लेकिन अनइम्पलायमेंट दूर करने के लिहाज से ही तथा यह समझ कर कि इसमें लगा हुआ पैसा दरिद्र से दरिद्र के पास जायेगा, वह खादी का कपड़ा ही खरीदे। कल्याणकारी राज्य बेरोजगारों को allowance भी तो देती है, इस नुकसान को सही समझ लिया जय। जहाँ तक हैंडलूम का प्रबंध है, उससे भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। यह सही है कि हैंडलूम भी लोगों को काम देता है और देगा, लेकिन इसमें सरकार की दोहरी नीति नहीं होनी चाहिये। एक नीति होनी चाहिए जहाँ तक प्रोडक्शन की बात है आप उसको प्रोत्साहन दें। हैंडलूम बिक्री में सरकार को इतना जोश नहीं दिखाना चाहिये। इस चीज को मैं जरूर कहूँगा कि हैंडलूम को दूसरा दर्जा दिया जाय।

साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहती हूँ कि विभाग के डाइरेक्टर आदि के लिये ऊपर से कोई quotas और permits के लिये private रिकमेंडेशन नहीं होना चाहिये, क्योंकि जब ऊपर की बातों से कोई रिकमेंडेशन आता है तो बिभाग में हुक्म का दर्जा रखता है। मैं यह नहीं कहती हूँ कि अगर कोई शिकायत हो तो उसे न सुनिये। अपील या शिकायत जो कुछ हो उसे सुनिये और उन पर जो कार्यवाही हो कीजिये लेकिन रोजाना के काम में कम से कम दखल होना चाहिये। स्करलरशिप्स व शिक्षा लोन की बात है, शिक्षा लोन की रकम एक हजार लेने के लिये ग्रान्ट होने पर उसके लिये १५ रुपये का स्टाम्प लगाना पड़ता है और १००० रुपये का लाइफ इन्श्योरेन्स कराना होता है, इस तरह से जो उसकी स्प्रिट है कि उससे गरीब को लाभ पहुँचे वह खत्म हो जाती है, वह बेचारे दरवाजे तक पहुँच ही नहीं पाते। ६-६ महीने लाइफ इन्श्योरेंस में लग जाते हैं और मार्च आ जाती है, समय खत्म होने लग जाता है और किसी को मिल पाता है और कोई रह जाते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि केवल सेक्योरिटीज पर ही यह कर्ज दे दिया जाय ताकि गरीब तक वह सहायता पहुँच सके।

मैंने नैनी, इलाहाबाद के विषय में ३ साल से बराबर भाषण दिया कि वहाँ बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज खुल रही हैं वहाँ पर पानी की बड़ी तकलीफ है और केवल एक ही ट्यूववेल वहाँ पर है गर्मी और लू के जमाने में पानी की तकलीफ की वजह से १५-१५ और २०-२० दिन तक काम बन्द करना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि जब वहाँ करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है तो वहाँ एक और ट्यूववेल का अवश्य ही प्रबन्ध किया जाय।

इस सम्बन्ध में मैंने लिखा भी क्वेश्चन भी किये लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त छोटे-छोटे उद्योगों के बारे में बतला दूँ, नैनी ही के बारे में है ( समय समाप्त ) छोटे-छोटे उद्योगों के लिये लोहे की सप्लाई भी वहीं होना चाहिये।

१-३-६०

———

अध्यक्ष महोदय, मैं आज प्रस्तुत अनुदान २१ और २२ का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूँ। पहले तो यह कि इसमें धन इतना कम है कि उसके लिए कटौती के प्रस्ताव की कहाँ आवश्यकता रह गई है। अगर इसमें दस दस गुना रुपया और होता तो वह भी हमारे इतने बड़े प्रदेश के लिए कम ही होता। इसलिए उस कटौती के प्रस्ताव की इसमें आवश्यकता नहीं मालूम होती है। वह परम्परा को मानते हुए रखा गया इसलिये मैं उसपर कुछ नहीं कहती। सवाल यह है कि इस विभाग ने संतोष-जनक तरक्की की है या नहीं। अगर इस विभाग की तरक्की का अन्दाजा लगाना हो तो एक चीज से लगाया जा सकता है। जीवन की आशा की अवधि। जो पहले ३२.५० थी वह बढ़ कर ४२.०० वर्ष हो गयी है। यह कम नहीं है किसी प्रदेश के लिए और इससे ही हमारी कार्यक्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है। श्रीमान, समय कम है इसलिए मैं केवल अपने सुझाव ही दे सकती हूँ और आशा करती हूँ कि माननीय मंत्री जी उनकी ओर ध्यान देंगे। सबसे बड़ा सवाल डाक्टरों की कमी का है। इसलिए जगह-जगह पर (medical out posts) खोली जायें। दूसरे प्रान्तों में ऐसा होने से कार्य में सुविधा हो गयी है। मैं चाहती हूँ कि डाक्टरों के दौरे हुआ करें। गाँवों में जहाँ पर कि आबादी अधिक है। इस तरह से वे पीरियाडिकली जा कर देख सकेंगे, मरीजों को रोगियों को और जो गरीब आदमी है, जो पैसे के कारण शहर तो क्या घर के बाहर भी नहीं निकल सकते उसे कुछ मदद मिलेगी। उसके दरवाजे पर अगर डाक्टर पहुँचेंगे तो बहुत ज्यादा आसानी हो जायेगी और वह अपना इलाज करा सकेंगे।

मान्यवर, क्षय रोग से पीड़ित रोगियों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूँ। यह ठीक है कि इस अनुदान के लिए हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र है और उसने १३ लाख ४५ हजार रुपया क्षय रोगियों के लिए रखा भी है। लेकिन यह भी देखा जाय कि यह कितना भयानक रोग है और कितनी ज्यादा संख्या में यह फैल रहा है। इसे देखते हुए यह धन अधिक नहीं दिखायी देता और इसलिए मेरा एक निवेदन है इस समय २० हजार रुपया प्रति वर्ष क्षय रोगियों के लिए होता है और यह होना भी चाहिये। लेकिन उसमें आप कितने आदमियों को जगह दे पाते हैं मौजूदा हालत में, इसका स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। बड़े से बड़े रोग के लिए अस्पताल में जगह मिल सकती है, लेकिन क्षय रोगी को अस्पताल में जगह प्राप्त

करना बड़ा कठिन है। उसके बाद बड़े आदमियों को ही उसमें कठिनाई पड़ती है, गरीब का तो कहना ही क्या। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि कम से कम प्रत्येक गाँव के बाहर एक ऐसा झोपड़ा बना दिया जाय कि जिसमें जब तक किसी रोगी को क्षय का बेड नहीं मिल सके तब तक वह अपने कुटुम्ब से अलग वहाँ रखा जा सके। यह कोई बड़ा कार्य नहीं है। और इस पर अधिक धन भी नहीं लगेगा। लेकिन उन गरीबों के लिए बड़ी चीज हो जायगी।

तीसरी चीज यह है कि जितने मेडिकल कालेज और नर्सेज के इन्स्टीट्यूशन्स खुलते हैं वे सब शहर में खुलते हैं। यह ठीक है कि उनको देहात में खोलने में बहुत कठिनाइयां हैं लेकिन हम यहां कठिनाइयों का सामना करने ही तो आये हैं। हम ऐसा ध्येय बना लें कि जितने नर्सेज के इन्स्टीट्यूशन्स और मेडिकल कालेज खुलेंगे वे सब देहात में ही खुलेंगे ताकि शहर के आदमियों को भी देहात में रहने की, वहाँ के वातावरण की कुछ आदत पड़ जाय और वे वहां के जीवन के अभ्यस्त हो सकें।

इसके अलावा महिलाओं के अस्पतालों की ओर मुझे मालूम है कि माननीय मंत्री जी को बहुत ध्यान है। मैं चाहती हूँ कि नर्सेस से ट्रेनिंग के समय ही ऐसा वायदा करा लिया जाय कि अपना कोर्स समाप्त करने के बाद उनको इतने समय के लिए गांव में रहना होगा। ऐसा करने से गाँव में कुछ लोग पहुंच सकेंगे।

इसके अतिरिक्त कुछ मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहती हूँ। करछना तहसील, इलाहाबाद में बहुत घनी आबादी है। वहाँ २०६ गाँवों में हैडक्वार्टर पर एक ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का छोटा सा अस्पताल है। तीन, चार जगहें ऐसी हैं कि यहाँ दूर-दूर तक कोई अस्पताल नहीं पड़ता। करमा गाँव है, घरवारा गाँव है वहाँ हजारों की तादाद में अबादी है, लेकिन कोई छोटा दवाखाना नहीं है। इसके लिए मैंने लगातार तीनों वर्ष की बजट में कहा।

दूसरा मेरा सुझाव है कि डाक्टरों को गाँव में पहुँचने के लिए उन्हें यातायात भत्ता मिलना चाहिए। गाँव में उनके रहने का भी प्रबन्ध होना चाहिये। जब उनके लिए वहाँ कुछ प्रबन्ध होगा तो उनसे यह कहा भी जा सकता है कि भाई हमारे देश की अधिक आबादी गांवों में है। उसका कुछ ख्याल करो, और वहाँ पर चल कर रहो। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करती हूँ।

२४-३-६०

---

मान्यवर, मैं माननीय राजनारायण जी की सब बातों का उत्तर देना यहां उचित नहीं समझती। अगर बाहर मैदान में वह भाषण दिये होते तो अवश्य ही कुछ न कुछ बात वहां कही जा सकती थी। सदन का समय हम इन बातों पर नहीं लेना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो स्वागत का प्रस्ताव उपस्थित है उसके स्वागत के लिये मैं खड़ी हुई हूँ और साथ ही नये मन्त्रिमण्डल के स्वागत के लिये भी। अब जिस संक्षिप्त रूप से महामान्य राज्यपाल जी ने अपने भाषण में पूरे प्रदेश का चित्र हमारे सामने रखा उसके लिये हम उनके आभारी हैं। निःसन्देह इस समय यह कहा जाता है कि प्रजातन्त्रवाद में आर्डिनेन्स की क्या आवश्यकता थी लेकिन मैं एक ही आर्डिनेन्स के ऊपर आपका ध्यान दिलवाकर सदन में बात साफ कर देना चाहती हूँ। जो पंचायतराज का आर्डिनेन्स है अगर वह जारी न किया जाता तो अभी हमारे यहां जो चुनाव हुये उनमें असुविधा होती और देरी हो जाती।

महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द के सम्बन्ध में तथा नये नेता सदन के सम्बन्ध में जो बातें कही हैं, उनसे मैं अपने को भी सम्बन्धित करती हूँ।

इसके पश्चात् अब इस सम्बन्ध में जो बातें विरोधी दलों की ओर से कही गई हैं उनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। उनका कहना है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण में होनी चाहिये थीं जैसे कुछ पापुलेशन को खेती पर से हटाना, दूसरे शराब बन्दी करना, तीसरे भ्रष्टाचार को रोकने, चौथे अनम्पलायमेन्ट को दूर करना और पांचवें गन्ने का दो रुपये प्रति मन भाव रखना।

(इस समय १ बजकर १२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री गेन्दासिंह, पीठासीन हुये।)

सबसे पहले मैं अन्तिम चीज को ही ले लेती हूँ। राजनारायण जी ने अपने भाषण में गन्ने का भाव दो रुपये मन करने की बात कही। अगर गन्ना बोने वालों का भी कोई एसोसिएशन होता तो वह गन्ना बोने वाले "एसीसिएशन" का उत्तर बड़ा सुन्दर देता। एक एकड़ भूमि में लगभग ५०० मन गन्ना होता है। अगर गन्ने का भाव दो रुपये मन हो तो उसका मतलब यह हुआ कि गन्ने से प्रति एकड़ एक

हजार की आमदनी हुई। आलू की पैदावार प्रति एकड़ करीब डेढ़ सौ मन के करीब होती है, जिससे लगभग सात आठ सौ रुपये प्रति एकड़ आमदनी होगी और गेहूँ एक एकड़ में २० मन होता है। उसकी आमदनी प्रति एकड़ अगर लगाई जाय तो करीब ढाई तीन सौ रुपये आयेगी। इसके बाद अगर हम चावल की पैदावार देखें तो वह लगभग १५ मन प्रति एकड़ पैदा होता है, उससे प्रति एकड़ तीन सौ या ढाई सौ रुपये आमदनो होगी। इससे आपको अन्दाज हो जायगा कि मनीक्राप को छोड़ कर किसान कोई दूसरी क्राप नहीं बोयेगा नहीं तो हम दूसरी क्राप की कीमत भी इतनी बढ़ा दें जो कि गन्ने के बराबर हो जाय। या फिर हम जनता को गल्ला खाने से रोक दें और आलू खाने की आदत डलवायें अगर हम ऐसा करें तो ठीक है। अगर हम जनता की आदत को नहीं बदलते तो फिर हमारी मजबूरी होगी कि बाहर के मुल्कों से हम अरबों रुपये का गल्ला मँगाकर यहां की जनता को खिलायें। तो एक तरफ जहां हमें अरबों रुपये का गल्ला बाहर से मँगाना पड़ेगा वहां साथ ही साथ गन्ने की पैदावार बढ़ने से चीनी मिलों की मांग भी बढ़ जायगी और साथ ही साथ अनएम्पलायमेन्ट भी बढ़ेगी। इसलिये चारों तरफ गौर करके गन्ने का भाव सरकारी तौर पर निश्चित करने के लिये कहा जाय। नहीं तो सारी एकानामी ही समाप्त हो जायगी, उसका क्या इलाज होगा? इसलिये मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ।

दूसरी बात महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में यह कही कि हमारा प्रदेश कोआपरेटिव की तरफ अधिक ध्यान देगा। इसके अतिरिक्त विरोधी दल ने रूरल सरप्लस पापुलेशन की ओर ध्यान दिलाया है। इन दोनों के बारे में मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। मेरी यह आदत है कि पहले मैं कानून और नियमों को पढ़ती हूँ और फिर यह देखती हूँ किसान के घर जाकर कि उसका असर उन पर किस प्रकार का होता है। यों तो कोआपरेटिव की भी एक सुन्दर योजना है लेकिन उसके अन्तर्गत साधन समितियों की योजना बहुत ही सुन्दर है। उसके द्वारा साधनहीन लोगों को साधन प्राप्त होते हैं। लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें मुझे मालूम हुईं।

उनमें से पहली दिक्कत यह है कि सीरदार और भूमिधरों के लिये एक से नियम नहीं हैं जिसकी वजह से सीरदार को वह लाभ उससे नहीं पहुँच पाता है जो भूमिधर को पहुँचता है, छोटे भूमिधर को भी पूरा लाभ नहीं पहुँचता। इसलिये सीरदार और भूमिधर को समान अवसर मिलना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि क्वांटिटी पर ज्यादा जोर न देकर क्वालिटी पर जोर देना चाहिये।

तीसरी गौर करने की बात यह है कि जो साधन समितियां हैं वे ऋण देने,

मार्केटिंग की फेसेलिटीज देने, तथा दूसरी चीजों को देने का कार्य करती हैं। उनके अलावा दूसरे क़िस्म की ऐसी साधन समितियां भी होनी चाहिये जिनमें खेती के साथ जो सामान किसान को चाहिये वह उनको हायर परचेज सिस्टम पर या किराये पर मिल सके, जैसे कुएँ, रहट, ट्यूबवेल, पंपिंग प्लान्ट्स और बैल जोड़ी। ये तथा दूसरी ऐसी चीजें सीरदार और भूमिधरों को किराये पर या हायर परचेज सिस्टम पर मिलनी चाहिये क्योंकि इन चीजों का उपभोक्ता तो किसान होता है लेकिन वह उनको पैदा नहीं कर सकता। दो चार बीघा वाला छोटा किसान, जो न तो यह साधन रख ही सकता है, न ही लगातार उसका खर्च सहन कर सकता है इसलिये ऐसी साधन समितियां, जो बड़े किसानों को higher purchase पर छोटे किसानों को किराये पर अच्छी किस्म की गाय, भैंस, सुअर, बकरी, मुर्गी आदि दें बनाई जावें।

तीसरी प्रकार की साधन समितियां ऐसी होनी चाहिये जिसमें घरेलू उद्योग धन्धों के लिये साधन प्राप्त हो सकें। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि अभी हम घरेलू उद्योग धन्धे में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सके। उसका कारण यह है कि उनके पास साधन नहीं जुट पा रहे हैं। सरकार इन समितियों के पास ऐसा साधन पहुंचाये, जैसे करघा, चमड़े का सामान, छोटी-छोटी घरेलू मशीनें तथा खांडसारी की मशीने, सीने की मशीनें आदि उनके पास होनी चाहिये। इससे यह होगा कि वह अपनी जगह पर अपना काम प्राप्त कर सकेंगे और हमारी जो सरप्लस बेकार जनता है उसको काम मिल सकेगा क्योंकि मैं तो यह मानती हूँ कि बड़े-बड़े कारखानों के जैसे चीनी और कपड़े के जो वे गृह उद्योग की जगह लेते हैं, खुलने से रेशनलाइ-जेशन के जमाने में तो अनएम्पलायमेन्ट का प्रोबलम और बढ़ जायगा इसलिये मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि जिस एरिया में जो साधन मुहइया हो सकते हों, उसी साधन से वहां पर गृह उद्योग स्थापित किये जायें। सारे माननीय सदस्यों को चाहिये कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस तरह के गृह उद्योग लगावें। हमारे यहां गृह उद्योग का हजारों लाखों रुपया का ग्रांट लैप्स हो जाता है और उसका ठीक इस्तेमाल नहीं हो पाता तथा जनता को भी किसी तरह का प्रोत्साहन नहीं हो पाता। आजकल इन गृह उद्योगों से सारे हिन्दुस्तान में पंजाब की आमदनी ही बढ़ी हुई है। वहां पर कोई बड़ा कारखाना नहीं है सिवा जगाधरी के जहां कागज आदि के कुछ कारखाने हैं। आज पंजाब छोटे-छोटे गृह उद्योग धन्धों में सारे हिन्दुस्तान को लीड कर रहा है।

अब मैं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कुछ कह देना चाहती हूँ। बापू ने कहा था :—

"The outer is only a projection of the inner. As we

are, so our universe becomes, we must turn the search light inward and disectur crusading zeal against our own shortcomings.

भ्रष्टाचार हमारी पैदा की हुई चीज नहीं है। यानी अशोक, विक्रमादित्य, मुगल तथा ब्रिटिश राज्य से विरासत में मिला हुआ यह मेवे का पेड़ है। इस पेड़ की जड़ को अन्दर से काटना होगा। चाहे इधर के भाई हों या उधर के भाई हों, सबसे मैं एक बात बतला देना चाहती हूं। लेकिन जब कोई गुंडा इधर के किसी भाई के पास आता है और कहता है कि फलां थानेदार या कांस्टेबिल हमें तंग कर रहा है तो वे उसके साथ सहानुभूति दिखलाते हैं और उसको छुड़ाने के लिये उसके साथ चले जाते हैं। इसी तरह से अगर कोई गुंडा उधर के किसी आदमी के पास जाकर कहता है कि फलां थानेदार हमें तंग कर रहा है तो वे वोट के डर से उसकी रक्षा करने के लिये उसके साथ वहां चले जाते हैं और उसको छुड़ा लाते हैं। इस तरह से "भ्रष्टाचारियों" को शह मिलती है और भ्रष्टाचार घट नहीं सकता है। इसके लिये हर एक आदमी को अपने अन्दर से देखना होगा और वोट का जो भय है उसको नैतिकता की तराजू पर तौलना होगा। तभी मालूम हो सकेगा कि सही चीज क्या है।

दूसरी बात मुझे शराबबन्दी के सम्बन्ध में कहनी है। हम देखते हैं कि ७ वर्ष के अन्दर उस तरफ कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। इस लानत को एक मिनट के लिये सहन नहीं करना चाहिये। इसलिये सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूँ कि वह कम से कम घनी बसी हुई आबादी वाले इलाकों में शराब की दूकानों का लाइसेन्स देना फौरन बन्द कर दे। चाहे अमीर हो या गरीब, जिस घर में यह रोग घुस गया है, सभी जानते हैं कि उस घर की क्या हालत है। इस बात को बार-बार कहने से मुझे कोई भी झिझक नहीं है। माननीय राजनारायण जी की मैं शुक्रगुजार हूँ और उन्होंने बार-बार इस पर जोर दिया है और इसके साथ ही मैं माननीय मन्त्री जी से और मन्त्रिमन्डल से कहना चाहती हूँ कि वह फौरन ही इलाहाबाद जैसे पवित्र तीर्थ स्थान से तो ऐसी लानत को कम से कम हटायें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय नवलकिशोर जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

८-२-६१

———

मान्यवर, मैं अविश्वास के प्रस्ताव के विरोध में खड़ी हुई हूँ। इस प्रस्ताव के पक्ष में बोलने वालों के भाषण मैंने सुने लेकिन इस प्रस्ताव की आवश्यकता मेरी समझ में नहीं आयी। गिनती के आधार पर, हम ३०२ हैं यह स्वीकृत तो हो नहीं सकता फिर भी मैं समझती हूँ कि किसी को भी हुकूमत की बागडोर रखने के लिये मारल जस्टीफिकेशन होना चाहिये। मैं इसी भावना को थोड़े शब्दों में बता दूँ।

जहां तक आदर्श राज्य का सम्बन्ध है उसका नक्शा खींचा जा सकता है और यह उचित है कि नक्शा खींचकर सामने रख लिया जाय और उसके कदम बढ़ाये जायं और हम उसको भूल न जायं। मैं निहायत नम्रता के साथ प्रेसीडेंट केनेडी की कही हुई बात को आपके सामने रख देना चाहती हूँ :—

"Politics and legislation are not matters for inflexible principles or unattainable ideals. Politics, as John Morely has acutely observed, is a field where action is one long second best."

मुझे अपनी त्रुटियों को जानते हुये यह कहने में जरा भी झिझक नहीं होती कि हम आदर्श हुकूमत नहीं दे सके और न दे ही सकते हैं परन्तु जनता हुकूमत के बिना नहीं रह सकती इसलिये आदर्श नीचे की ही हुकूमत हो सकती है यानी सेकन्ड बेस्ट और ऐसी हुकूमत जो इन परिस्थितियों में व्यावहारिक हो सकती है हमने दी हुई है।

आज सुबह की विरोधी दलों की आपसी नोंक झोंक को देखते हुये उपस्थित सभी व्यक्तियों को मालूम हो गया होगा कि खुदा न खास्ता अगर इन पचरंगी दलों के हाथ में राज्य दे दिया जाय तो इस सूबे का क्या हाल होगा इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मौन ही उचित है। इनमें से सोशलिस्ट और तीसरे कम्युनिस्ट जबकि अहिंसात्मक ढंग से सोशल जस्टिस लाना चाहते हैं तो मैं नहीं समझ पाती कि इनमें और हममें बुनियादी फर्क क्या है। यदि मैं थोड़ा सा इतिहास की ओर नजर दौड़ाऊँ तो तथ्य क्या है ? १९५१ में हमारे कुछ भाइयों की भिन्न विचार-धारा न होते हुये भी उनका विश्वास था कि जब तक विरोधीदल न हो तब तक ठीक रूप से राज्य का शासन चल नहीं सकता। इसलिए एक बनावटी विरोधी दल बना लिया गया और वह के० एम० पी० पी० के रूप में यहां चला। उसके बाद यहां प्रजा

सोशलिस्ट पार्टी बनी और उसमें से फिर एक सोशलिस्ट पार्टी बनी। कम्युनिस्ट पार्टी क्या है और यह आपको मालूम ही है और जब कि अब स्वतन्त्र पार्टी बन गयी है जिसकी विचारधारा में फर्क है। तो क्या जरूरत है इन तीनों पार्टियों की। क्यों नहीं ये अपने वास्तविक स्थान पर आकर ठीक रूप से इस देश को और इस प्रदेश को सम्हालने में सहयोग देते हैं।

मैं निहायत नम्रता के साथ इसका कारण बता दूँ कि हर राजनीतिक नेता या व्यक्ति के अन्दर एक कमजोरी होती है। वह ऊँचे दर्जे की बहादुरी की कमी है और वह यह है कि कहीं जनता की दृष्टि में अनपापुलर न हो जाऊँ जिसने उसको यहाँ भेजा है। निश्चय ही सत्य का रास्ता अपनाने से, जो unpopularity आये; वह अनपापुलेरिटी थोड़े दिनों में पापुलेरिटी में बदल जाती है। माननीय किदवई जी ने ऐसी बहादुरी का उदाहरण आपके सामने रखा है और गोविन्द सहाय जी जो आपके सामने बैठे हैं, इस उदाहरण के एक जीते जागते नमूने हैं और हमारी माननीया बहिन जी ने ऐसी बहादुरी का सबूत दिया है यानी मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस चीज को उन्होंने सत्य समझा उसी को माना। मैं इसलिये यह चीज आप लोगों के सामने रख रही हूँ कि मेरी समझ में नहीं आता है कि अब इन दलों की अलग रहने की क्या आवश्यकता है?

अब सवाल यह है कि इस प्रदेश की गरीब जनता का ४० हजार रुपया दो दिन का खर्चा केवल मितव्यथिता की दोहाई देते हुए खर्च किया जाय और यह जो २१ points हैं यह तो श्री राजनारायण जी कहते ही रहते हैं और इनके उत्तर भी पाते रहते हैं और इसमें कोई खास प्रश्न मेरे सामने नहीं आता है। लेकिन एक ponit जो हमारी जनता को गलतफहमी में डाल सकता है वह उनका पाँचवाँ प्वाइंट है। वह इस प्रकार है। कि "सोशलिस्ट पार्टी की न्याय-युक्त संतुलित दाम नीति को कार्यान्वित न कर सरकार ने जीवनोपयोगी सामग्री को महंगा होने दिया है और इस प्रकार जनता पर संकट बढ़ा।" निश्चय ही जब आप जनता को कहेंगे कि वह संकट में है तो वह ऐसा महसूस करने लगेगी। लेकिन उसके सामने तथ्य रखे जायंगे तो वह उनको समझ कर आपको भी समझाने की कोशिश करेगी।

मैं आपको उनकी संतुलित नीति का नमूना दे दूँ। दो रुपये प्रति मन वह गन्ने का दाम रखना चाहते हैं और ३२ रुपये प्रति मन चीनी का दाम बांधना चाहते हैं। गन्ने से केवल लगभग ८ प्रतिशत चीनी बनती है। इस तरह २५ रुपये एक मन चीनी के लिए केवल गन्ने की कीमत पड़ी और दो रुपये कम से कम मिल मालिक को प्रति मन तो दीजिएगा, दो रुपये थोक वाले को, दो रुपये ट्रांजिट चुंगी आदि के

व्यय में और क्या दो रुपये परचून बेंचने वाले को नहीं देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ३३ रुपये फी मन तो यही हो गये, भाई साहब।

श्री उपाध्यक्ष—यह "भाई साहब" आप राजनारायण जी के लिये कह रही हैं या किसी और के लिये ? (हंसी)

कुमारी कमलकुमारी गोइन्दी—जी हाँ। असल में मेरे मुंह से निकल जाता है। अब मजदूर की मजदूरी, कारीगर की मजदूरी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, income tax, wear tear machinery की पूंजी का सूद इन सब के दाम जोड़ना भूल गये।

एक चीज और सुन लीजिये। दूसरी मनी क्राप्स की ओर भी नजर उठा कर देखिए। उनकी दशा क्या होगी ? गन्ना एक एकड़ में लगभग, पांच सौ मन पैदा होता है। तो एक एकड़ में उसका हजार रुपया हुआ। दूसरी मनी क्राप्स जैसे सरसों, तिल कपास या सन हैं उनकी क्या हालत है ? किसान ने गन्ने को बढ़ाया और इनको छोड़ दिया। जिसका नतीजा यह हुआ कि बोरे भी महंगे और कपड़े भी महंगे तब भी तेल महंगा और याद रखिये कि किसान को ये चीजें खरीदनी पड़ती हैं। कांस्टीटुएंसी से तो दो तरह की इच्छाएं हमारे सामने प्रकट की जाती हैं। एक इच्छा यह प्रकट होती है कि हमारे लिए बस चलवाइये। दूसरी तरफ एक्के चलाने वाले अपना रिप्रेजेंटेशन ले आते हैं कि आप ऐसा न करियेगा। हमारी रोजी खत्म हो जायगी। वहाँ हमको निश्चय करना ही होगा। दोनों को खुदा भी खुश नहीं कर सकता। जब वारिश होती है तो किसान खुश होता है और कुम्हार रोता है। अगर माननीय राजनारायण जी के पास ऐसी दारू हो जो किसान को दो रुपया मन गन्ने की कीमत दे दें और कंज्यूमर को ३२ रुपये मन चीनी दे सकें, यानी गन्ने से चीनी बनाने का कुल कार्य अपनी सेना से श्रमदान से बिना खाये पिये करवा दें, तो सब किसान और चीनी खाने वाले इनके आभारी होंगे।

इसके अलावा अनाज भी सस्ता करने को कहते हैं। सबको अच्छा लगता है कि हमको सस्ता अनाज मिले। लेकिन एक तरफ अनाज सस्ता हो और दूसरी तरफ गन्ना महंगा हो यह कैसे हो सकता है ? जब गन्ना महंगा होगा तो अनाज बोयेगा कौन ? इसलिये मूल्य निर्धारित करते समय चारों तरफ देखना पड़ता है और एक संतुलित दृष्टि से काम करना पड़ता है।

इन सब तथ्यों को सामने रखते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि हमने आदर्श से सेकेंड वेस्ट गवर्नमेंट दे रखी है, मौजूदा हालत में। यहाँ पर कोई दल भी इसका साहस नहीं कर सकता कि जिस तरह से यह सरकार चल रही है उस तरह से भी सरकार को चला सकें। इसलिए यह उनका अविश्वास का प्रस्ताव निरर्थक है और उनकी भूल में डालने वाला है।

एक चीज और। वह यह कि अगर हमको यहां से निकालना चाहते हैं तो वे अपनी रचनात्मक दृष्टि बनाएं। रस्किन ने बड़े सुन्दर शब्दों में कहा है कि अगर आदमी संसार में आगे बढ़ना चाहता है और अपने नैतिक स्तर को ऊँचा रखना चाहता है तो वह देखे कि उसका एक एक पैसा कहाँ से आता है और वह किस तरह से खर्च होता है। यह जितनी बातें थीं वह किसी और समय भी वह कह सकते थे। जरा ध्यान से सुन लीजिये। रचनात्मक दृष्टि बढ़े कैसे ? वह कष्ट से होती है। यहां बैठ जाने से नहीं होती है। वह इस तरह से होती है कि किसान के बीच जाकर बैठिए और देखिए कि किसान को जब कष्ट हो जैसे जिन्सवार का उसका इन्दराज ठीक से लिखा न हो तो आप उसके साथ जाकर ठीक करवा दें, इसी तरह पुलिस में रिपोर्ट देते वक्त दुखिया के साथ जायं और तफतीश में भी उसके साथ खड़े हों और देखें कि कहीं किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे निश्चय है कि इतना कष्ट ये सह नहीं सकते। केवल नुक्ता चीनी कर सकते हैं। निन्दक जो होता है वह हमारे लिए बहुत अच्छा है जैसा कि अलगूराय शास्त्री जी ने कहा क्योंकि हम तो अपनी गलतियाँ जानते हैं और उनको दूर करने के लिये हमेशा ही तैयार रहेंगे और साथ में इन लोगों के भी शुक्रगुजार होंगे कि वह हमारी कमियों को सामने लाये। इस प्रस्ताव में दम तो है नहीं, कृपया उसको वापस ले लें। जितना कहना था उतना आपने कह लिया। जनता आपके व्यवहारिक ढंग को देख कर हृदय से हमको कह रही है कि बहादुरी अपनी जगह निर्माण के काम पर बढ़ते जाओ, जितनी आपत्तियाँ आयेंगी उनका सामना करने में हम तुम्हारा साथ देंगे। इसलिए किसी भी चुनाव को चुनौती देना या कहना इस समय कि इस चुनाव में क्या होगा, उचित नहीं होगा। हम तो बहादुरी के साथ काम करना सीखे हुए हैं और बहादुर के लिए हर वक्त, हर समय उठने की गुँजायश हो सकती है।

एक चीज जो भारतीय भाषा के बारे में कही जाती है उसको बता दूं। उसके लिए अधिक कहने की आवश्यकता नहीं थी। अगर कांस्टीटयूशन उठा कर पढ़ लेते तो पता लग जाता कि कांस्टीट्यूशन की धारा ३४८ नम्बर १ और २ के अन्तर्गत यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक ऊपर से अनुमति न हो या जब तक ऊपर से न चले तब तक इस भाषा को कर नहीं सकते हैं और यह वहीं से सम्बन्ध रखता है। मेरी फिर आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसे प्रस्ताव लाकर प्रदेश का समय और पैसा खराब न किया करें और जो भी समुचित चीज रखनी हो वह बड़े ही ढंग से थोड़े समय में रख दी जाया करे। इन शब्दों के साथ मैं इस सदन से प्रार्थना करूंगी कि इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया जाय।

२३-२-६१

---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस बिल के बारे में बोलने का समय दिया। आज का बिल केवल १० अमेंडमेन्ट के लिये है और इसके अन्तर्गत हम ऐसा भी नहीं मानते हैं कि हम सब सुधार कर ही देंगे, न ही परफेक्शन का दावा करते हैं, लेकिन हमें यह देखना होगा कि जो चीज हमारे सामने है, उसमें हमने क्या परिवर्तन किया और किस तरह से किया।

एक बात और बता दूँ कि पत्रकारों को तो मैं अपने भाव नहीं समझा पाती, सदस्यों को जरूर समझाने की कोशिश करूँगी। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपने ४० वर्ष के जीवन में २४ वर्ष मेरे इन शिक्षा संस्थाओं में पढ़ते और पढ़ाते ही बीते हैं। उसके आधार पर जो पूरा नक्शा हमारे सामने है उसके ऊपर सुझाव दूँगी और इस बिल के समर्थन के लिये आप से कहूँगी।

मान्यवर, मैंने कल से माननीय मोतीलाल जी अवस्थी, माननीय गौरीशंकर राय, माननीय सुरथबहादुर शाह के भाषणों को बड़े ध्यान से सुना। माननीय मोती लाल जी ने अपने भाषण में कहा कि शिक्षा द्वारा चरित्रवान, योग्य, बलवान नागरिक बनाने का प्रयत्न होना चाहिये मैं इधर के सब साथियों की ओर से यह कह देना चाहती हूं कि हमारा भी यही विचार है और अभिभावक के नाते हमारा सबका यह ध्येय है। उन्होंने यह भी कहा, अपने लम्बे भाषण में, कि शिक्षा के ढांचे में पूरा परिवर्तन होना चाहिये। ठीक है, पूरे परिवर्तन का प्रयत्न हमारे सामने है। इसीलिये तो राधाकृष्णन् और मूथम कमीशन्स बनाये गये और अन्य कमेटियां बनती चली जा रही हैं। हम चाहते हैं कि किसी प्रकार परिवर्तन हो जाय।

मान्यवर, माननीय मोती लाल जी का कल जो भाषण हुआ वह ऐसा प्रतीत हुआ जैसे राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट पर lecture तैयार किया गया हो जो एक कालेज क्लास में दिया जाय। इस हिसाब से उनका भाषण सराहनीय है। लेकिन जो विधेयक है उस पर उनके क्या विचार हैं वह अस्पष्ट हैं। हां एक क्लास में उनका लेक्चर था और थोड़े समय के लिये ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि यह हाल जो है वह एक क्लास लगा हुआ है जिसे उनको पढ़ाना है राधाकृष्णन् जी की रिपोर्ट। क्लास में तो ४० मिनट का एक घंटा होता था लेकिन वह यहां पर ६० मिनट यानी १½ घंटे हो गया। मान्यवर, शिक्षा में परिवर्तन के लिये उन्होंने जो कहा उसको जरा ध्यान में देखा जाय।

मान्यवर, यह जो आज का विधेयक है इसमें जो मुख्य क्लाज है वह एक चीज के ऊपर संकेत करता है वह यह कि विश्वविद्यालयों में उपकुलपतियों की किस तरह से नियुक्ति हो। माननीय अवस्थी जी ने इस सम्बन्ध में राधाकृष्णन् कमीशन या अन्य कमेटियों की रिपोर्टों में से जो कोटेशन दिये उससे तो जो पुरानी पद्धति है उनसे विरोध का समर्थन हुआ कि चुनाव का तरीका गलत है। मान्यवर, वह सन् ४६ की रिपोर्ट थी और यह जो १२ साल का समय हमारे सामने बीता उसमें क्या हाल रहा यह भी एक नयी कहानी है। हमारा जो पुराना तरीका है वह यह है कि एग्जीक्यूटिव के सदस्य जिन नामों को सजेस्ट करके भेजते हैं उसमें से एक को हमारे कुलपति नियुक्त करते हैं। अब मान्यवर, होता क्या है? कभी-कभी तीन चार नाम उपस्थित होते हैं उनमें एक जो ज्यादा वोट पाता है उनके लिये जरूरी नहीं है कि उसको एग्जीक्यूटिव का मेजारिटी समर्थन प्राप्त हो। जैसे १६ मेम्बर हुए, चार खड़े हो गये, अब चार के खड़े होने पर एक को ५ वोट मिल गये और बाकी को चार चार। तो चार-चार वाले रह गये और पांच वाला हो गया। ऐसी परिस्थिति में यह सोच लेना कि जो वाइस चांसलर होगा वह अच्छी तरह से कन्ट्रोल कर लेगा, यह सम्भव नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि वोट के आधार पर बहुत सी गल्तियां हुई हैं टीचरों की नियुक्ति में और विद्यार्थियों पर अनुशासन कायम करने में। अभी सुरथ बहादुर शाह जी ने कहा था कि हमारे विश्वविद्यालय शिक्षा के केन्द्र होते हैं, उनके साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिये। तो क्या आप चाहते हैं कि जिस गल्ती को हम देख रहे हैं उसको भी ठीक न करें, क्या यह उनके साथ खिलवाड़ नहीं होगा।

माननीय अवस्थी जी की एक बात गौर करने लायक है। उन्होंने अपने सुझाव में कहा कि जो सीनियरमोस्ट प्रोफेसर हो वह उप कुलपति बनाया जाय—

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—यह श्री त्रिलोकी सिंह जी का प्रस्ताव है।

कुमारी कमलकुमारी गोइन्दी—लेकिन आपने अपना ही कहकर कहा। इसलिये इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन मौजूदा विधेयक को देख लिया जाय कि उसमें इसकी गुंजायश है या नहीं। ३ व्यक्तियों का एक बोर्ड होगा। एक व्यक्ति विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव के द्वारा चुना जायगा, एक व्यक्ति चीफ जस्टिस द्वारा मनोनीत होगा जो जज होगा या रिटायर्ड जज होगा और एक व्यक्ति वाइस चांसलर द्वारा नियुक्त व्यक्ति होगा। इसमें कौन-सा व्यक्ति ऐसा है जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। क्या चीफ जस्टिस द्वारा नियुक्त व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते? क्या चांसलर द्वारा नियुक्त व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते? क्या

एग्जीक्यूटिव द्वारा चुने हुए सदस्य पर विश्वास नहीं कर सकते ? ये तीनों व्यक्ति अवश्य ही निष्पक्ष आदमी को चुनेंगे। माननीय अवस्थी जी ने कहा कि सीनियर मोस्ट को चांस नहीं देंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से सीनियर मोस्ट को चांस नहीं देंगे। अगर सीनियर मोस्ट कैपेबिल होगा तो उसको चांस अवश्य दिया जायगा।

श्री मोती लाल अवस्थी—मैंने जो बात नहीं कही, उसको जबरदस्ती मेरे मुँह में रखने का प्रयत्न कर रही हैं।

श्री अधिष्ठाता—कृपया आप इसका ख्याल रखें।

कुमारी कमलकुमारी गोइन्दी—जो व्यक्ति स्टाफ में सीनियर मोस्ट है उसका चांस तो होगा ही। लेकिन दो बातों पर हमें अवश्य गौर करना होगा। एक तो यह कि मान लिया वह सीनियर मोस्ट व्यक्ति बड़ा काबिल है, अच्छा वक्ता भी है और अच्छा अध्यापक भी है लेकिन अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है और जिसने उसके दो चार घंटे पीछे ही ज्वाइन किया वह योग्य होने के साथ-साथ अच्छा ऐडमिनिस्ट्रेटर भी है, तो उसको भी चांस दिया जा सकता है। इसके अलावा दूसरी परिस्थिति यह भी हो सकती है कि अगर बाहर का कोई व्यक्ति जो बहुत ही योग्य हो, जो विद्यार्थियों की अधिक सेवा कर सकता हो तो उसको भी चांस दिया जा सकता है। जिस प्रकार से आचार्य नरेन्द्र देव लखनऊ के और श्री राधाकृष्णन् बनारस विश्वविद्यालय के उपकुलपति बनाये गये। वे भी इसी पद्धति के आधार पर बनाये गये। अगर केवल वहां के प्रोफेसर के लिये ही रखा जाय तो उपकुलपति को चुनने का सर्किल बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। उस सर्किल के अन्दर थोड़ा चांस हो जाता है। तो इसमें क्या दोष है और अपने देश के भावी नागरिक बच्चों की सेवा के लिये, जिनके कंधों पर कल देश का भार पड़ने वाला है, ऐसे व्यक्ति की सेवा उनको लाकर दी जाय ? इसलिये मैं यह निवेदन करूँगी कि इस बात को मानते हुए कि जनता को कल के नागरिकों की सेवा करना एक सिद्धान्त की बात है, और उसे देखना यह है कि जो मौजूदा पद्धति है उसमें ठीक तौर से इसे बरता गया है या नहीं।

इसके अलावा जो दूसरी पद्धति है उस पर भी हम गौर कर लें और देख लें और यह देखने के बाद ही आशा की जा सकती है कि जिन-जिन यूनिवर्सिटीज ने ऐसी पद्धति अख्तियार की है, वह सफल हो सकती हैं, तो उसके आधार पर और जो बड़े-बड़े तजुर्बेकार लोग हैं उनके आधार पर कि आजकल जो चुनाव पद्धति है ठीक नहीं है, यह सोचा गया कि ऐसा करके देख लिया जाय और तब उसे सफलता पूर्वक

चलाया जा सकेगा। इसलिये यह चेंज किया गया। इसके अन्तर्गत किसी मोटिव को ले आना या किसी पर शंका करना उचित न होगा। मैं कहती हूँ कि जो भी सुझाव आप यहाँ दें वह सोच समझ कर दें क्योंकि यहां पर जो आपकी बातें होती हैं वह आपके जीवन का अक्स होता है जिसे जनता अपने आइने में देखती है। इसलिये आज जरा ऊँचा उठ कर देखें और सोचें कि वाकई में वह चीज किस शंका के आधार पर कही जाती है। यह चीज आपके सामने थी और इसमें कोई आपत्ति नहीं है और इस तरह के तीन व्यक्तियों में पूर्ण विश्वास किया जाय तो गलत नहीं होगा।

श्रीमन्, यहां पर डेमोक्रेसी की दुहाई दी गयी और यूनिवर्सिटी के आटोनामी के खत्म होने की दुहाई दी गयी। पहले हमको और आपको सोचना होगा कि आटो नामी का अर्थ क्या है। ऐब्सोल्यूट आटोनामी जो होती है वह केवल केन्द्रीय सरकार की हुआ करती है। उसके अन्तर्गत जितनी यूनिट्स होती हैं, उनके पास एक लिमि- टेड आटोनामी हो जाया करती है। आपको पूरी ऐब्सोल्यूट आटोनामी की उम्मीद नहीं करनी चाहिये। केन्द्रीय सरकार के नीचे स्टेट गवर्नमेंट होती है, लेकिन उनको भी पूरा आटोनामी नहीं होती। इनके नीचे जो यूनिवर्सिटीज हैं, विश्व विद्यालय हैं, उनको हम पूरी आटोनामी देने की बात सोचें तो यह एक स्वप्न मात्र होगा। यह नादानी होगी कि उनके अन्तर्गत पूरी आटोनामी हो जाय। मेरा ख्याल है कि कोई भी सदस्य इस बात को सोचेगा भी नहीं। तबदीली इस सेंस में ली गयी कि वाइस चांसलर का जो चुनाव है वह इस ढंग से हो कि उसमें अधिक योग्य आदमियों को सरकार ले सके। मैं समझता हूँ कि आटोनामी के अन्दर दो चीजें होती हैं, एक तो यह कि जो आटोनामी यूनिवर्सिटी को दी हुई है, उसमें देखना यह है कि उसके अन्तर्गत जो आन्तरिक शान्ति कायम रखने व स्टेट्यूट्स बनाने की बात है, उसमें किसी किस्म का हस्तक्षेप तो नहीं किया गया। मेरा यह निश्चित मत है कि इस पद्धति में यूनिवर्सिटीज के अन्तर्गत कार्यों में बिल द्वारा कोई भी हाथ नहीं डाला गया है। यह तो सिर्फ इतना कहता है कि शान्ति व्यवस्था के लिये साधारणतः जो मर्जी हो करिये और हमारे नागरिकों को ऐसे ढांचे में ढाल कर बनाइये कि वह सुन्दर नागरिक निकलें। इसके लिये जो भी ढांचा बनायें और नियम जितने स्पष्ट या नरम रखना चाहें रखें। इसके लिये वाइस चांसलर पूर्णतः फ्री हैं।

दूसरी बात यह है कि यदि कुलपति की नियुक्ति का ढंग सुधारा जाय तो क्या यह शंका होगा कि हम आटोनामी छीन रहे हैं कहाँ तक तर्क युक्त है। नियंत्रण की बात कही गयी। आखिर जब से बच्चा पैदा होता है तभी से उस पर यह नियंत्रण लगने लगता है कि बेटा यह काम करो और यह काम न करो। तो नियंत्रण की बात

पर, नियंत्रण की दुहाई पर उनको बिलकुल छोड़ दिया जाय कि जैसी मर्जी चाहे करो बिलकुल ठीक नहीं है। देखना यह है कि वाइस चांसलर एक बार नियुक्त कर दिया और फिर क्या उस पर सारी चीजें छोड़ दें कि तुम अपना इंतजाम जैसा चाहो करो। बिलकुल ऐटानामस तो हो भी नहीं सकता क्योंकि जब हमारे विश्वविद्यालयों में कोई भी घटना होती है तो हमारे ऊपर यह प्रश्न करते हैं, वहां कोई छोटी से बड़ी बात हो जाय तो उसका जवाब देने के लिये हम जिम्मेदार हैं, उसके लिये पैसे को पूर्ति करने के लिये हम जिम्मेदार, उसके अन्तर्गत कोई छोटी-मोटी चीजें हों तो उसके लिए हम जिम्मेदार, लेकिन जब हमें उसको चलते हुए देखना हो तो हम बिलकुल नहीं कर सकते, उसमें हमको बिलकुल हाथ नहीं डालना चाहिये और उन लोगों को बिलकुल फ्री छोड़ देना चाहिए कि जिस तरह से मर्जी चाहे प्रबन्ध करो। इसका अर्थ क्या है? केवल इतना है कि हमारा पैसा किस तरह या जो विद्यार्थी हमने वहाँ पर भेजे हैं उनके साथ किस तरह से व्यवहार होकर किस तरह से कार्य चल रहा है। बस इतना ही इसका उद्देश्य है। लेकिन निहायत अफसोस की बात है कि इसका विरोध किया जा रहा है।

लेकिन इसके अलावा इस बिल के अन्तर्गत एक चीज की बड़ी चर्चा है। यह कहा जा सकता है कि डाइरेक्टर एजूकेशन जो है उसको एक्जीक्यूटिव का मेम्बर क्यों बनाया गया। मान्यवर, एक बात स्पष्ट है कि जितने डिग्री कालेजेज होते हैं वह सब उसके अन्तर्गत आते हैं। स्टेट्यूट्स जो यूनिवर्सिटीज बनाती हैं उन सब को एड देने को जिम्मेदारी स्टेट को होती है इसलिए वहां की कार्यवाहियों को भी पूरा सुधारना आवश्यक होता है। पहले भी राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता था, सिर्फ उसकी शक्ल बदल गयी है इसलिये उसको समझ लेना चाहिए कि इसके अन्तर्गत कोई बड़ा भारी अपराध किया जा रहा है या बड़ी भारी शक्ति छीनी जा रही है ऐसी बात नहीं है।

मान्यवर, इसके साथ में एक चीज के लिये खास तौर से अपने मंत्रिमंडल को बधाई दूंगी और वह यह है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जिस चीज के लिये मैं तीन साल से लगातार प्रयत्न कर रही थी उस संशोधन को मान करके सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया। जो पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट की धारा ३६ (ए) (३) थी वह इस प्रकार थी :—

"(3) The condition's of recognition of an Associated College shall be such as may be prescribed by the Statutes or imposed by the Executive Council but no Associated

College, shall be authorized to impart instruction for post-graduate degrees."

अब यह धारा इस प्रकार हो गई है :—

"The conditions of recognition of an Associated College shall be prescribed by the statutes or imposed by the Executive Council but no Associated College other than one imparting instruction in Engineering, Technology or Agriculture shall be authorized to impart instruction for Post-graduate degrees."

इस धारा के लाने से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यह सम्भव हो गया है कि जितने डिग्री के टेक्निकल कालेज होंगे उनमें पोस्टग्रजुएट कक्षाएं खोलने में सुविधा होगी।

मेरा विश्वास तो यह है कि मेडिकल, एग्रीकल्चर या टेकनालिजिकल जितनी संस्थाएं हैं यह सब अलग-अलग अपने-अपने में यूनिवर्सिटी होनी चाहिये ताकि सब का एक-सा स्टैंडर्ड हो जाय। जिस तरह से कि कृषि की यूनिवर्सिटी अलग है। रुद्रपुर के साथ सारे कृषि कालेज जोड़ दिए जायं ताकि सारे प्रदेश में एक स्टैंडर्ड कृषि की शिक्षा हो सके। सभी बच्चों को एक से पर्चे और गाइडेंस मिल सकें और वह तरह-तरह के अनुभव और गाइडेंस प्राप्त कर सकें और जो इंजीनियरिंग के कालेज हैं वे रुड़की विश्वविद्यालय के साथ जोड़ दिये जांय, लखनऊ से सारे मेडिकल कालेज जोड़ दिये जायं। अलग-अलग यूनिवर्सिटियों के साथ जुड़े रहने से उनका एक-सा स्टैन्डर्ड नहीं बन पाता और इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर और आगरे का अलग-अलग स्टैन्डर्ड है। फिर भी मैं इसका स्वागत करती हूँ कि कम से कम एक पग आगे तो बढ़ाया गया और जो रुकावट ग्रेजुएट से पोस्टग्रेजुएट क्लास बनाने में होती थी उसमें सुविधा मिलेगी और विद्यार्थियों को ग्रेजुएट बनने के बाद पोस्टग्रेजुएट होने की सुविधा मिल सकेंगी। इस वास्ते मैं उनकी बहुत आभारी हूँ।

सब से ज्यादा यह भी देखने की बात है कि वैसे तो जैसी हम आशा करते थे कि सारे कानून के ढांचे को ही बदलने की आवश्यकता है, यह बिल उस आशा के साथ लाया भी नहीं गया है। यहाँ पर पहले भी कमेटियाँ बन चुकी हैं और उनकी रिपोर्टें आ चुकी हैं। अब भी एक नयी कमेटी बनी हुई है या उसके बाद भी फिर और आवश्यकता होगी बनेगी, मेरा ख्याल है कि अवश्य ही शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति लाना चाहिये और पूरी क्रान्ति लाने के बाद अपने नागरिकों में विश्वास पैदा

कर सकें और हमारे नौजवान अपने पैरों पर खड़े हो सकें न कि नौकरियों का मुँह देखा करें। इस प्रकार का शिक्षा का ढांचा होना चाहिए। सारे लोग इस चीज को समझते हैं। जैसे कि एक बार समय आया था १६०० से १६१६ तक, सब नेता गोखले से लेकर नीचे तक चाहते थे आजादी आये लेकिन समस्या यह होती थी कि आजादी आये तो किस ढंग से आये। यह सब हर चीज अर्पण करने को तैयार थे, एक दल इस चीज को मानता था कि गवर्नमेंट के साथ लड़कर, या मिलिटरी तक में आन्दोलन करा के अंग्रेजों को भगाया जाय और दूसरी तरफ कुछ लोग चाहते थे कि लेजिसलेचर्स में पहुँचा जाय और वहाँ पहुँच कर उस हुकूमत को खत्म करें। लेकिन इस चीज के सामने होते हुए भी जिस वक्त रास्ता बताने के लिये गांधी जी सामने आए तो उन्होंने अहिंसा का रास्ता नान-कोआपरेशन का रखा जिससे हम आजादी की लड़ाई को लड़ सकें। किस तरह से अपने भावी नागरिकों के जीवन को ऊंचा बना सकें उसके लिए जरूर ही किसी की नजरों से यह बात न छिपी होगी, यह जो भाग्य-शाली व्यक्ति हैं १७ फीसदी तक ऐजूकेटेड हैं ही इसके अन्तर्गत और यूनिवर्सिटी में कितने कम जाते हैं यह आप सब लोग जानते हैं। इसलिये इतनी कम संख्या होते हुए भी यूनिवर्सिटीज के साथ हम खिलवाड़ करें ऐसी आशा हमसे न करें और उसके इतिहास को जानने की कोशिश करें जिसके कारण मजबूरियों से यह बिल लाना पड़ा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो उसी चीज को जिसको हम समझ जायं कि यह चीज इस तरह से ठीक तरह से चल सकती है उसको न करें तो अपने कर्तव्य से हम गिरते हैं। यह जानते हुए कि इस चीज को हम पूरा करना चाहते हैं और हमारा निश्चय है कि उसको पूरा करके कोई रास्ता ऐसा अवश्य निकल आयेगा जिस वक्त पूरे बिल को सदन के सामने रख सकेंगे। इसके लिए मैं माननीय सदस्यों से कहूँगी कि जो एक कदम थोड़ा-सा आगे बढ़ाने की हमने सोची है उसके अन्तर्गत कुछ दिनों की रुकावट डालने में क्या फायदा है? अतः इस बिल को ऐसे ही पास कर दिया जाय और आगे भविष्य के लिए सोचा जाय कि किस तरह से हम शिक्षा के अन्तर्गत तबदीली ला सकते हैं।

१५-३-६१

---

मान्यवर, मैं आज प्रस्तुत बजट का स्वागत करने के लिये खड़ी हुई हूं।

साधारणतया एक अच्छे बजट की चार विशेषताएँ मेरी समझ में आती हैं। साधारणतया तो सरप्लस बजट ही अच्छा होता है। परन्तु अंडर डेवलप्ड कन्ट्रीज के लिये डेफिसिट बजट आवश्यक है वर्ना डेवलपमेंट नहीं हो सकता। दूसरी कसौटी एक अच्छे बजट की यह है कि वह जनप्रिय हो। और तीसरी कसौटी यह कि सरकार को अपने लक्ष्य की ओर ले जाने में वह सहायक हो। इसके अतिरिक्त चौथी कसौटी यह है कि सेल्फ हेल्प और सेल्फ इम्पलायमेन्ट का वायुमंडल बना सके जिससे देश के बाशिन्दों को फुल इम्पलायमेन्ट दिया जा सके। अब मैं इन चारों बातों की चर्चा करूंगी कि आया इन सभी कसौटियों पर यह बजट उतरता है या नहीं।

इससे पहले कि इस सम्बन्ध में मैं अपने विचार सदन के सामने रखूं, मैं आवश्यक समझती हूँ कि माननीय नेता विरोधी दल द्वारा कही हुई बातों का नम्रतापूर्वक उत्तर यहाँ पर देदूँ। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मैं नेता विरोधी दल की बहुत इज्जत करती हूँ लेकिन उनकी कुछ बातें समझ में नहीं आयी इसलिये शंका के कारण सदन के सामने उनको रखना चाहती हूँ।

पहली बात नेता विरोधी दल ने जो कही वह यह थी कि सरकार द्वारा जो सिंचाई का प्रबन्ध है वह केवल १८ फीसदी ही १० वर्षों में हो सका। उन्होंने आर० सी० दत्ता के सन् १६०१ के मेमोरेंडम का हवाला देते हुये इस बात को सिद्ध किया कि किसी भी सरकार को ४० फीसदी भूमि की सिंचाई का प्रबन्ध करना चाहिये। लेकिन वह एक तथ्य की ओर इस सदन का ध्यान नहीं दिला सके। वह तथ्य यह कि पिछले २०० वर्षों में जितना सिंचाई का प्रबन्ध नहीं हो पाया था उतना इन दस वर्षों में हुआ। एक दूसरी बात की ओर भी वह ध्यान नहीं दिला पाये कि इस साल के बजट में ४० लाख एकड़ भूमि सिंचाई के अन्तर्गत ली जा रही है। इसका मतलब यह होगा कि आगामी दो वर्षों के अन्दर, वह ४० फीसदी का लक्ष्य चाहते हैं वह भी पूरा हो जायगा। अगर नेता विरोधी दल इन बातों से भी सदन को अवगत करा देते तो पूरी पिक्चर सदन के सामने आ जाती।

दूसरी बात उन्होंने इसी सम्बन्ध में और कही। उन्होंने कुएं और नहर की सिंचाई का मुकाबला किया। उन्होंने कुएं पर नान-रेकरिंग खर्चे के सम्बन्ध में यह बताया कि प्रति एकड़ १५० रुपया खर्च होता है और नहर की सिंचाई से ५००

रुपया प्रति एकड़ खर्च होता है यह तो मान्यवर बड़ी साधारण सी बात थी। अगर वह एक बात सोच लेते कि १५० रुपया वह केवल स्थायी कैपिटल के खर्चे की बात करते हैं लेकिन कुएं के ऊपर जो रेकरिंग खर्चा होता है सिंचाई करने में वह कई गुना अधिक होता है। उसका सामने ही प्रूफ है जहां-जहां पर नहर बनती जाती है वहां पर कुएं टूटते जाते हैं। इसका मतलब यह है कि नहरों द्वारा सिंचाई की लोग ज्यादा मांग कर रहे हैं उसके साथ उनका सहयोग है क्योंकि वह सस्ती पड़ती है।

मान्यवर, अगर वह एक और सुझाव दिये होते तो वह मुझे और सारे सदन को मान्य होता कि जहां-जहां पर हमने नहरें बनवाई हैं वहां-वहां पर हम एक और प्रबन्ध कर दें, जिसकी कि इस सूबे के अन्दर बहुत कमी है और खास कर पूर्वी इलाकों में, और वह यह कि जहां पर नहरें गई हैं और भूमि ऊँची पड़ जाती है वहां पर सिंचाई का साधन पहुँचाने के लिये, जिस प्रकार पश्चिम में और पंजाब में छोटे-छोटे रहट बनते हैं, उसी प्रकार से वहां भी बना दिये जायं। इसके लिए आवश्यक है कि रहट का सामान बनाने के लिये छोटे-छोटे लोहे आदि के कारखाने हों। सरकार नमूने के लिए भिन्न भिन्न इलाकों में गरीबों को बना कर दें। ताकि गरीब किसान जो तड़प रहा है उसका हम अच्छी तरह से प्रबन्ध कर सकें।

दूसरी बात माननीय नेता विरोधी दल ने यह कही कि आज से १० वर्ष पहले हिन्दुस्तान की चीनी का ७५ फीसदी प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता था, जो अब ६० फीसदी रह गया है। लेकिन वह सही आंकड़े देख लिये होते तो उन्हें मालूम हो जाता कि १० वर्ष पहले की ५ लाख टन चीनी के मुकाबले अब हमारे प्रदेश में १२,२१,००० टन चीनी बनती है। पहले बम्बई, गुजरात, मद्रास और अन्य प्रदेशों में चीनी की मिलें नहीं थी लेकिन अब उन्होंने फैक्ट्रियां लगा ली हैं तो हमारे पास ऐसी पावर नहीं है कि हम उनसे कहें कि तुम फैक्ट्री न लगाओ। इसलिए तो मैं अक्सर अपनी सरकार से कहती हूँ कि अन्दरूनी आवश्यकता के आधार पर उद्योग खोलें न कि Foreign exchange के चक्र में पड़ें।

तीसरी बात उन्होंने कही कि ५० लाख मन बीज का प्रबन्ध सरकार कर रही है जो नहीं चाहिये। तथ्य क्या है? ४८.४ लाख एकड़ जमीन खाद-पदार्थों के अन्तर्गत है। बोने के लिये लगभग १५ सेर प्रति एकड़ गेहूँ, १२ सेर चावल का बीज चाहिये। ज्वार और बाजरा ३ सेर प्रति एकड़ चाहिये। गेहूँ और चावल के अन्तर्गत आधी भूमि के लगभग होते हुये हमें लगभग १०० लाख मन बीज चाहिये। विरोधी

(इस समय २ बज कर ३७ मिनट पर अधिष्ठाता श्री बेचन राम गुप्त पीठासीन हुये।)

दल के नेता ने यह भी कहा कि बीज लखनाऊ की मंडी से लिया जा सकता है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि किसान को इतनी संख्या में उधार देगा कौन ? हमारे किसान को तो उधार चाहिये। जहाँ जो बीज उत्पन्न होता है वहीं उसे स्टोर भी किया जाता है ताकि वहीं वह बोया जा सके। इसीलिए उसे वहाँ प्रिजर्व करते हैं। अगर हम बाहर से बीज मंगवाते हैं तो कुछ समय के लिये उसका एक्सपैरीमेंट करते हैं। नहीं तो कितना भी बढ़िया बीज लाइये वह दूसरी भूमि में उतना उपजाऊ नहीं होता है। तो किस आधार पर मैं इस बात को मान जाऊँ कि स्टोरों में बीज की आवश्यकता नहीं है ? क्या गरीब जनता को भूल जाऊँ या यह कि उनको वास्तविक रूप में बीज चाहिए ? हां, जहां बीज ठीक न मिले वह बात उनके सामने लायी जावे तो बुरी बात नहीं है।

निहायत खूबसूरती के साथ एक बात उन्होंने गांधी जी की विचारधारा के ऊपर अदालती पंचायतों के बारे कही। उन्होंने कहा कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि दीवानी मुकदमें पंचायती अदालतों में जावें। निहायत नम्रता से और सिर झुका कर एक बात उनके सामने कह दूँ। मैंने जितनी उनकी किताबें पढ़ी या उनकी रिपोर्टें, स्पीचें पढ़ीं, उनमें मुझे कहीं यह बात नजर नहीं आयी। जो थोड़ा बहुत अक्सर मुझे उनसे सम्पर्क में आने का भी मिला उससे भी उनकी ऐसी विचार धारा मेरे सामने नहीं आई। लेकिन उतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। साधारण रीति से हम एक चीज को देखने की कोशिश करें। वह यह है कि अगर वे छोटे-मोटे दीवानी मुकदमें नही सुनेंगे तो क्या बड़े बड़े ३२६ और ३६६ के मुकदमें सुनेंगी। अगर वे छोटे मुकदमें नहीं कर सकतीं तो कैसे बड़े मुकदमें उन्हें दे दिये जावें ? इसलिये उनकी बात मेरी समझ में नहीं आई।

एक बुराई अनेक सदस्यों ने दी और वह है हरिजन की। जितनी उसके लिये एक मनुष्य के अन्दर हमदर्दी हो सकती है उससे कम मेरे अन्दर नहीं है। इतना मैं विश्वास दिला सकती हूँ। लेकिन उनकी वास्तविक तकलीफ की ओर इस माननीय सदन का ध्यान नहीं दिखाया गया। जिसे सरकार कर सकती है। वह यह है कि जितना रुपया हम हरिजनों के लिये रखते हैं यह थोड़ा है। बाकी बजटों में भी उनका हिस्सा रहता है। इसके अलावा पढ़ने लिखने में, चाहे वह टेक्नीकल एजूकेशन हो या नान-टेक्नीकल हो, उसमें भी उनकी इमदाद मी रहती है। मैं समझती हूँ कि गरीबी के आधार पर फीस माफ होनी चाहिये। जब मैं गांव में जाती हूँ तो देखती हूँ कि हमारे गरीब हरिजन भाई एक छोटे से, १०० या ५० रुपये के कर्जे के लिये, उसे चुकाने के लिये वर्षों के वास्ते कर्ज देने वाले की बेगार करते हैं; मगर वह चुकता नहीं है। तो सरकार एक कदम आगे बढ़ कर यह कर सकती है कि जो लोग ५ साल के

ऊपर से उनसे कार्य लेते रहे हैं उनका कर्जा रद्द कर दे। अगर इस छोटी सी रकम के लिये हम उनकी गुलामी दूर नहीं कर पाये तो यह उचित बात नहीं मालूम होती है और ऐसा करना मेरी समझ से हमारे लिये कोई खास मुश्किल भी नहीं होनी चाहिये। हम इस के लिये कानून बना सकते हैं। ( लाल बत्ती होने पर ) मुझे थोड़ा समय और देने की कृपा करें।

**श्री अधिष्ठाता** – मैंने आप का समय बढ़ाया नहीं है, यह सूचना आप को दे देना चाहता हूँ।

**श्री कमल कुमारी गोईदी**—क्यों नहीं बढ़ाया है ?

**श्री अधिष्ठाता**—नहीं बढ़ाया, मेरी मर्जी।

**श्री कमल कुमारी गोईदी**—अच्छा।

तो मैं यह निवेदन करना चाहती हूँ और यह कह कर अपना भाषण समाप्त करती हूँ कि साधारणतया तो सरप्लस बजट अच्छा होता है, परन्तु अण्डर-फैड कन्ट्रीज के लिये डैफीसिट बजट भी अच्छा होता है। हमारा बजट सरप्लस, डैफीसिट और बैलैंस्ड तीनों है। surplus इसलिए कि सारे खर्चे निकाल कर हमने ४·२० करोड़ रुपये development के कार्यों के लिये भी निकाल लिया। deficit इसलिये कि हमारी आमदनी से ८·५० करोड़ रु० का खर्चा तथा balanced इसलिये कि अब जो बजट में कमी है वह हमारी सरकार अपनी नीति को tighten करके पूरा करने की आशा रखती है। केवल देखना यह होगा कि जो रुपया हम ऋण आदि द्वारा लेते हैं वे ऐसे development या investment में लगे कि जो सूद सहित वापस आ जाय।

दूसरी बात यह है कि यह बजट जनप्रिय है या नहीं। इसको समझना होगा। यकायक हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह इसके जनप्रिय हैं क्योंकि अगर यह बजट जनप्रिय तो हो इससे जिन लोगों का हित होता है बे कम से कम सहयोग दें, जैसे कि नहरों और कुओं के बनाने आदि में उनका सहयोग होना चाहिये था। लेकिन देखते यह हैं कि ऐसे कामों में भी जनता का सहयोग नहीं मिलता है। लेकिन इसका कारण यह है कि उन लोगों का दृष्टिकोण केवल इस तरफ है कि सरकार को वह काम करना ही चाहिये। वह सरकार का ही कर्तव्य है। सरकार को इसके प्रति सजग होना चाहिये। सरकार को गांव में खादी को आधार मान कर उद्योग धंधों को बढ़ावा देना चाहिये। इन शब्दों को कह कर मैं बजट का फिर से समर्थन करती हूँ और मान्यवर से कहती हूँ कि इस चीज की ओर ध्यान दिया जाय।

२४-३-६१

---

मैं श्री पद्माकरलाल जी के संशोधन के विरोध में खड़ी हुई हूँ। लेकिन मैं माननीय प्रतापसिंह जी को पहले विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि किसी भी पार्टी पालिटिक्स को सामने न रखकर केवल शिक्षा के ही स्तर को सामने रखकर मैं अपना सुझाव आपके सामने रखना चाहती हूँ। बात यह है कि यह जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर वाइस-चांसलर हो, का संशोधन विचारणीय है, यह ठीक है। लेकिन इसमें भी एक बात स्पष्ट मान ली गई है कि जो मौजूदा तरीका चुनाव का है वह गलत है। इस सुझाव के देने का मतलब ही यह है कि मौजूदा तरीका गलत है। लेकिन दो चीजें अपने सामने अगर माननीय सदस्य और रख लें तो शायद स्पष्ट हो जायगा कि हमारा क्या विचार है? एक यह कि जो चीज इस धारा में हम ला रहे हैं उसके आधार पर सीनियर मोस्ट को कहीं रोका नहीं गया है और न ही कहीं ऐसा है कि वह जो तीन आदमियों की कमेटी बनेगी वह सीनियर-मोस्ट को नहीं लेगी। उनकी च्वाइस पर है कि जब वह चाहें उसको रख लें, जब चाहें न रखें, जैसी भी परिस्थिति हो, उसके अनुसार वह करेंगे। दूसरी चीज यह है कि वाइस-चांसलर का एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव जाब है। कभी-कभी ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है कि हमारी यूनिवर्सिटी के अलावा बाहर बहुत ही योग्य आदमी मिलता हो, जैसे कि आचार्य नरेन्द्रदेव जी, वे लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर रहे, श्री राधाकृष्णन् जी बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के रहे, तो कोई परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि वहां के सीनियर मोस्ट प्रोफेसर से बहुत ही उच्च स्तर का व्यक्ति बाहर मिल सकता हो, और यह सौभाग्य होता है उस समय के विद्यार्थियों का, उनको यह गौरव होता है कि वह ऐसे व्यक्ति के नीचे रहकर अपनी शिक्षा-दीक्षा पायें। अगर हम इस संशोधन को मान लेते हैं तो उस समय के विद्यार्थियों को ऐसे उच्च स्तर के व्यक्ति की संरक्षना में शिक्षा दीक्षा पाने से तथा उस शिक्षा से जो लाभ देश को आगे ले जाने में हो सकता है उससे देश को वंचित करते हैं।

एक तो चीज यह है और दूसरी यह है कि ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है कि कभी-कभी जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर है वह बड़ा ही काबिल और योग्य व्यक्ति है। पढ़ाता भी अच्छा है, लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेटर अच्छा नहीं है। दूसरी ओर ऐसा भी हो सकता है कि Senior most professor से केवल दो चार घन्टे बाद join किया हुआ professer, प्राध्यापक भी अच्छा हो और administrator

भी अच्छा हो। तो उस परिस्थिति को भी सामने रखते हुये हम ऐसा करें कि ऐसे व्यक्तियों को भी चांस मिल सके। मौजूदा सिस्टम में जो भी व्यावहारिक केस आये उन्हीं के कारण यह बिल यहां लाना पड़ा।

माननीय नवलकिशोर जी के प्रस्ताव को भी मैंने बड़े गौर से देखा और चूंकि मैं भी बहुत हद तक उससे सहमत थी, फिर भी उसके ऊपर सोचने के बाद एक चीज समझ में यह नहीं आई कि अगर यह परिस्थिति हो जाय किसी वक्त कि एग्जीक्यूटिव इसका फैसला न कर पाये कि यूनानिमस हो या न हो तो उस समय क्या परिस्थिति होगी और कितने समय तक वाइस-चांसलर का चुनाव रोका जा सकेगा? इसलिये मैं यह अवश्य सोचती हूँ कि इन सारी परिस्थितियों को देखते हुये जो यह उपस्थित संशोधन हैं उनको हम स्वीकार न करते हुये और गम्भीरता से देखते हुये अपने प्रस्तावित संशोधन को जिसमें एक बोर्ड स्थापित की गई है जिसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी का सदस्य भी, चांसलर का नुमायन्दा भी और जज की तरफ से भी रखा गया, उसको इस्तेमाल करके देखें। अगर इसमें हम लोग सफल हों तो आगे के लिये सड़क साफ है। और अगर सफल नहीं हों तो फिर यह सदन है ही।

२०-३-१९६१

---

मान्यवर, मैं श्री चन्द्रजीत यादव द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकती क्योंकि यदि एक रुपया कुल बजट में रह गया तो यह चलती हुई सारी ही गाड़ी रुक जायगी। मैं माननीय मंत्री जी को ऐसा सुझाव कभी नहीं दे सकती।

माननीय गोविन्दसहाय ने मेरा काम बहुत हलका कर दिया। जो कुछ मैं कहना चाहती थी, बहुत कुछ उन्होंने कह दिया। इसलिये उनको मैं धन्यवाद देती हूँ।

अब मैं उपस्थित माँग का समर्थन करती हूँ। यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि शिक्षा में उन्नति नहीं हुई, तो भी कुछ उन्नति तो हुई है और हो रही है। इतना धन खर्च करते हुए तथ्य यह है कि १० फीसदी लिटरेसी से १७ फीसदी अब कुल हुई है। और इतने वर्षों में ७ फीसदी अपनी लिटरेसी आगे बढ़ा सके तो जरा अन्दाजा लगाया जाय कि कितने गुना बजट हमको चाहिये जिससे हम यहाँ ८० फीसदी या शतप्रतिशत लिटरेसी ला सकें। और उस पर तुर्रा यह कि यह कुल बजट का १३ प्रतिशत है लेकिन शिक्षा का बजट जो आपने यहाँ प्रस्तुत किया है उसमें हमारा हिस्सा केवल १० प्रतिशत ही रखा है। कहा यह जाता है कि बहनों की जनसंख्या ५० प्रतिशत है तथा वे पिछड़ी हुई भी हैं, लेकिन उनके लिये बजट में रखा जाता है १० प्रतिशत। लेकिन मैं आभारी हूँ कि आपने ग्रामीण जनता की तरफ ध्यान देकर देहात में शिक्षा देने वाली अध्यापिकाओं के लिये होस्टल खोलने का प्रयत्न किया है। इसमें भी संदेह नहीं है कि पाठशालाओं में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अध्यापिकाओं की संख्याओं में वृद्धि हुई है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि जिस तरफ हम अपने बच्चों को ले जाना चाहते थे, उनको नहीं ले जा सके हैं। हमारी शिक्षा का उद्देश्य यह था कि हमारे बच्चे चरित्रवान बनें, बुद्धिमान बनें, बलशाली बनें और आत्मविश्वासी बनें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाये।

हमारी दो प्रकार की शिक्षा है—(१) साधारण और (२) टेक्निकल। टेक्निकल शिक्षा की हालत यह है कि बच्चों को जब यह शिक्षा दी जाती है तो बड़ी-बड़ी मशीनों पर दी जाती है। मान्यवर, जब वे बाहर निकलते हैं तो छोटी पूंजीवाले होने के कारण वे बड़ी मशीन नहीं खरीद सकते, इसलिये अपने को काम करने के अयोग्य पाते हैं। अतः वे नौकरी की तलाश में द्वार-द्वार घूमना शुरू कर देते हैं। इसलिये

मौजूदा सरकार से मेरा निवेदन है कि वह छोटे-छोटे औजारों पर काम सिखाये जिससे वह थोड़ी पूँजी लगाकर अपना काम कर सकें। आज हालत यह है कि मोटर मिकेनिक सरकार द्वारा सिखाया हुआ आपको ४० रुपये में मिल जायगा जब कि साधारण इधर उधर से सीखा हुआ लुहार और बढ़ई, राजगीर ३-३, ४-४ रुपया रोज से कम नहीं लेता है। इस दृष्टि से छोटी-छोटी मशीनों पर एजूकेशन देने पर ध्यान दिया जाय।

दूसरी चीज यह है कि बड़ी-बड़ी टेक्निकल एजूकेशन देने की भी आवश्यकता है क्योंकि बड़े-बड़े कामों के लिये भी हमें इंजीनियरों की आवश्यकता है। मैं इसमें भी एक सुझाव देना चाहती हूँ। देश की गरीबी को देखते हुए और देश की आवश्यकता को देखते हुए यह आवश्यक है कि बिड़ला और टाटा जिन लोगों के बड़े-बड़े कारखाने हैं, उनसे कहा जाय कि अपनी फैक्टरियों के नजदीक बड़े-बड़े इस प्रकार के कालेजेज खोलें और विद्यार्थियों को शिक्षा दें। इससे दो लाभ होंगे। एक तो वे अपने इंजीनियरों से उनको शिक्षा दिला लेंगे और उनको उसके लिये अधिक खर्च भी न करना पड़ेगा। इसका दूसरा लाभ यह भी होगा कि जो बच्चे वहाँ पढ़ने जायेंगे उनको कारखानों में प्रैक्टिकल शिक्षा मिल सकेगी और उनका जो अनुभव होगा वह बहुत अच्छा होगा।

इसके बाद साधारण शिक्षा की ओर भी मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ। उसके लिये जितना बजट सरकार ने मांगा है वह कम ही है। ठीक है, ज्यादा होना चाहिये। लेकिन हमारा देश गरीब है इसलिये जरूरत इस बात की है कि प्राइमरी स्तर की शिक्षा और सेकेंडरी स्तर की शिक्षा के लिये एक कमेटी बनायी जाय जो बड़ी गम्भीरता से इस ढंग की शिक्षा के लिये प्रबन्ध करे जिससे अधिक लाभ लोगों को, कम से कम धन का बोझा सरकार पर डाले बिना पहुँचा सके। इन कर्मचारी वर्ग की समझ में, जो कान्वेन्ट स्कूलों में पढ़े हैं, हमारी रूपरेखा तो आ नहीं सकती। इसमें उनका कोई दोष नहीं है, उनकी मनोवृत्ति की वजह से इस तरह की चीजें हैं। शिक्षा का ढंग बिलकुल गलत है। दान का स्रोत खत्म हो रहा है। अगर हम शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं तो हमको चाहिये कि प्राइवेट शिक्षा को इनकरेज करें। अगर कोई गरीब चपरासी है, मिलों के मजदूर तथा अन्य मजदूर आदि या और भी कोई सरकारी नौकर है जो नौकरी करते हुए भी, प्राइवेट शिक्षा के जरिये आगे को बढ़ना चाहता है तो उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये। चपरासी को भी इस बात का हक है कि प्राइवेट शिक्षा के जरिये वह अपने स्तर को ऊँचा कर सके। अगर कोई अपने छोटे पद से इम्तहान पास करके आगे बढ़ सकता है तो उसके रास्ते में कोई

रोड़ा नहीं अटकाना चाहिये। अगर आपको लिटरेसी बढ़ानी है तो आपको इसके लिये लोगों को उत्साहित करना चाहिये।

इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि जब तक हम प्रजातंत्र को मानते हैं और लोगों को मुफ्त शिक्षा नहीं दे सकते तब तक फीस ग्रेडेड होनी चाहिये। ग्रेडेड फीस होने का तात्पर्य यह है कि जिनकी आमदनी १०० रु० हो उनके बच्चे से जूनियर हाई स्कूल तक कोई फीस न ली जाय। गरीब तथा योग्य बच्चों की तो हाई स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक भी फीस नहीं लगनी चाहिये। १०० रु० से लेकर ३०० रु० की आमदनी वालों को पूरी फीस लगे, और ३०० रु० से ५०० रु० की आमदनी वालों पर डबल फीस लगे और ५०० रु० से ऊपर की आमदनी वालों से तिगुनी फीस ली जाय, इसलिये कि गरीबों के ऊपर फीस का कोई भार न पड़े और सरकार पर भी अधिक बोझ न पड़े।

खादी को शिक्षा का आधार माना जाय और स्थानीय क्राफ्ट को भी स्थान देकर शिक्षा संस्थाएँ चलाई जायँ। अगर चर्खे का प्रबन्ध सब स्कूलों में अनिवार्य रूप से कर दिया जाय जहाँ बच्चे एक घंटा रोज सूत काता करें तो उससे भी काफी आमदनी हो सकती है। ४० विद्यार्थियों के ऊपर एक अध्यापक हो और एक घंटा वे चर्खा चलावें और गैरहाजिरी भी निकाल दी जाय तथा दो पैसे रोजाना के हिसाब से भी जोड़ें तो ३० रु० माहवार की उत्पत्ति एक कक्षा में दर्जा दो के ऊपर होने की आशा की जा सकती है। एक घन्टा स्थानीय क्राफ्ट हो तो इस तरह से हम अपने गरीब देश और प्रदेश को आगे की सीमा तक ले जा सकते हैं। अध्यापकों के लिये भी यह एक सहायक चीज हो सकती है वरना वे छटपटा कर रह जाते हैं। हर ग्रामीण अध्यापिका बुनकर हो, पाठशालायें विकास केन्द्र हों। इसलिये उनके लिये कोई काम होना चाहिये।

दूसरी बात यह कहनी है कि अगर यह कर दिया जाय कि भेदभाव मिटाने के लिये एक यूनिफार्म ऊपर से नीचे तक के सभी स्कूल कालेजों के छात्रों के लिये कर दी जाय, पैरेन्ट्स को समय दिया जाय कि वह इतने समय में सुभीते से इस तरह की मोटे से मोटे खद्दर की सस्ती यूनिफार्म अपने बच्चों के लिये तैयार करा लें ताकि जो हमारे प्रदेश में गरीब और मध्यवर्ती पैरेन्ट्स हैं वे भी अपने बच्चों के लिये यूनिफार्म की सुविधा कर सकें। आज होता यह है कि एक तरफ तो बड़े आदमी का लड़का सौ रुपया का सूट पहन कर आता है और उसको देखकर मिडिल क्लास के पेरेन्ट्स का बच्चा भी कहता है कि मुझे भी ऐसा ही सूट बना दिया जाय। तो उसके दिल पर बुरा असर पड़ता है। इसलिये यह अच्छा हो कि सबकी ड्रेस एक-सी हो। इससे एक

समदृष्टि बनेगी और लोगों में एक प्रकार की प्रेरणा पैदा होगी और मध्यवर्ती पेरेन्ट्स के ऊपर खर्चा भी कम हो जायेगा।

एक बात और मुझे कहनी है और वह यह है कि गाँवों में दो प्रकार की शिक्षा संस्थायें हों। एक तो उन बच्चों के लिये हों जिन बच्चों को हम स्कूल भेज सकते हैं यानी उन बच्चों के लिये जिनके पेरेन्टस अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन वहां बहुत संख्या उन बच्चों की भी है कि जिनके मां-बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते क्योंकि उनके लिये उनको अपने घर के और खेती के. कामों में लगाना जरूरी है। अक्सर यह होता है कि गरीब गाँव के लोग अपने बच्चों को गाय-भैंस चराने, या खेत रखाने, छोटे बहिन-भाइयों की देख-रेख को छोड़ देते हैं और अगर उनको स्कूल भेज दें तो उनका काम नहीं चल सकता। मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे बच्चों की तरफ ध्यान दिया जाय और १२ बजे से २ बजे तक पढ़ाने के लिये ऐसे बच्चों के लिये कुछ शिक्षकों को थोड़ा एलाउन्स देकर व्यवस्था कर दें ताकि उनकी भी शिक्षा हो सके। अगर इस तरह से यूनिवर्सल एजूकेशन सबके लिये हो जायगी तो फिर यह न होगा कि स्कूलों में झूठा नाम लिखा कर लोग अपने बच्चों को न भेजें और कागज पर ही नाम लिखा रहे। इससे उनकी सहायता भी हो जायगी और बच्चों के लिये शिक्षा का भी प्रबन्ध हो जायगा और वह आसानी से केवल १२ बजे और २ बजे के बीच में थोड़ी शिक्षा पा सकेंगे।

प्रौढ़ शिक्षा की भी अभी हमारे यहाँ बहुत आवश्यकता है। यदि हमारे यहाँ जो बड़ी उम्र के स्त्री-पुरुष हैं वे भी पढ़-लिख जांय तो बहुत उत्तम है। इसके लिये मेरा सुझाव है कि जो लड़के हाई स्कूल, इन्टर, बी० ए० और एम० ए० की परीक्षा देते हैं वह अधिकतर ३ महीने तक अपनी छुट्टियों में घूमते रहते हैं और उनमें से बहुत से लोग देहात से आते हैं। यह कर दिया जाय कि उनकी परीक्षा की डिग्री तभी दी जाय जब वह छुट्टियों में प्रौढ़ों को पढ़ाने का काम कर चुकें। कर्मचारी वर्ग कह सकता है कि यह चीज व्यावहारिक नहीं है क्योंकि उन पर प्रतिबन्ध लगाना बड़ा कठिन है। मैं समझती हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आज हमारे देश के विद्यार्थियों में देश के लिये इतना त्याग और प्रेम होना चाहिये कि वह समझें कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, उसके हर नागरिक को योग्य बनाना है। देश के निर्माण के लिये ऐसा क्रान्तिकारी कदम उठाने के लिये हर विद्यार्थी के मन में एक झलक होनी चाहिये, हर एक को समझना होगा कि हमारा यह देश है और हमें इसका निर्माण करना है और उसकी उन्नति में जैसे भी हो, योग देना है। उसको जाग्रत बनाने में हमारा भी हिस्सा है। अगर इस तरह से हम अपने देश के लिये

अच्छे चरित्र का परिचय देंगे तो हमारे देश के सभी लोगों का चरित्र खुद बखुद ऊपर उठेगा। हमें जिस राष्ट्र ने पैदा किया है, जिसमें हमारी शिक्षा-दीक्षा हुई है उस राष्ट्र के प्रति मैं द्रोह करता हूँ अगर उसका पैसा और टाइम बर्बाद करूँ। यूनीवर्सिटी एजूकेशन के अन्दर भी ग्रेडेड फीस होनी चाहिये। यह न हो कि गरीब आदमी के बच्चों को भी उतना ही देना पड़े जितना कि अमीर आदमी के बच्चों को, १०० रुपया पाने वाले को भी उतना ही देना पड़े जितना कि ५०० रुपया पाने वाले को। इस तरह से गरीब देश आगे बढ़ पाएगा।

बहनों की शिक्षा की हालत को देख लीजिये। वह बहुत शोचनीय है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनता में से कुल १,५०० लड़कियां जूनियर हाई स्कूल में बैठी हैं। मंत्री जी ने बार-बार कहा कि हम बहनों की शिक्षा को बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन उसका तरीका क्या होगा? आज थोड़ी-बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां शादी होकर गाँवों में जा रही हैं। तो यह मालूम किया जाय कि किस-किस गाँव में पढ़ी-लिखी बहनें हैं और उन्हीं के सुपुर्द या उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देकर वह कार्य कराया जाय और उन्हें प्रोत्साहन दिया जाय ताकि वह गाँवों को अपना समझें और लड़कियों को आगे बढ़ाएँ। इस प्रकार से देश के निर्माण में सहयोग हो सकेगा। एक ही क्षेत्र एक्सपेरीमेंट के लिये ले लीजिये। मैं समझती हूँ कि ६ महीने के अन्दर या एक साल के अन्दर ही लोगों के अन्दर एक लहर दौड़ जायगी।

अन्त में मुझे यह कहना है कि जो अनएम्प्लायमेंट का मूल है इसको अगर दूर करना है, जैसा कि सबका इरादा है, तो आरम्भ से ही बच्चों के सामने निर्माण का उद्देश्य रखिये। उस निर्माण की भावना को पैदा करके ही हम आगे चल सकते हैं। माननीय मंत्री जी को मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में खोलने के लिये धन्यवाद देती हुई मैं फिर से इस बजट का समर्थन करती हूँ। मुझे आशा है कि एक कमेटी बना कर पूरी तरह से इसके ऊपर गौर करके हमारे शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाया जायगा जिससे चरित्रवान और बलशाली लोग पैदा हो सकें।

१-४-१९६१

---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उपस्थित मदों का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूँ। इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि १०-१२ वर्षों में काफी संख्या में हमारे यहाँ अस्पताल बढ़े हैं और कई प्रकार की सुविधायें एलोपैथिक, यूनानी और आयुर्वेदिक हर प्रकार के अस्पतालों में बढ़ी है। डाक्टरों में, साथ-साथ, ड्यूटी कान्शसनेस (consciousness) की भावना भी बढ़ी है। माननीय रामायण राय जी ने कहा कि वहाँ इतनी भीड़ रहती है कि लोगों का वेटिंग लिस्ट में नाम महीनों तक लगा रहता है। उनके भाषण के बारे में अगर मैं थोड़े में बताऊँ तो यही कह सकती हूँ कि इस वक्त प्रस्ताव बढ़ोत्तरी का आना चाहिये, न कि कटौती का, उसमें कमी करने का, क्योंकि डाक्टरों को बढ़ाने के लिये, अधिक दवाइयों का प्रबन्ध करने के लिये, मरीजों को अधिक सुविधा पहुँचाने के लिये, पैसे की अधिक जरूरत होती है। तो उसमें कमी करने की बात उनकी मेरी समझ में नहीं आयी। मैं निजी तौर पर आपके प्रस्ताव का शायद समर्थन कर देती अगर आपने यह सुझाव दिया होता कि ६ करोड़ रुपये को जो आप स्वास्थ्य विभाग के लिए दे रहे हैं, उसको देने के बजाय सारे अस्पताल बन्द कर दिये जायं और यह कहा जाय कि चूँकि हमारा देश गरीब है, इस ६ करोड़ रुपये को गरीब जनता में गाँव में गाय और भैंस आदि रखने के निमित्त दे दिया जाय ताकि जो लोग अस्पतालों में स्वास्थ्य लाभ नहीं प्राप्त कर सकते, वे अधिक घी और दूध-दही खाकर तन्दुरुस्त हो जायं। अगर ऐसी बात वे कहते तो मेरी समझ में आ सकती थी, किन्तु उस धनराशि को घटाकर एक रुपया कर दिया जाय, यह बात मेरे अन्दर धंसती नहीं।

इसके साथ ही एक बात मैं और माननीय मंत्री जी से, आज की मौजूदा कठिनाइयों को देखते हुए तथा जनता की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए, कहूँगी और कुछ सुझाव रखूँगी। मान्यवर, यह जो मौजदा सिस्टम है, यह अभी तक अंग्रेजी ढांचे के ऊपर चला आ रहा है। मुझे इस बात को कहते हुए जरा भी संदेह नहीं है कि आज एक्सपर्ट डाक्टरों की आवश्यकता है, बहुत से स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता है तथा और बहुत से साधनों की आवश्यकता है जिन्हें मुहइया करना चाहिए। आज देखने में यह आता है कि दूर गाँव का रहने वाला रोगी अव्वल तो हिम्मत नहीं कर पाता कि वह किसी हास्पिटल में जाय और अगर वह मरते मराते अन्तिम समय किसी हास्पिटल में पहुँच भी जाता है तो उसकी वहां पर भर्ती नहीं हो पाती, इतनी भीड़

रहती है कि उसे वह सुविधा नहीं मिल पाती। और उसको देख भी लिया जाय तो डाक्टर उसको दवा मुफ्त देने की जगह पर २०-३०-४० रुपये का नुस्खा लिखकर दे देता है। उस गरीब की तो पहले ही कमर टूटी हुई थी, वह उस दवाई को खरीदने से मजबूर है, खरीद नहीं सकता है।

मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूँ कि हमारे मौजूदा ढांचे में जितना ही कोई व्यक्ति ऊपर के दर्जे का हो उसको उतनी ही फ्री मेडिकल सर्विसेज तथा दवायें मिल जाती हैं। सबसे बड़ा अफसर हो, या मिनिस्टर हो तो उसको और उसके बच्चों को फ्री मेडिकल एड हास्पिटल में मिल जायगी, रहने के लिए फ्री एकोमोडेशन मिल जायगी और दवा भी फ्री मिल जायगी। लेकिन अगर वह एम० एल० ए० हो जाय तो उसको अपने बच्चे का सारा खर्चा खुद ही देना पड़ेगा, यानी अगर वह मिनिस्टर से एम० एल० ए० हो जाता है तो उसकी दशा पलट जाती है। इसी तरह नीचे के स्तर पर चले जाइये तो यह साफ हो जाता है कि जो बड़े-बड़े डाक्टर हैं उनको बड़े-बड़े अफसरान की छोटी-छोटी बीमारियों से ही फुर्सत नहीं है। अगर वह छोटी-छोटी बीमारियों पर अधिक समय देने के बजाय थोड़ा समय गरीबों के लिए भी दें जिससे आने वाली गरीब जनता को, दूर से निस्सहाय आयी हुई जनता को भी राहत मिल सके, तो ज्यादा उचित होगा। जब वह गरीब रुपया देकर दवाई नहीं ले सकते निराश हो कर और अपने संबंधी से हाथ धोकर लौट जाने के सिवाय और कुछ कर नहीं सकते।

मान्यवर, निहायत नम्रता से कह दूं कि अगर यह गाइडेंस की बात कही जाय तो वह तो अमीर देशों के लिये होता है कि केवल गाइडेंस मिलेगा। लेकिन इतने गरीब देश के लिए खाली गाइडेंस लाभदायक नहीं है। इंगलैन्ड में ऐसा हो सकता है, क्योंकि वहां तो अपनी पाकेट से वह खर्च कर सकते हैं। हमारे यहाँ गाइडेंस के साथ उसको उतनी सुविधा भी चाहिये, और माफ कीजियेगा, अगर गाइडेंस की ही बात है और हास्पिटल तक पहुँचाने की बात है तो हमारा मरीज जो इतनी दूर से आया हुआ है, वह प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के पास से गाइडेंस ले लेगा, वहां भी फ्री मिलती है, कोई हास्पिटल में ही खास बात नहीं है कि वहाँ फ्री मिल जायगी।

मान्यवर, इन चीजों को सामने रखते हुए मैं ४-५ सुझाव माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि वह पूरे ध्यान से उनकी तरफ गौर कर के उनको अपने यहां लाने की कोशिश करेंगे। एक तो यह कि अगर गांवों की हर पंचायत के पीछे ऐसा हो जाय कि वहाँ पर जो अध्यापक हों, जो पंचायत सेक्रेटरी हों, उनको फिनाइल, डी० डी० टी०, पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरे प्रिवेंटिव्ज, जैसे

कुनैन, हरड़, बहेड़ा, गन्धक आदि जो प्रयोग में आते हों वह रखवा दिये जांय और गरीब जनता को वहीं के वहीं यह साधारण सुविधा पहुँच जाय। मैं जानती हूँ कि वहाँ कुछ प्रबन्ध किया जाता है, लेकिन वह कहाँ तक पर्याप्त है उसको मंत्री जी खुद ही जांच करवा लें।

दूसरी बात यह है कि अगर हम गरीब के द्वारे तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो इस संबंध में ऐसा हो सकता है कि हर अदालती पंचायत के पीछे—ये पंचायतें खर्चा खुद उठा लेंगी—एक मेडिकल आउट पोस्ट बन जाय। उसके अन्तर्गत थोड़ी सी दवाइयां रख दी जांय जिसमें डाक्टर पीरियाडिकली जाकर, वीकली, या फोर्टनाइटली उसका प्रबन्ध करके वहां पर उसकी देख-भाल करे। और साथ में तीसरे यह भी है कि इन्हीं पंचायती अदालतों के अन्तर्गत एक इनफेक्शस डिजीजेज ( infectious diseases ) के लिये शेड्स बन जांय। जैसे टी० बी० आदि मरीजों के लिये। जैसा रामायणराय जी ने अभी कहा कि हम इन लोगों को बेड नहीं दिलवा सकते, ठीक है। एक बेड का लगभग २० हजार खर्चा आता है तो फिर हम कितने लोगों का बेड दिलवा सकते हैं और कितने हमारे यहाँ मरीज हैं उनकी संख्या का अन्दाज लगाइये तो फिर लोगों को मारे मारे फिरना पड़ेगा। जब इतना धन नहीं है तो फिर क्या किया जा सकता है ?

(इस समय १ बजे अधिष्ठाता श्री वीरसेन, पीठासीन हुये।)

इसलिये मेरा सुझाव है कि हर पंचायत अदालत में एक ऐसा शेड बना दिया जाय जहाँ लोग अपने को कम से कम सेग्रीगेट तो कर लें और साथ ही उनके घर वाले उनकी देख रेख कर सकें और पीरियाडिकली जब वहाँ डाक्टर देखने के लिये जायं तो उनको देखकर थोड़ी सी सुविधा पहुँचा दें। यह बहुत आवश्यक है क्योंकि चार-चार साल प्रयत्न करने के बाद एक आध आदमियों को हम बेड दिलवा पाते हैं। अस्पताल वाले भी मजबूर हैं, विवश हैं, उनके यहाँ वेटिंग लिस्ट चलती है।

जहाँ तक बहनों की दुदर्शा का हाल है उसके लिये मैं कहाँ तक कहूँ। लेडी डाक्टर गाँवों में पहुँच नहीं पाती हैं, गांव में जाकर वह रह नहीं सकती हैं इसलिये वहाँ की बहनों को बहुत असुविधा होती है। इस सिलसिले में मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि गांवों में जो लोकल दाइयां काम करती हैं अपने अपने देहाती हथियारों के साथ उनको १०-१५ दिन की ट्रेनिंग देकर एक बाक्स दे दिया जाय ताकि साधारण मरीजों के वह काम आ सकें और उनकी कठिनाइयां वहीं हल हो जांय। ऐसा हो जाने पर गांव के लोग भी समझेंगे कि नवीन युग यहां भी आ गया है।

इसके बाद मुझे डाक्टरों की तबदीली के बारे में कुछ कहना है। डाक्टरों की तबदीली छोटे बड़े सेन्टर्स पर रोटेशन के आधार पर होनी चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि एक नया सीखा हुआ एम० बी० बी० एस०, एम० एस० डाक्टर "ए" क्लास सेन्टर में रख दिया जाय ब मुकाबले उस डाक्टर के जिसका पांच-दस साल का तजुर्बा हो . . . .

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, कुछ टाइम और दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—अभी दो मिनट आपका टाइम है।

कुमारी कमलकुमारी गोइंदो—मान्यवर, साथ ही मैं अपने क्षेत्र की ओर भी ध्यान दिलाना चाहती हूँ। नैनी इन्डस्ट्रियल कालोनी में एक हास्पिटल हो जाना चाहिये जिसमें सरकार को कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। फैक्टरी ओनर्स को फैक्टरी ऐक्ट के मातहत डाक्टर रखने होते हैं लेकिन मौजूदा हालत में वह इवेड कर जाते हैं और उस पैसे को बचा लेते हैं। इसलिये वहां पर अगर नान-रेकरिंग धन एकत्रित कर दिया जाय तो उतने ही धन में लोगों को अस्पताल की सुविधा उपलब्ध हो जायगी जिससे वहां की जनता को बहुत बड़ी सुविधा हो जायगी।

इसके अलावा मान्यवर, करछना में एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का पुराना हास्पिटल है जहाँ दस-बारह वर्षों से कोई सुविधा नहीं पहुँची। इस अस्पताल में तीन महीने से कोई कम्पाउन्डर नहीं है। वहाँ पर पूरी तहसील में कोई दूसरा अस्पताल नहीं है। उस अस्पताल का डाक्टर अकेले बुरी तरह से परेशान है, लेकिन बावजूद चेतावनी देने और लिखा-पढ़ी के भी, कोई कम्पाउन्डर अभी तक नहीं पहुँच सका है।

मान्यवर, एक चीज और है। वहां पर एक करछना ब्लाक है जिसमें चार साल से हेल्थ विजिटर की पोस्ट सैंकशन्ड है, लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुँचा।

इसके अलावा, मान्यवर, कुछ फैमिली प्लानिंग के बारे में भी कहना चाहती हूँ। फैमिली प्लानिंग का मौजूदा तरीका किसी प्रकार से भी लाभकारी नहीं है। इससे जनसंख्या में कोई कमी नहीं हुई। अगर धार्मिक दृष्टि से कोई प्रचार पवित्रता का करा दें जिनमें भिक्षु और भिक्षुणियां सहायक हो सकते हैं, तो इस अधिक आबादी के पशु जीवन से ऊँचा उठाने की कोशिश हो सकेगी। इस पर जो पैसा खर्च होता है यदि उसे दवाइयों पर खर्च करें तो मैं माननीय मंत्री जी की बहुत कृतज्ञ हूँ कि इससे हमारी दवाइयों की समस्या किसी हद तक हल हो सकती है। यह जो शिकायत की जाती है कि दवाइयों पर कम रुपया खर्चा किया जाता है इसे भी हम दूर करने में सफल हो सकेंगे। मौजूदा फैमिली प्लानिंग की भावना से जनता के साथ न्याय नहीं होता, अन्याय होता है। जो तरीका मैंने बतलाया है अगर सरकार उस पर चले तो अस्वस्थ बच्चों की जगह ब्रह्मचारी और स्वस्थ बच्चे अपने लिए खुद ब खुद खाने के साधन निकाल लेंगे।

१०-४-१९६१

---

मैं आज के अनुदान का समर्थन करती हूँ और यह तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है। इसलिये इसका विशेष महत्व है। मैं इस इरादे से कल सदन में बैठी थी कि सामने वाले भाइयों से नुक्ताचीनी के साथ मैं सुझाव भी पाऊँगी जिससे आयन्दा सालों में हम अपने कार्यक्रम को सुचारुरूप से चला सकें, पर मुझे निराशा ही हुई। सामने वाले भाइयों से योजना का विरोध मिला और कहीं-कहीं पर निजी शिकायतें भी सुनने को मिलीं। इसके लिये मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने हमारा ध्यान इस तरफ दिलाया।

हम तो खुद इस बात को मानते हैं कि हमने उतनी उन्नति तो नहीं की जितनी होनी चाहिये थी। लेकिन नीयत यह थी कि गाँव उठ सकें। मैं गेन्दासिंह जी को बतला दूँ कि पानी पीने के कुवें, खेती की सिंचाई के लिये कुवें, और एक गाँव से दूसरे गाँव जाने के लिये छोटे-छोटे रास्ते जो बने, जो बीज खेती के लिये वितरण किया गया, जो पशु चिकित्सालयों का इन्तजाम किया गया या जो भी छोटी-छोटी योजनायें घरों के लिये बनायी गयीं, क्या वे जनहित के लिये नहीं थीं। आशा यही की जाती थी कि वे जनहित के लिये ही हैं और सामने वाले भाई भी इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं कि जनहित के लिये ही इन सारी चीजों का प्रबन्ध किया गया था।

दूसरी चीज यह हुई कि इस योजना के सम्बन्ध में जाग्रति भी फैलायी गयी और यह कर्मचारियों का एक सराहनीय कार्य है कि लोग अपने कामों को जानने लगे, उनके प्रति शिकायत करने लगे।

यह सब होते हुए भी हमको अपनी वास्तविक हलात की ओर से आँख बन्द नहीं करनी होगी। उसको हमेशा अपने सामने रखना होगा। १० वर्ष के अन्दर आज हमारी वास्तविक परिस्थिति क्या है इसे हमें देखना होगा? सन् ५०-५१ में हमारी पर कैपिटा इनकम गांव की २१०.६ वार्षिक थी और अब १९६२—६१ में हमारी पर कैपिटा इनकम १९१.० है और साथ ही यह चीज भी हम याद रखें कि हमारे रुपये की कीमत २० परसेन्ट कम हो गयी है। इसका अर्थ यह होता है कि अगर २० परसेन्ट रुपये की कीमत कम हुई तो ३८ रुपये १९१ में से और निकाल दें, यानी इस समय १५३ रुपये पर कैपिटा हमारी इनकम रही। अगर हम १९१ रुपये भी अपनी पर कैपिटा इन्कम मान लें तो भी यह औसतन आय है। औसतन आय के अन्तर्गत केवल ८

आने प्रति दिन प्रति व्यक्ति पड़ता है और इस औसतन आय में २ आने प्रति दिन वालों से लेकर १० रुपये या उससे ऊपर की इन्कम वाले भी शामिल होते है। इसका अर्थ हम जानते हैं कि इस देश के अन्दर कम से कम २० प्रतिशत ऐसी जनता है जिसकी २ आने, ढाई आने रोज की आमदनी है और यह सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हैं और ३० परसेन्ट जनता ऐसी है जिसकी आमदनी ५ आने रोज है। अब हमारा पहला चार्ज यह है कि जो सब से नीचे स्तर की जनता है उसको थोड़ा-सा भी ऊपर करना। देखना यह है कि इसका सुझाव कहाँ पर है कि इसको थोड़ा-सा आगे यानी ढाई आने के ३, ४, ५ आने रोज तक की आमदनी हम करवा सकेंगे। यह केवल एक ही तरह से हो सकता है। कि जन समूह के पास जो खाली समय है उसका हम सुचारुरूप से प्रबन्ध कर सकें, चाहें छोटे से छोटा कार्य हो उसमें हम दे पायें, इसी के ऊपर हमारी सफलता निर्भर करती है।

मान्यवर, मैं अपने इस प्रदेश के मैदानी, पहाड़ी तथा बुन्देलखंड के इलाकों की जानकारी की बिना पर जिस नतीजे पर पहुँची हूँ उसके बारे में मैं बहुत न कह कर पूज्य बापू के शब्द फिर से याद दिलवा देना चाहती हूँ। उनके शब्द हैं—

"If India's villages are to live and prosper the Charkha must become universal. Rural civilization is impossible without the Charkha and it implies the revival of village craft".

श्री अध्यक्ष—इसका हिन्दी में अनुवाद कर दीजिये क्योंकि बहुत से लोग समझे नहीं होंगे।

कुमारी कमल कुमारी गोईंदी—बहुत अच्छा। गांव की तरक्की, केवल चरखे के ऊपर और चरखे के साथ जो उद्योग जुड़े हुये हैं उनके ऊपर निर्भर है, यह बापू का निश्चित मत था उसके साथ must लगाया है। कहा जाता है कि सरकार का इस ओर ध्यान भी है और इस बजट में धनराशि भी रखी हुई है और यह मद देश के तपे तपाये रचनात्मक कार्यकर्ताओं के हाथ में भी है, उनकी नीयत पर भी शक नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी हमारी ऐसी परिस्थिति क्यों है इसको जरा गम्भीरता से सोचना चाहिये। आज ये उद्योग भी केन्द्रीयकरण होता चला जा रहा है इसका क्या कारण है। इस प्रोग्राम की असफलता की ओर हम लोगों को ध्यान देना होगा। पहली बात तो यह है कि सूत कातने के काम को फालतू समय का कार्य मानना चाहिये। जब दूसरा कोई कार्य मनुष्य के पास न हो उस समय का यह कार्य है। अगर हम गांव को खादी

की इकाई मान लें तो खादी बुनने, रंगने, और छापने, लोहार, बढ़ई, आदि के कार्य भी वहाँ पर होंगे। लेकिन मौजूना सिस्टम में क्या है कि कहीं कपास बोई जाय, कहीं ओटी जाय, कहीं पूनियां बनें, कहीं उसका सूत काता जाय, कहीं बुना जाय, कहीं रंगा जाय। यहाँ तक कि जब एक्चुअली यह कंज्यूमर के हाथ में, खरीदने वाले के हाथ में खादी पहुँचती है तो उसकी कीमत दुगनी हो गाती है। इसलिये इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि हमने क्यों इसको आम जनता की चीज बनाने से मुँह मोड़ा। इसका कारण यह है कि जब से खादी सरकार की चीज बनी तभी से प्राइवेट संस्थायें भी मजबूर हैं और वह भी अपना संबंध इसी के साथ जोड़ने में सफलता से चलने में मजबूर हैं। इसकी ऐसी परिस्थिति है।

मेरा सुझाव इतना ही है कि हम इस नीति को देखने से पहले यह देखें कि किस तरह से हम ब्लाक वाइज अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। कपास बोने से लेकर कपड़ा बुनने तथा छापने तक एक ही स्थान पर हो और वहीं पर इसकी लागत भी हो। केवल फालतू कपड़ा बाहर गांव से जाय। ( लाल बत्ती जलने पर ) मान्यवर, मुझे कुछ समय और दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—अभी बहुत से बोलने वाले हैं इसलिये दस मिनट से ज्यादा सयय नहीं दूँगा।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी---मान्यवर, बात यह है कि बी० डी० ओज समझ सकें कि एक हजार रुपया एक हजार व्यक्ति के पीछे प्रति माह बाहर चला जाता है। यदि उसको हम वहीं पर का रोक लें तो फिर हमारा काम सुचारु रूप से चल सकता है। परन्तु हमारे कर्मचारियों का दृष्टिकोण खादी वाला नहीं है।

दूसरी चीज यह है कि गांव वालों की बेहतरी के लिये हायर परचेज सिस्टम पर कोआपरेटिव के जरिये गांव वालों को गाय भैंस सरकार दे जिससे उनकी बेहतरी हो और गरीबी को हटाने के लिये और खुशहाली को लाने के लिये हम आगे बढ़ सकें। मान्यवर, इलाहाबाद में फूलपुर में एक बी० डी० ओ० जो मारा गया. वह मर गया। इसी तरह बनारस में दो ब्लाकों पर बी० डी० ओ० को मारा गया और उनकी जान खतरे में है और इसी तरह का कांड आजमगढ़ में हुआ। इसलिये मेरा सुझाव है कि उनके मकान ऊजड़ में बने हुये हैं वह बस्ती में सुरक्षित स्थान पर थाने के पास हों। दूसरे उनके मकानों की दीवार ठीक रूप से बनी हों। इसलिये मैं निवेदन करूँगी कि इन असुविधाओं को सरकार देखे। मुझे और बहुत सी बातें कहनी थीं।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

———

१५-४-६१

मैं आपकी कृतज्ञ हूँ, अध्यक्ष महोदय, कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का समय दिया। मैं इसके समर्थन के लिये खड़ी हुई हूँ। मैं माननीय सदस्यों की बातों का उत्तर न दे कर कुछ अपने विचार सदन के सम्मुख रखूंगी।

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर विषय है। सब लोग इस चीज को मानते हैं कि हमारे यहां इस विभाग में बहुत तरक्की नहीं हुई। अगर हम अपने पड़ोस के सूबे से अपने को कंपेयर करें तो मालूम होगा कि हम कितने पिछड़े हुये हैं। पंजाब के बारे में मालुम होगा कि वहां पर हर प्रकार के उद्योगों में तरक्की हुई है। लोहे का सामान. बिजली का सामान, स्पोर्ट्स का सामान, मोजे, बनियान, साइकिलें तथा उनके पार्ट्स, सीने की मशीने आदि करोड़ों रुपये की चीज दूसरे देशों और प्रदेशों में जाती हैं। और वहाँ से धन आता है। इसलिये देखना यह है कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं और क्या कारण है कि हम आगे नहीं बढ़ सके। यहां पर मजदूरी सस्ती, रामैटिरियल सस्ता, कोयले तथा लोहे आदि को ढुलाई का खर्चा कम, यह सब होते हुये भी हम पिछड़े हुये हैं। पंजाब से यहां पर यह सभी चीजें सस्ती हैं। तो हमें इनके कारणों को भी देखना चाहिये। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं।

इसका कारण यह भी है कि पंजाब में सन् ४७ के बाद एक नीति अपनाई गई जिसके अनुसार वहां की सरकार ने भिन्न-भिन्न कार्यों के लिये मैनुफैक्चरर्स की एक कमेटी बना दी और उनको एक वार्षिक धनराशि व कच्चा माल दे दी ताकि वे अपने कार्यों में उसका उपयोग कर सकें। उसमें उनको काफी सफलता भी प्राप्त हुई। यहां मुख्य कारण है कि कारखानों की मन्जूरी बिना सोचे समझे दे दी जाती है। दूसरे रामैटिरीयल के कन्ट्रोल का और विकास वितरण का गलत तरीका, बिजली देने का डिफैक्टिव तरीका सेल टैक्स तथा चुँगी का गलत तरीका, रेलवे ट्रान्जिट की दिक्कतें, लाइसेन्स आदि देने की गलत प्रणालियां, तथा अन्य बहुत से ऐसे कारण हैं जिनकी ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।

मान्यवर मैं इलाहाबाद करछना क्षेत्र, जिनमें नैनी इन्डस्ट्रियल कालोनी से आती हूँ। इस क्षेत्र की कठिनाइयों के कुछ उदाहरण देती हुई मैं सारी तस्वीर आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैं पहले कारखानों की मंजूरी जो बिना सोचे समझे दे दी जाती है उसके विषय में कहना चाहती हूँ। नैनी कालोनी में एक आर० सी० पाइप की फैक्टरी है। बड़ी मेहनत से, रा मैटिरियल के कम होते हुये भी, उसके मालिक ने

वहां पर उस फैक्टरी को चालू किया। इस पाइप के बनाने में खर्चा बहुत पड़ता है। इनके सामने कई दिक्कतें थीं और यह अपनी दिक्कतों को हल भी नहीं कर पाये थे कि सरकार ने इलाहाबाद में दूसरी फैक्टरी लगाने की मंजूरी दे दी। इन पाइपों को सरकार ही लेती है और इनके ट्रान्जिट पर खर्चा भी ज्यादा पड़ता है। तो ऐसी सूरत में सरकार को ऐसी प्लान बनानी चाहिये थी कि इस प्रकार के कारखाने कम से कम दो सौ मील की दूरी पर होते जिससे सरकार को भो माल सस्ता पड़ता।

(इस समय १२ बज कर ५८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सुल्तान आलम खां, पीठासीन हुये)

दूसरे यह कि वहां पर रामैटिरियल के वितरण की गलती है। स्थानीय आफिसर अगर किसी काम के लिये १०० मन की सिफारिश करता है तो ५० मन स्वीकार होता है और मिलने के समय तक वह केवल २५ मन ही रह जाता है। जितने के लिये दरख्वास्त देता है उसका ¼ हिस्सा उसको मिल पाता है। इसके अलावा जो गलत तरीके अपनाता है, गलत लिख कर देता है उसको ज्यादा मिल जाता है। उदाहरण के लिये अगर किसी को १०० मन की जरूरत है और वह ५०० के लिये दरख्वास्त देता है तो घटते-घटते उसे १०० मन तक मिल ही जाता है। अगर रामैटिरियल की कमी थी तो एक ही स्थान पर दो दो कारखानों को खोलने की मंजूरी देने की क्या आवश्यकता थी? दोनों को निराश करने से क्या फायदा? एक को आप बिजली दे नहीं पाये, दूसरे को आपने कारखाना खोलने की इजाजत दे दी। कीमत कम होने के कारण दलाल लोग किसी तरह से परमिटों को प्राप्त कर लेते हैं और फिर उसे महंगा करके बेचते हैं।

अब एक बात मैं बिजली के वितरण के बारे में भी कहना चाहती हूँ। हमारा कहना यह है कि नैनी में एक प्लान्ट लगा हुआ है। जब सरकार ने वहां करोड़ों रुपये का धन अपना और कारखानेदारों का लगवाया और प्लान्ट भी उन्हीं की सहायता के लिये लगवाया तो उनकी मांग पूरी करके बची हुई बिजली Industrial colony से बाहर दी जानी चाहिये। फिर आगे सोचते कि कहां पर बिजली दी जाय। इसलिये मैं सिर्फ यह कहती हूँ कि लाइसेंस देने से पहले देख लें किसी भी फैक्टरी को कि इसके पास बिजली है या नहीं है। अगर न हो तो ऐसा तय करके अनुमति दें कि जिससे बिजली के बिना वह कार्य कर सके। इसी तरह एक के पीछे तीन कारखाने तो पंजाब में भी ऐसे हैं कि जहां पर बिजली नहीं मिलती है, लेकिन वह दूसरी भट्टियों से काम करते हैं। उनको कह दिया जाता है कि बिना बिजली के कार्य करना हो तो अनुमति दी जायगी।

इसके अलावा सेल्स टैक्स के बारे में यह कहना है कि हमारी टेक्जेशन की पालिसी गलत है अगर हम दूरदर्शिता से काम करें तो जो हमारी पहले की पनपी हुई फैक्टरीज हैं उन पर अधिक टैक्स लगाकर जो नई पनपने वाली हैं, उनको पनपने दें तो उनकी फुटिंग पूरी तरह जम जाय, तब वह आगे अपने पांव पर खड़ी हो सकेंगी। बहुत अर्से के लिए तो नहीं, लेकिन दिक्कतों को देखते हुये यह जरूरी है कि जब तक पनप न जांय तब तक पुरानी फैक्टरीज के ऊपर ही लाद कर इनको खड़ा होने दिया जाय।

इसके अलावा ट्रांजिट की बहुत भारी दिक्कत है। बुकिंग के लिये ३-३, ४-४ महीने के लिये नैनी स्टेशन पर इन्तजार करना पड़ता है और रामबाग स्टेशन की तरफ ले जाते हैं तो उसमें भी वहां चुंगी पड़ती है। इसलिये मैं केवल इतना ही अपनी सरकार से कहना चाहती हूँ कि वहां की जो रेलवे साइडिंग है वह उस कालोनी में आ जाय जिससे कि भारी भारी जो ट्रांजिट की चीजें हैं वह लद करके Station तक पहुँच सकें और उनकी यह असुविधा दूर हो जाय।

इसके अलावा मुझे एक बात, मान्यवर, यह कहनी है कि हमारी चीनी का क्या हाल हुआ ? ७५० रुपया प्रति टन चीनी की कीमत भारत में, और दूसरे देशों के मार्केट की कीमत ४०० रुपया है।

( लाल बत्ती होने पर )

मान्यवर, थोड़ा और टाइम दे दीजिये।

चार सौ रुपये में भी उनको दे नहीं पा रहे हैं चूंकि वह लेते नहीं हैं, इसलिये यह जमा हो गई है। साथ ही जावा और हवाई में जहां पर २०० मन पर एकड़ चीनी होती है और भारत में ४० मन पर एकड़ होती है, उनके मुकाबले में तो हम अवश्य ही पीछे रहेंगे। लेकिन हमारे जो अर्थशास्त्र के पंडित हैं वह रिकवरी के ऊपर बात करते हैं। वह कहते हैं कि ६-७ परसेंट खंडसारी में रिकवरी होती है और चीनी में १० परसेंट होती है, इस तरह से १६ करोड़ रुपये का जनता को फायदा हुआ, चूँकि चीनी अधिक निकली और टैक्स का फायदा सरकार को १५ करोड़ का हुआ। तो मैं निहायत नम्रता से बताऊँ कि जरा भी जानकारी होती या वास्तविक तथ्यों का उनको ज्ञान होता तो जानते होते कि खंडसारी में जो ३ परसेंट राब होती है वह आम जनता खाती है, वह उनको सस्ती मिल जाती है और जाया नहीं जाती है। इस तरह से ५७ करोड़ रुपये की चीनी का काम देती है।

इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इन चीजों के तथ्य को अगर सामने रखा जाता तो यह समस्या जो आज चीनी के ब्लाक हो जाने की हमारे सामने आ गई

है वह उत्पन्न ही न हुई होती। हमको छोटी-छोटी मशीनों के ऊपर अधिक ध्यान देना चाहिये था।

मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ कि हमारे घने बसे हुये प्रदेश के लिये यह उचित है कि जो बड़े कारखाने हमारे फालतू समय के काम को छीनते हैं वे न लगायें जायं जैसे कपड़े, चीनी, तेल तथा धान की कुटाई की बड़ी मिलें, केवल वही बड़े कारखाने लगाये जायं जो ग्रामीण धंधों को बढ़ाने में सहायक हों और छोटे कारखानों की मदद करें और ऐसी वस्तुओं के कारखाने जो गांव में न बन सकती हों जैसे बिजली, लोहा, सीमेन्ट आदि। हमारा सारा आर्थिक ढांचा अंदरूनी मांग पर हो नहीं तो अंधाधुन्ध नीति हमारे लिये समस्यायें पैदा कर देगी और उससे हमारे प्रदेश का फायदा नहीं होगा। जिस प्रकार से हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए पूज्य बापू जी की नीति अपनानी पड़ी थी उसी तरह से स्वतंत्रता को कायम रखने के लिये हमें उन्हीं की उद्योग नीति अपनानी पड़ेगी। नैनी कालोनी में बिजली का प्लान्ट लगा है उसकी बिजली पहले वहीं के कारखानों को मिलना चाहिये ताकि वहीं के कारखाने जिन पर काफी रुपया लगा है वह फेल न हो जायं। पानी तथा हास्पिटल का भी वहां पर सुचारु रूप से प्रबन्ध होना चाहिये . . . .

१७-४-१९६१

———

मान्यवर, भारत में कभी भी मद्य-पान के हक में वायु मंडल नहीं रहा परन्तु जिन देशों में मद्यपान बुरा नहीं भी माना जाता था वहां की जनता भी इसके भयानक रूप को देख कर व्याकुल हो उठी है। वह भी आज मद्यनिषेध चाह रहे हैं। मैं केवल एक फ्रांस का उदाहरण देकर आपको इस तथ्य को बताऊंगी। वहां पर भारी जनमत इसके विरोध में है। वहां ६० परसेंट ऐक्सीडेंट इसी के कारण होते हैं। ७८ परसेन्ट क्रिमिनल्स इसी के कारण है। ६५ परसेन्ट बच्चों के साथ क्रुअल्टी इसी के कारण है। एक वर्ष में ६,३२७ पागल इसके कारण वहां हो गये। लगभग सारी बीमारियां खून की कमजोरी आ जाने के कारण फ्रांस में इसी के कारण उत्पन्न हुईं।

मान्यवर, जिसका इतना भयानक रूप हो और साथ ही मैं भारत के पुराने इतिहास की याद दिला दूँ—वह बहुत पुराना नहीं है। ब्रिटेन में बापू ने १९३१ में ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज दिया। उसकी कोटेशन इस तरह से है—

"हमारे यहां मद्य निषेध की समस्या बहुत सरल है, अगर सरकारी घृणित आमदनी का प्रश्न न हो। उन्होंने देखा कि आमदनी और खर्च हमारे हाथ में होना कितना आवश्यक है। फिर हम उनको दिखा देंगे कि हम ऐसा बजट बना सकते हैं जिसमें पूरी शराब-बन्दी होते हुए वह संतुलित हो सके।"

मान्यबर, मैं निहायत नम्रता के साथ कहूँगी कि १५ वर्ष हमारे पूरे बजट के हाथ में आये हो गये। भारत की सरकार ने इसकी तरफ और बहुत से सूबों ने इसकी तरफ कदम उठाया और पूरी अपनी शराबबन्दी करके अपने बजट को संतुलित करके दिखा दिया। लेकिन हमारे प्रदेश ने ७ वर्षों में इसकी ओर एक कदम नहीं उठाया, बल्कि ६ नयी दूकानें और खुलीं।

मान्यवर, मैं एक छोटी सी बात बता दूँ। १९४३ में एक कांग्रेस कार्यकर्त्ता को लाहौर में जाड़े के दिनों में बरफ के ऊपर बैठाया गया और पुलिस इंस्पेक्टर ने उससे पूछा कि "बताओ जयप्रकाश नारायण कहाँ हैं?" उसने कहा कि मैं जानता हूं या नहीं यह नहीं बताऊँगा, लेकिन याद रखो वह दिन आने वाला है जब हमारी बारी आयेगी और हम बदला लेंगे।" उसके पश्चात् सन् ४७ आया, स्वतन्त्रता आयी और १९४८ भी आया। १९४८ में उसी कार्यकर्त्ता को पुलिस गिरफ्तार करके लायी। जिस वक्त उसको गिरफ्तार करके लाया गया उस वक्त वही इंस्पेक्टर वहां पर कप्तान था। कप्तान ने कहा, जिसने आजादी में तरक्की पायी

थी, 'जय राम जी की, तात्पर्य यह कि अपना वक्त भी देख लो, तुम मुल्जिम के मुल्जिम और मैं inspector से captain यही हालत बापू के चैलेंज की इस प्रदेश में हुई ।

बापू ने कहा था कि हम पूरी नशाबन्दी करके बजट को संतुलित बना सकते हैं, लेकिन मान्यवर, अगर आज हम यह कहते हैं कि जो घृणित आमदनी हमारी है उसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता, इस प्रकार से हम जनता से कह रहे हैं कि हम आपके बड़े सेवक हैं । आप हमें शराब पीकर, नशाखोरी करके पैसा दीजिये, गरीब और बीमार होइये ताकि हम आपकी सेवा कर सकें ।

माफ कीजिये, अगर हम थोड़ा सा भी एक प्रिंसिपल की तरफ ध्यान दें तो हमारे सामने स्थिति स्पष्ट हो जायगी । वह सिद्धांत इस प्रकार है—

"Prohibition and Taxation cannot go together".

अगर समय होता तो इसको मैं विस्तारपूर्वक बता देती कि जैसे-जैसे पैसे का लालच बढ़ता है, उसी तरह ही वह चीज रुक नहीं पाती है, उसका प्रयोग बढ़ता है बल्कि वही फ्रांस, रूस, और जर्मनी का हाल है, उसी तरह का रूप धारण हो रहा है । इस तरह से आप इस चीज को नहीं रोक पायेंगे । आप टैक्सेशन करते जाइये और रोकने की कोशिश कीजिये लेकिन यह चीज रुकने वाली नहीं है ? मान्यवर, संविधान की धारा ४७ में लिखा है :

"In particular the state *shall* endeavour to bring about prohibition of consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health".

मैं केवल इतना निवेदन करना चाहती हूँ ; कि जब मैं छोटी थी तो मुझे पढ़ाया गया था कि इंग्लिश में जब थर्ड पर्सन के साथ "शैल" लगता है तो उसका अर्थ जरूरी से हो जाता है । एक चीज़ मान्यवर, और याद दिला दूँ कि हम सदस्यगण जो कांग्रेस की ओर से चुनकर आते हैं वह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम यूनिटी, total प्रोहिबिशन, रिमूवल आफ अनटचेबिलिटी और खादी में पूर्ण विश्वास रखते हैं । परन्तु हमने पिछले वर्षों में मद्यनिषेध की ओर कोई कदम नहीं बढ़ाया है । यदि नहीं बढ़ाया गया तो क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी प्रतिज्ञा और बापू के चैलेंज को पूरा करने के लिये पूर्ण शराबबन्दी जल्दी से जल्दी करदें चाहे किसी मद से रुपया निकाल कर या किसी मद को काट कर हमें ऐसा करना पड़े ?

मान्यवर, एतराज यह होता है कि वास्तव में शराबबन्दी नहीं हो पाती है

बल्कि चोरी से शराब निकाली जाती है, जैसा कि उधर के कुछ माननीय सदस्यों ने भी अभी बताया। यह चोरी की शराब अधिकतर सरकारी शराब की आड़ में बिकती हैं। अगर शराब के ठेकों का एकाउन्ट्स देखा जाय कि कितने का उनका ठेका था और कितने की सप्लाई हुई और कितनी उनकी आमदनी हुई तो पूरे तथ्य हमारे सामने आ जावेंगे।

साथ में यह भी कहा गया कि जहां जहां पर शराबबन्दी लागू की गई वहां पर सफलता नहीं मिली। इस सम्बन्ध में मैं आंध्र के लेबर कमिश्नर की रिपोर्ट से एक लाइन पढ़ देना चाहती हूँ :

"The standard of living of the workers has improved. The prohibition has not altogether eliminated the drink evil but has considerably reduced it.

इसके अलावा, मान्यवर, यह चीज गौर से देखने वाली है कि आजकल जब महिला कार्यकत्री शहरों में जाती हैं तो उनका वास्ता तमाम ऐसी दुखी बहनों से पड़ता है जिनके घर वाले इस व्यसन में फंसे हुये हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज गरीब, अमीर और मध्यम श्रेणी, सभी श्रेणियों की औरतों की दुर्दशा हो जाती है यदि उनके पति इस व्यसन में फँसे हों। आदमी अपनी सारी कमाई को शराब ही में खत्म कर देता है बल्कि घर की लोटा थाली और स्त्री के जेवर को भी बेच देने की घटनायें रोज होती रहती हैं। यही नहीं मान्यवर, मैं ऐसी स्त्रियों को भी जानती हूँ जिनके पति पैसा खत्म हो जाने पर शाम को आकर उनसे कहते हैं कि तुम फलाने आदमी के पास चली जावो और पैसा ले आवो, वह मुझे नहीं देगा, तुम खूबसूरत हो, तुम्हें पैसा मिल जायगा। इसलिये मेरी माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना है कि परमात्मा के लिये ऐसी आमदनी को वह अपने दिमाग से निकाल दें चाहे कोई भी कार्य हमें इस कल्याणकारी राज्य में छोड़ना पड़े। महिलाओं का कल्याण सबसे अधिक तभी होगा जबकि उनके पति इस व्यसन को छोड़ देंगे।

मान्यवर, जरा आप इलाहाबाद की ओर ध्यान दें। ऐसे पवित्र तीर्थ स्थान पर, उन दुकानों पर जहाँ माता स्वरूप रानी ने लाठी खाई हो, जहाँ माता कमला नेहरू ने पिकेटिंग की हो, वहीं पर शराब की दुकानें काफी जोरों से चलती हैं। जो मेरी माँ का निवास स्थान है जिसने उसकी picketing करते हुए अपना बेटा खोया हो। वहाँ पर शराब की दुकान जारी है। मैं निवेदन करूँगी कि कम से कम इलाहाबाद को जल्द से जल्द ड्राई एरिया घोषित किया जाय।

दूसरी एक बात और भी है कि इलाहाबाद में एक ममफोर्डगंज मुहल्ला है। वहाँ पर नई दुकान शराब की खुली है। माननीय मंत्री जी से मैं इस सम्बन्ध में मिली थी और उन्होंने मुझसे प्रामिस भी किया था कि उसको बन्द करा देंगे। मैं आशा करती हूँ कि वे इस सम्बन्ध में जल्द से जल्द आर्डर को भिजवाने की कृपा करेंगे।

अन्त में मैं एक चीज और निवेदन करना चाहती हूँ कि श्रीमती पर्ल बक नावेल प्राइज विनर हैं। उन्होंने बापू की अन्तिम यात्रा पर कहा—"१० वर्ष बाद मालूम होगा कि बापू अमर हुये या खत्म"। बापू को अमर उनके बचनों को पूरा करके ही किया जा सकता है। यह केवल कह कर नहीं। भावुकता से काम चलने वाला नहीं है। श्रीमान्, मैं इधर देखती हूँ, उधर देखती हूँ, मेरा दिल यह कहता है—

बुझ रहे हैं चिरागे दैरो हरम,<br>
दिल जलाओ कि रोशनी कम है।"

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगी कि सारे सूबे में एक दम नशा खोरी बन्द कर दी जाय। मैं आशा करती हूँ कि माननीय मंत्री जी इस दूषित आमदनी से हमें बचायेंगे।

२६-४-६१

---

# शुद्धि पत्र

| पृष्ठ | पंक्ति | अशुद्ध | शुद्ध |
| --- | --- | --- | --- |
| १ | १८ | वाधक और हो के बीच 'न' जोड़िए। | |
| ४ | २३ | रहनी | होनी |
| ८ | १६ | जो और लाख के बीच '६' जोड़िए। | |
| १० | २२ | देखा है और किसान के बीच 'जब सड़क बनने लगती है तो हमारे भाई सत्याग्रह के नाम से अन्दोलन चला देते हैं' जोड़िए। | |
| ११ | अंतिम | समय और नहीं के बीच 'नहीं' जोड़िए। | |
| १२ | १६ | इसने | इतने |
| १३ | २० | कारण और नहीं के बीच 'यह भी' जोड़िए। | |
| १४ | ७ | दो | पाँच |
| १७ | ३ | सही | कहीं |
| | २० | में | मैं |
| १८ | ४ | में | मैं |
| | २६ | प्रथम शब्द 'नहीं' हटा दीजिए। | |
| १६ | १६ | यहाँ | वहाँ |
| | २५ | में | मैं |
| | अंतिम | किसानों और काम के बीच 'का' जोड़िए। | |
| २० | ५ | नहीं के पूर्व 'बुरा' जोड़िए। | |
| २१ | ५ | अंकिक | अधिक |
| २२ | ८ | में | मैं |
| २६ | २४ | इन | इस |
| २७ | २३ | दूँ | है |
| २८ | ५ | को | का |
| २८ | १५ | पिछड़ी | पिछली |
| ३१ | ११-१२ | फूलाई | फ्लाई |
| ३२ | अंतिम | दरवाजे पर | दरवाजे-दरवाजे |

| पृष्ठ | पंक्ति | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| ३५ | १६ | जे | दे |
| ३५ | २४ | आप से | आॅन |
| ३६ | ६ | जन | जब |
| ३६ | २१ | हुई और एस० डी० ओ० के बीच 'मैं और' जोड़िए। | |
| ३७ | ८ | यहाँ | या |
| ३८ | २१ | किया | किये |
| ३९ | १८ | सकेगी | सकेगा |
| ४६ | १८ | चापती | चाहती |
| ४६ | २६ | चीचें, हुथे | चीजें, हुए |
| ४६ | अंतिम | दिनांक १८-२-१९५९ निकाल दीजिए। | |
| | | १३ और १४ भाषण एक ही हैं। इन्हें एक साथ पढ़िये। | |
| ४७ | १ | करदी है | पर विचार करना होगा। |
| ४७ | २३ | आता | जाता |
| ५१ | ८ | कनासा | पनासा |
| ५१ | १८ | बनती | बननी |
| ५८ | ६ | हुआ था और सत के बीच "आफिसर ने कहा" जोड़िए। | |
| ६० | १ | मन्त्री ने जी | मन्त्री जी ने |
| ६० | १६ | बहनी | बहन |
| ६० | अंतिम | किवा | किया |
| ७० | १३ | कम्बू | कमो |
| ७० | ७ | दरे | दोनों |
| ७८ | २० | उनक | उनको |
| ७८ | २६ | में | मैं |
| ८५ | १५ | इ प्रकार | इस प्रकार |
| ९२ | २५ | वर्ष | बैड |
| ९८ | ७ | उसकी और कदम के बीच 'ओर' जोड़िए। | |
| ९८ | ११ | Morely | Morley |
| १०१ | १८ | बहादुरी | बहादुरो |
| १११ | १ | लखनाऊ | लखनऊ |
| १११ | १५ | अक्सर | अवसर |

| पृष्ठ | पंक्ति | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| १११ | २२ | बुराई | दोहाई |
| ११२ | २३ | तो हो | हो तो |
| ११७ | २१ | अध्यापिका | अध्यापक |
| ११६ | १८ | मूल | भूत |
| १२३ | २६ | हूँ | हूँगी |
| १२४ | २४ | इनबम | इनकम |
| १२६ | २ | मौजूना | मौजूदा |
| १२६ | ५ | गाती | जाती |
| १२७ | १६ | परका | 'का वहीं' |
| १२७ | १७ | दी | दिया |
| १३० | ८ | अधिक | आर्थिक |
| १३१ | ११ | गवर्नर | गवर्नमेंट |
| १३१ | २२ | दिसम्बर के दिनों में निकाल दीजिए। | |
| १३२ | ३ | है | हुई |
| १३२ | १६ | to | of |
| १३२ | २८ | कर्तव्य और है के बीच 'नहीं' जोड़िए। | |